राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का २०वां दिवस [संख्या ११

मंगलवार, दिनांक १४ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैटक म० पू० ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बृजसुन्दर शर्मा द्वारा शपथ ग्रहण करना

श्री अध्यक्ष : श्री सचिव।

श्री सचिव (विधान सभा) : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) ने शपथ ग्रहण की]

[खनिज, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, राजस्व उद्योग, पुरा लेख एवं देवस्थान –विभाग]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या २०५

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर)।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

तहसील फागी में किसानों से पहाड़ों से पत्थर ले जाने पर रॉयल्टी की वसूली

२०६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** [(लालसोट) डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या पहाड़ों से पत्थर ले जाने पर रॉयल्टी लेना किसानों को माफ है ? यदि हां, तो तहसील फागी में किसानों से रॉयल्टी क्यों वसूल करते हैं ?

खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): राजस्थान में प्रधान खनिज रियायत नियम, १९५९ के नियम ४ उपनियम(ब) के अनुसार किसान अपने वास्तविक कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए अर्थात् सिंचाई के लिए; कुआ,

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

नाला, खेतों की चारदीवारी और स्वयम् के मकान बनाने के लिए पत्थर वगैर रॉयल्टी दिये ले सकता है। परन्तु सन्देह होने पर कि वह आदमी काश्तकार है या नहीं, विभागाध्यक्ष इसके लिए प्रमाण–पत्र मांग सकता है।

ऐसी कोई इस कार्यालय को सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जो प्रमाण–पत्र मांग सकते हैं तो वे प्रमाण–पत्र किस तरह के मांगे जा सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आया वह किसान है या नहीं और जिस उपयोग के लिए वह पत्थर ले जाता है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या मकान पाटने के लिए किसान पत्थर ले तो ले सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने बताया कि ले सकता है। लेकिन लीज़ एरिया है तो नहीं ले सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

कोटपूतली बहरोड़ सड़क

२०७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटपूतली से बहरोड़ तक की सड़क के टुकड़े में कितने कुंए, मकान और कितनी चाही जमीन दबी है ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(२) क्या सड़क थोड़ी चाही जमीन और कुओं को छोड़ कर नहीं बनाई जा सकती थी ?

(३) विभाग के अधिकारियों को इस सड़क के बारे में जो सूचना दी गई थी उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) सूची प्रस्तुत है। कोटपूतली से बहरोड़ तक की सड़क के टुकड़े में चार ग्रामों के ७ कुओं की गुणी व कुओं की आस पास की पड़त भूमि का हिस्सा लिया गया है। ग्राम बूचाहेड़ी में केवल एक मकान सड़क में लिया गया है और ८४ बीघा चाही जमीन सड़क निर्माण में ली गई है।

(२) जी नहीं।

(३) सूचना प्राप्त होने पर भूमि अवाप्ति की कार्यवाही शुरू की गई। फसल जो नष्ट हुई उसकी क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेशन) के कागज़ात तैयार कराके मु० ४०८८.७५ रुपये फसल की क्षतिपूर्ति (कम्पेन्सेशन) के दिलाये गये।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : जो सूची आपने दी है उसमें केवल पांच मील के टुकड़े में ७ कुओं की भूमि और दो कुंए कतई नष्ट किये गये है। क्या इस प्रकार से इन कुओं का सरकार विचार नहीं रखती है कि मामूली कर्व देने से इन कुओं को बना लिया जा सकता है जो उस गांव के लिए एक मात्र साधन हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि दो कुंए जो सड़क के निर्माण के लिए ले लिये गये हैं तो उनको सड़क का एलाइनमेन्ट चेन्ज करके नहीं बचाया जा सकता था ?

श्री हरिश्चन्द्र : वह नेशनल हाइवे बन रहा है। जहां तक होता है उसको सीधा ही लिया जाता है।

श्री रामकरणसिंह : माननीय मंत्री जाने के लिए तैयार हों और देखने को तैयार हों, तो पूतली के लिए एक कुंआ पड़ता है वह गांव के लिए एक मात्र सिंचाई का कुंआ है उसको नष्ट किया गया, जब कि उसके पास से कर्व देकर सड़क निकाली जा सकती थी। बुल डोजर वाले से गांव वालों ने कहा तो वह नाराज़ होकर, उसने चाह करके उस कुंए को नष्ट किया है, माननीय मंत्रीजी बांसूर से आये तो उन्होंने देखा है, आप भी चाहें तो देख सकते हैं। चाह करके उस कुंए को नष्ट किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचना नष्ट करने के लिए दी नहीं गई।

श्री रामकरणसिंह : मैंने खुद ने मंत्री महोदय को सूचना दी है, आपके डिपार्टमेन्ट के सेक्रेटरी को दी है, इन्जीनियर को दी गई हैं, पंचायत समिति को जनता की ओर से दी है।

श्री हरिचन्द्र : मैं जानकारी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज़ के हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स की डिग्री कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल के पद पर नियुक्ति

२०८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज़ के हैड्स ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स को डिग्री कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार की पदोन्नति एवं नियुक्तियों से डिग्री कॉलेजेज़ के हाई-ग्रेडस के स्टाफ के पदोन्नति के अवसर समाप्त हो जाते है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया); (१) जी नहीं। जब से राजस्थान एजुकेशनल सर्विस (कॉलेजियेट ब्रान्च) सन् १९५८ में लागू हुए हैं ऐसा नहीं किया जाता है।

(२) जी नहीं।

प्रश्न संख्या २०९

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट, सांगानेर व चाकसू तहसीलों के बेसिक स्कूल्स

२१०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) [डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) द्वारा पूछा गया]: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

लाल सोट, सांगानेर व चाकसू तहसील में कितनी कितनी बेसिक स्कूलें हैं तथा उनमें बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक कितने हैं और कहां कहां कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि कुछ बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक नॉन बेसिक स्कूलों में कार्य कर रहे हैं एवं नॉन बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक बेसिक स्कूलों में ? क्या सांगानेर तहसील में बेसिक ट्रेन्ड अध्यापकों के स्थानान्तरण नॉन बेसिक स्कूलों में किये गये हैं? अगर हां, तो ऐसा क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : लालसोट, सांगानेर व चाकसू तहसीलों में क्रमशः ३, १५ व ४ बेसिक स्कूलें हैं। इनमें कितने कितने अध्यापक हैं और कहां कहां पर हैं उनका व्यौरा इस प्रकार है:

लालसोट	ट्रेन्ड अध्यापक	स्थान (बे०स्कूल)
	६	लालसोट
	३	बिलौन
	३	कल्लावास
सांगानेर	५	सांगानेर ओल्ड
	३	,, टाउन
	१	मम्भौरिया
	३	जगतपुरा
	३	भीलावा
	२	दुर्गापुरा
	१	लाखना
	२	दयालपुरा
	३	भांखरोटा
	२	शिवसिंहपुरा
	१	महापुरा
	३	मुहाना
	२	कुन्दनपुरा
	२	मोहनपुरा
	२	दांतली
चाकसू	३	चाकसू नं० १
	२	रुपाहेड़ी
	२	महादेवपुरा
	२	बड़ली

सांगानेर तहसील में बेसिक ट्रेन्ड अध्यापकों को नॉन बेसिक स्कूलों में स्थानान्तर नहीं किया गया है ।

डॉ० चन्द्रकला (किशन पोल बाजार, जयपुर) : क्या सरकार की ऐसी नीति है कि बेसिक स्कूलों में बेसिक ट्रेन्ड अध्यापक नियुक्त किये जायं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कम से कम दो ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

जयपुर नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत कृषि योग्य भूमि की अकृषि कार्यों में परिपाति के नियम

२११. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में कृषि

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

योग्य भूमि को अकृषि कार्यों के लिए परिणत किये जाने के सम्बन्ध में कौन से नियम कब से लागू हैं ?

(ख) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में १ अप्रेल, सन् १९५७ से लेकर अब तक किन किन को कितनी कितनी कृषि योग्य भूमि अकृषि कार्यों के लिए परिणत करने की कब कब आज्ञा प्रदान की गई है, किस नियम के अन्तर्गत और क्यों ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ग) क्या यह सही है कि इसमें से कुछ भूमि के लिए Land Acquisition Act के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ हुई थी ? यदि हां, तो किस किस को कितनी भूमि के लिये ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) कृषि भूमि को अकृषि कार्य हेतु परिवर्तित करने के लिए धारा ९० ए राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ में प्रावधान है। इसके अन्तर्गत अभी तक नियम नहीं बने हैं।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) जी हां। सूची के क्रम संख्या २, ३ व ४ पर उल्लेखित भूमि के लिए लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही एल० एस० जी० डिपार्टमेंट द्वारा की गई थी, परन्तु अवाप्ति भी एल० एस० जी० द्वारा स्थगित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि धारा ९० ए के अन्तर्गत लैंड कन्वर्शन के लिए रूल्स न बन जावें तब तक कोई आज्ञा सरकार की ओर से प्रसारित नहीं की जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं। कन्डीशनल कन्वर्शन दे दी गई थी कि जो रूल्स में प्रावधान होगा और अर्बन इम्प्रूवमेंट सेस जो फिक्स किया जावेगा वे उसको पे कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के बिना ही पॉवर्स को कैसे एक्सरसाइज़ किया जा सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास ; इसका प्रावधान है, गवर्नमेंट को पॉवर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन पॉवर्स को एक्सरसाइज़ करने के लिए रूल्स बनाना आवश्यक नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिल्कुल आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स बनाना आवश्यक है तो बिना रूल्स बने ही कन्वर्शन कैसे कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पॉवर्स हैं गवर्नमेंट को, और रूल्स बनेंगे। उनसे एग्रीमेंट लिखवा लिया गया है कि जब रूल्स बनेंगे तो उसके माफिक वे प्रीमियम दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक्ट के अनुसार रूल्स नहीं बने और बिना रूल्स के सरकार अपने द्वारा लिए हुए पॉवर्स को एक्सरसाइज़

Page No.6

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं कर सकती है तो किस प्रकार से, किन कन्डीशन्स पर सरकार ने वे जमीनें दी हैं, कन्वर्ट कर दी हैं ? जो अधिकार सरकार को मिले हुए हैं एक्ट में उनके अनुसार वह कन्वर्शन बिना रूल्स के नहीं कर सकती है ? किस अधिकार के द्वारा दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अधिकार के द्वारा ही दी है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसा अधिकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दफा ६० ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आवश्यक नहीं है कि रूल्स बना कर फिर दी जायं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स बनाने का प्रावधान है और रूल्स की कन्डीशन्स के अनुसार ही कन्वर्शन किया है।

श्री भैरोंसिंह : किस रूप में यह होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसको लीगली पहले ही एक्जामिन करवा लिया था और लॉ डिपार्टमेंट से कहा गया था कि कन्वर्शन कन्डीशनल किया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसी क्या एमरजेन्सी थी कि बिना रूल्स के ही कन्वर्शन कर दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एमरजेन्सी का सवाल नहीं है। कन्वर्शन कराना था और उसके लिए उनसे एग्रीमेंट करा लिया था कि रूल्स के अनुसार प्रीमियम वे पे कर देंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : राजस्थान में और जगह भी इस प्रकार के कन्वर्शन हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, किया नहीं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : रूल्स बनाने में देरी क्यों हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

सड़कों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन भुगतान में विलम्ब

२१२. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर–कोटपूतली, पाटवा-डाबला-बानासूर, डाबला—बहरोड़—कोटपुतली, इन सड़कों पर काम करने वाले व्यक्तियों में से किस किस गैंग को अक्टूबर १९६० से जनवरी १९६१ तक किस किस तारीख को वेतन दिया गया ? वेतन भुगतान करने के लिए रकम किस तारीख को उठाई गई ? सूची प्रदान करें।

(ख) क्या यह सत्य है कि वेतन भुगतान देर से किया गया है और पैसे वापिस खजाने में जमा कराये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने केसों में तथा क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) सूची प्रस्तुत है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(ख) जी हां। खज़ाने में पैसे वापिस जमा नहीं कराये गये।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : सम्पूर्ण गैंग, जिसमें इन्चार्ज शामिल है, उनको पेमेंट देरी से किया यह माना जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो पूछा है उसका जवाब दिया है।

श्री रामकरणसिंह : यह बताया गया कि जितने गैंग हैं उनको पेमेन्ट कर दिया, लेकिन पेमेन्ट किस तारीख को किया गया ? हो सकता है कि दो आदमियों को कर दिया गया हो और बाकी के आदमियों को, उस गैंग के आदमियों को, पेमेन्ट न किया गया हो। क्या यह सूची है कि इन डेट्स को सम्पूर्ण को पेमेन्ट कर दिया गया है, ऐसा समझा जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

ग्राम पंचायत रोहट में काश्त हेतु वितरित भूमि

२१३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(क) ग्राम पंचायत, रोहट तहसील पाली में किन किन लोगों को कितनी कितनी भूमि काश्त के लिये भूमि वितरण कमेटी द्वारा सन् १९६० में कितने वर्ष के लिये दी गई ? उसकी सूची दीजियेगा।

(ख) क्या जिन पिछड़ी जाति के लोगों को भूमि काश्त के लिये दी गई उनको खातेदारी के पर्चे सदा के लिये दिये जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। आवंटन समिति द्वारा यह भूमि दस वर्षों के लिये अलॉट की गई है।

सूची देखने से जाहिर होता है कि ज्यादातर लोगों को २५ बीघा व इससे ज्यादा जमीन अलॉट की गई है। नियमों में १५ बीघा भूमि देने का प्रावधान है। नियमों के खिलाफ अलॉटमेंट किया गया है, उसकी जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द डागा : यहां पर जमीन कम उपजाऊ है, २५ बीघा से काश्तकारों का काम नहीं चल सकता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गवर्नमेंट द्वारा इयर मार्क कर रखा है, वहां १५ से लगा कर ५० बीघा तक भूमि दी गई है।

Page No.8

उप–निरीक्षक, जिला बूंदी द्वारा नियुक्त अध्यापक एवं अध्यापिकायें

२१४. **श्री भैरोंसिह** (श्री माधोपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के उप–निरीक्षक द्वारा दिनांक ५-७-५९ की आज्ञा के द्वारा २९ अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को अस्थाई रूप से ३०-४-६० तक के लिये नियुक्ति की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि इन अध्यापक एवं अध्यापिकाओं में कइयों की नियुक्ति के समय में वृद्धि की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि कइयों के समय में इस प्रकार की वृद्धि नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) जी हां। ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाएं जिनका कार्य, व्यवहार सन्तोषजनक नहीं पाया गया उनके कार्यकाल में वृद्धि नहीं की गई या ऐसे अध्यापक जो एवजी तौर पर लगाये गये थे।

श्री भैरोंसिह : कुछ अध्यापकों की अवधि में वृद्धि नहीं की गई, उसके कारणों की उन अध्यापकों को सूचना दी गई है कि उनका काम सन्तोषजनक नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : टेम्परेरी थे। सूचना देने की आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिह : दूसरे इस कारण से रख लिये गये कि उनका कार्य संतोषजनक था, जो उनको एक्सटेन्शन दिया गया उसमें क्या डिस्क्रीशन एप्लाई किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनके काम के आधार को देखा है।

श्री भैरोंसिह : क्या उन अध्यापकों को, जिनका काम सन्तोषजनक नहीं होता, सूचना दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां। हैड मास्टर व हैड मिस्ट्रेस इन सब बातों को देख कर ही कार्यवाही करते हैं।

तहसील देसूरी व बाली के ग्रामों के काश्तकारों को पटवारियों द्वारा पर्चा गिरदावरी नहीं दिया जाना

२१५. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि तहसील देसूरी व बाली के गांवों के काश्तकारों को सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने पर भी पर्चा गिरदावरी पटवारियों द्वारा नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितनों को ?

(२) क्या यह सही है कि सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने के बाद तहसीलदार व एस. डी. एम. सब गांवों की पड़ताल भी करते हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) सालाना गश्त गिरदावरी हो जाने के बाद नियमानुसार तहसीलदार व एस. डी.-ओ. द्वारा गांव की पड़ताल की जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या सरकार के यह ध्यान में है कि गिरदावरी सब टिनेन्ट को देते हैं, टीनेन्ट्स को नहीं देते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसकी जमीन पर काश्त करता है उसी को मिलनी चाहिये, यही रूल्स हैं।

ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन

२१६. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार गांवों में लघु उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना चाहती है ?

(ख) जयपुर जिले में जयपुर शहर के अलावा किस किस को किस काम के लिये उक्त इन्डस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में कितना लोन दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(ग) जयपुर शहर में वार्षिक लोहे के कोटे में उद्योग विभाग से कितना मिलता है और देहात को कितना ?

(घ) क्या विभाग ने कभी यह भी जानकारी की है कि जितना लोहे का कोटा दिया जाता है उस सब का माल तैयार होता है ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) जी हां।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ऐसा कोटा निर्धारित नहीं है। जितना माल मिलता है उसको आवश्यकता अनुसार बांटा जाता है।

(घ) जी हां। सहायक संचालक, जिला उद्योग अधिकारी व निरीक्षक समय समय पर इस विषय में निरीक्षण करते रहते हैं और जिन उद्योगों में कोटे का माल तैयार नहीं पाया जाता है उनका कोटा बन्द कर दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने यह सूचना दी है जिनको आपने लोहे का कोटा दिया है क्या यह सही है उसमें ७० प्रतिशत ऐसी फर्म्स हैं जिनका एक्ज़िस्टेन्स ही नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी कोई सूचना नहीं कि इनका एक्ज़िस्टेन्स ही नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : आप इतना जवाब दीजिये, 'हां या ना' ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री रामकरणसिंह : क्या आपने इसकी जांच करवाई है कि ये एक्ज़िस्टेन्स में हैं या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सिर्फ दस

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

आदमी मिले हैं जिनके लिये यह मालूम हुआ है कि इन्होंने उस कोटे का ठीक प्रकार से युटिलाइजेशन नहीं किया है। उनके खिलाफ कार्यवाही करते हैं।

श्री रामकरणसिंह : जैसा कि आपने बताया गांवों में और शहरों में आवश्यकता के अनुसार बांटते हैं, मैं आपकी जानकारी के लिये बताऊं कि जो कमेटी आपने बना रखी है उसने यह नियम बना रखा है कि जो कोटा डिसपोज़ल के लिये उनके पास आता है उसमें से वैस्टेज जो माल होता है उसमें से भी अगर कुछ बचता है तो वह देहातों को देते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह आपकी सूचना गलत है। जो कोटा डिस्ट्रिब्यूट होता है वह डाइरेक्टोरेट से होता है; वह सारे स्टेट भर के लिए होता है, अलग अलग नहीं। जो भी उद्योग अधिकारी जिलों में रहते हैं उनके द्वारा जिस प्रकार की रिकमन्डेशन आती है उसी के अनुसार मन्जूर होता है। फिर उसके बाद उन सब लोगों में वितरण होता है, चाहे वे देहात के रहने वाले हों या शहरों के।

श्री रामकरणसिंह : क्या कोई एडवाइज़री कमेटी ऐसी है जिसकी सिफारिश पर अलॉट किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर के यहां अलग से एडवाइज़री कमेटी बनी हुई है। वही रिकमन्ड करके भेजती है। वह असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ के यहां जाता है, उसके बाद वह डायरेक्टर के पास जाता है।

श्री रामकरणसिंह : मैं तो यह पूछ रहा हूँ कि डाइरेक्टर देता है उसमें तो भेदभाव नहीं रहता है, लेकिन उनका वितरण एवाइज़री कमेटी की रिकमन्डेशन पर क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये सारी रिकमन्डेशन्स आती हैं, उसके बाद फिर एग्ज़ामिन किया जाता है। उसके लिए स्क्रिनिंग कमेटी बैठी हुई है। वह पहले एक्ज़ामिन करती है, उसके बाद में वह उचित समझती है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।

श्री रामकरणसिंह : तो मेरी यह बात सही है या आपकी बात सही है? केवल डाइरेक्टर से नहीं, बल्कि उसके साथ साथ एडवाइज़री कमेटी भी है जो इनके बारे में अपनी सिफारिशें करती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : दुरुस्त ही नहीं; बिल्कुल ठीक है; यही मान कर चलना चाहिये।

श्री रामकरणसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने सारा प्रोसीजर तो बता दिया, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स से अर्जियां आती हैं उनको कौन सी एडवाइज़री कमेटी देखती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अलग अलग जिलों में कमेटियां बनी हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज़ ऑफिसर वहां से रिकमन्ड करके भेजता है उसके बाद में सारा प्रोसीजर होता है; जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि

(श्री रामकरणसिंह)

डिस्ट्रिक्ट जयपुर के लिए जो कमेटी बनी हुई है उसमें सारे के सारे उद्योगपति ही मेम्बर हैं बाहर का कोई नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एडवाइज़री कमेटी के कौन कौन मेम्बर्स हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : डिस्ट्रिक्ट एडवाइज़री कमेटी जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिये बनी हुई है उसमें कोई बाहर का आदमी नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बाहर से आपका मतलब, गांव का कोई आदमी नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आपको इस बारे में स्टेटमेंट दिया है वह देख लें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं, एडवाइज़री बॉडी में जयपुर शहर के बाहर का कोई रिप्रेज़ेन्टेटिव नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

राजस्थान पुरालेख विभाग के केन्द्रीय कार्यालय का बीकानेर स्थानान्तरण

२१७. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान पुरालेखा विभाग के केन्द्रीय कार्यालय का बीकानेर स्थानान्तरण हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी हां, क्योंकि यहां यह विभाग सिटी पैलेस, जयपुर में स्थित था जहां पर स्थान की काफी कमी थी और भवन जयपुर महाराजा की व्यक्तिगत मिल्कियत में था तथा उसमें और कमरे बनाने के लिये जगह भी नहीं थी । इसलिए यही उचित समझा गया कि पुरालेखा विभाग को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाय । बीकानेर में जनरल रेकॉर्ड का भवन, जो कि खास तौर पर पुरालेखा विभाग के लिये ही बीकानेर स्टेट के समय बनाया गया था, उपयुक्त समझा गया । केन्द्रीय पुरालेखा विभाग, नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा भी उस भवन का निरीक्षण किया गया तथा उनकी राय के अनुसार इस विभाग का स्थानान्तरण बीकानेर किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस विभाग के अन्तर्गत जितनी भी समितियां हैं उन समितियों की बैठक जयपुर में होती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है इस विभाग के शिफ्ट करने के बाद एक्सपेन्डीचर, सिवाय ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट के सारा काम जयपुर में होता है; इस तरह से दो जगहों पर खर्चा होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आप सूचना दे रहे हैं, इसका अलग से पता लगा सकता हूँ।

तहसील देसूरी में बीघोड़ी की अधिक दर

२१८. **श्री मोतीबाबा चौधरी** (बाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पाली जिले की तहसील देसूरी के २६ गांवों में बीघोड़ी की रेट सात रुपया पांच आना प्रति बीघा के हिसाब से लगाई गई है जो बहुत ही अधिक है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं। जो रेट कायम की गई है वह नियमानुसार, उचित है।

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या इस बारे में काश्तकार राजस्व मन्त्री महोदय से मिले थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मिले होंगे, मुझे याद नहीं पड़ता; लेकिन जो रेट्स लगाई गई हैं वह बिल्कुल ठीक हैं।

श्री बेनाराम गहलोत : आप से एक डेपुटेशन मिला था, उस पर आपने आश्वासन दिया कि विचार किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डेपुटेशन मिलते हैं और जांच करवा कर ही मैं कह रहा हूँ जो कुछ जवाब दिया गया है वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

लूणकरणसर–सूरतगढ़ सड़क

२१९. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लूणकरणसर से सूरतगढ़ तक सड़क बनाने की योजना स्वीकृत की जा चुकी थी और इस सम्बन्ध में सड़क निर्माण का ठेका भी दिया जा चुका था ? अगर हां, तो इस सड़क का काम क्यों बन्द कर दिया गया ?

(२) इस सड़क निर्माण की स्वीकृति देने के क्या आधार थे ?

(३) इस सड़क निर्माण में कुल कितनी धन–राशि खर्च करने का अन्दाज था तथा यह बची हुई धन–राशि किस काम में खर्च की जा रही है ?

(४) क्या सरकार को विदित है कि इस सड़क का निर्माण व्यापारिक एवं प्रशासनिक कारणों से अत्यावश्यक है क्योंकि इसके निर्माण से गंगानगर जिला हैड क्वार्टर का बीकानेर तथा गंगानगर जिले की मुख्य मुख्य मन्डियों से सम्बन्ध हो जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां। कुछ भाग में सूरतगढ़ से बिखवाल तक कार्य चालू रहेगा, बाकी लूणकरणसर से हाई पॉवर्ड कमेटी की इच्छानुसार मुल्तवी कर दिया गया है।

(२) राजस्थान नहर योजना की उन्नति के लिये।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस सड़क पर ६,७०,००० रु० व्यय करने की योजना थी ।

कार्य अभी चालू है; बचत का प्रश्न नहीं उठता ।

(४) जी हां ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि इस सड़क का ठेका दे दिया गया था और उसके लिये मिट्टी और कंकरों का कलेक्शन भी हो गया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : काम तो चालू है ।

श्री भीमसेन : काम तो लूणकरणसर सड़क का प्रारम्भ है; लेकिन मेरी यह प्रार्थना है कि इसका कॉन्ट्रेक्ट दे दिया गया, फिर उसको बिना पूरा किये रोक क्यों दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : सड़क तो सारी की सारी बनेगी । सड़क नहीं बनेगी, यह बात नहीं । सेकन्ड पंचवर्षीय योजना में यह योजना थी, अब तीसरी में बनेगी ।

श्री भीमसेन : प्रश्न तो यह है कि जो मिट्टी का काम हो चुका है दस मील का उसको नहीं लिया जावे तो फिर सारा ही काम खराब हो जावेगा, पैसा बर्बाद होगा । इसलिये इतना तो पहले कर लेने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री हरिश्चन्द्र : इसकी और जांच करा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ।

भवन व सड़कों सम्बन्धी मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही

२२०. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार की ओर से भवन व सड़कों से सम्बन्धित एक मूल्यांकन समिति की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त समिति ने अपना कोई प्रतिवेदन भी सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या उक्त प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार करके कोई निर्णय भी लिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? सूची सदन की मेज़ पर रखी जावे ।

(४) यदि अभी निर्णय नहीं लिया, तो क्यों और अब कब तक उस पर विचार करके निर्णय लिया जा सकेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): इसके लिये और समय चाहते हैं, इसके बाद जवाब देंगे ।

अकालग्रस्त चूरू जिले में काश्तकारों से लगान की वसूली

२२१. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

Page No.14

(श्री किशनाराम)

(क) क्या यह सही है कि चुरू जिले के अकाल गस्त होते हुए भी वहां काश्तकारों से लगान वसूली की कार्यवाही चालू है ? अगर हां, तो क्यों ?

(ख) क्या सरकार जिले में जो जो ग्राम अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किये हैं उनकी दुबारा जांच करवा कर अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करवाने का इरादा कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास); (क) चूरू जिले के अकाल ग्रस्त ग्रामों में लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है।

(ख) जी नहीं।

श्री किशनाराम : आपने फरमाया कि चूरू जिले की लगान वसूली बन्द कर दी गई है; पर मैं निवेदन करूं कि वहां पर धड़ाधड़ लगान वसूली हो रही है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है वह गलत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया है वहां वसूली नहीं हो रही है, दूसरे गांवों में हो रही है।

श्री किशनाराम : 'ख' का क्या जवाब दिया आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री किशनाराम : क्यों दिया आपने यह 'जी नहीं' ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इसलिए दिया उत्तर मैंने आपको कि चूरू जिले में फसल खरीफ की खराब है, यह गश्त गिरदावरी में नोट की गई। पटवारी, गिरदावर, इन्सपेक्टर सब ने उसे जांचा। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कहीं कहीं कलेक्टर ने भी उसकी जांच करके १८० गांवों को अभाव-ग्रस्त घोषित किया। उन गांवों में वसूली बन्द है। बाकी जिनमें फसल ठीक हुई वे अभाव-ग्रस्त घोषित नहीं किये गये। इसकी काफी जांच हो गई है। अब जांच कराने की दुबारा जरूरत नहीं।

श्री किशनाराम : मैंने प्रश्न किया कि दुबारा जांच कराई जावे ? आप दुबारा जांच कराने के लिये तैयार नहीं। आप अपने नीचे के राजस्व मण्डल के आदमियों पर, पटवारी, तहसीलदार की बातों पर विश्वास करते हैं पर हमने; जनता के प्रतिनिधियों ने, जो बात आपके सामने रखो उसको आपने ठीक नहीं माना। हमारे कहने पर आप दुबारा जांच कराने के लिये भी तैयार नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच हो नहीं सकती। न जमीन पर वहां अब काश्त है, न कुछ और। फसलें काट कर लोग ले गये। आपने खुद ने जिलाधीश को लिख कर दिया वह भी २० फरवरी को दिया। उस वक्त भी फसलें खेतों पर थीं नहीं। जांच तो उसी वक्त हो सकती थी। इसका पूरा व्योरा है, काफी एलेबोरेट प्रोसीजर है, ऐतराज करनेवालों के लिये इसमें काफी गुंजाइश है। ऐतराजों पर कलेक्टर जांच की है और जांच के दौरान में गांवों के पंच, सरपंच बराबर साथ रहे हैं।

श्री किशनाराम : माननीय मन्त्री

(श्री किशनाराम)

महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। रतनगढ़ के तहसीलदार को फरवरी की २० तारीख को मीटिंग में तय करके रिपोर्ट दी, मैं भी उसमें था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने भी यही अर्ज किया है, २० फरवरी ही मैंने कहा है। २० फरवरी को आप ही ने कलेक्टर को लिख कर दिया था।

श्री किशनाराम : मैंने स्वयं ने दिया है कि इसकी दुबारा जांच करावें। जिन इलाकों को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया उनमें तिनका भी नहीं है। किसान सारे के सारे तबाह हैं। पर फिर भी रतनगढ़ का तहसीलदार वारन्ट और कुर्कियां निकाल रहा है। आप कलेक्टर की बात मान लेते हैं, पर जन प्रतिनिधियों की हमेशा उपेक्षा करते हैं। हम हमेशा से जानते हैं आपको।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी बात को रिजेक्ट नहीं करता। सही मानते हुये भी दुबारा जांच हो नहीं सकती। नतीजा नहीं निकाल सकते। वहां फसल ही नहीं खड़ी है, तो जांच क्या होगी? फसल का वक्त तो अक्टूबर-नवम्बर था, अब तो सब कट चुकी।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अकाल में आप सारे प्रकार का विचार करते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां; that goes without saying. जहां जरूरत है वहां अपने आप कायदे से रिलीफ मिलेगा।

श्री किशनाराम : आप श्रीमान् पटवारियों की, जो पचास रुपये के नौकर हैं, उनकी राय को सही मानते हैं और एक एम. एल. ए. के लिये यह कहा जाता है कि जो वह कहता है वह झूठ है। पचास रुपया पाने वाले की रिपोर्ट आती है वह सही है। मैं इस बात पर चैलेन्ज करता हूँ कि मेरी बातों में एक भी अगर बात झूठ हो तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। आप एक दिन वहां पदार्पण करके स्वयं देखें कि चूरू जिले को अकाल-ग्रस्त घोषित होना चाहिये, पर नहीं किया आपने।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से जवाब लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कई दफा 'ना' कह दिया।

श्री किशनाराम : पर हमारा जो अधिकार है कि हम जांच करवाना चाहते हैं?

पाली कॉलेज भवन का निर्माण

२२२. **श्री मूलचन्द डागा** (पली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पाली कॉलेज भवन बन कर कब तक तैयार हो जायेगा?

(ख) क्या सरकार का कॉलेज भवन बनने के पूर्व फर्स्ट इयर क्लासेज़ किसी दूसरो किराये की बिल्डिंग में आगामी वर्ष से शुरू करने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

Page No.16

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जिलाधीश पाली, को इस विषय में पहले से ही लिख दिया गया है कि जुलाई ६१ तक कम से कम आठ कमरे तैयार करके शिक्षा विभाग को दे दें। यदि कोई उपयुक्त भवन किराये पर या राजकीय भवन तैयार न होने तक की दशा में जुलाई ६१ तक मिल सका तो, सरकार पाली में कॉलेज कक्षाएं जुलाई ६१ से खोलने का विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री किशनाराम।

तहसील रतनगढ़ के ग्रामों को अकाल-ग्रसित घोषित करना

२२३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि तहसील रतनगढ़ के बहुत से पटवारियान ने झूठी फसल दिखा कर पंच, सरपंचों के दस्तखत गस्त गिरदावरी पर नहीं करवा कर पूरी फसल वाले कागजों पर कराये जिससे बहुत से ग्राम अकाल ग्रस्त होते हुए भी अकाल ग्रस्त नहीं माने जा सके; जैसे सांवतिया, हलका, पड़िहारा, तथा हापुसर, भानुन्दा वगैरह ?

(ख) क्या सरकार इन गांवों को दुबारा जांच कमेटी बैठा कर अकाल-ग्रस्त घोषित करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार इस तरह से झूठी फसल दिखाने वाले पटवारियों के खिलाफ ग्रामीणों से पूछताछ करके जांच कार्यवाही करेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी नहीं। गश्त गिरदावरी पर पंच या सरपंचों के दस्तखत कराने का कायदा नहीं है; बल्कि घटना बही में उन पंच व सरपंचों व चौधरी के दस्तखत होते हैं जिनके साथ पटवारी गिरदावरी करता है ग्राम सांवतिया में सवा आठ आने फसल होने के कारण अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया। ग्राम हापुसर व भानुन्दा में क्रमशः फसल पौने तीन आने व साढे सात आने होने के कारण उनको अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया।

(ख) जी नहीं। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री किशनाराम ; आपने यह बताया कि ग्राम सांवतिया में सवा आठ आने फसल थी। तो उसमें चौधरी और वहां के नम्बरदार और पटवारी ने कितनों की रिपोर्ट दी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चौधरी और पटवारी की कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री किशनाराम : फिर उत्तर क्यों दिया आपने ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने पूछा इसलिये उत्तर दिया।

श्री किशनाराम : मैं भी जबाब में अर्ज कर दूं कि वह इलाका अकाल-ग्रस्त था और वहां पर अभी मेरे खर्चे से मैं आपको ले जा सकता हूँ। आप ऐसा उदाहरण तो पेश कर दीजिये। मैं मेरे खर्चे से आपको वहां ले जा सकता हूँ। वहां बिल्कुल महाअकाल है और

(श्री किशनाराम)

वहां के पटवारी ने, चौधरी ने आठ आने से नीचे की रिपोर्ट दी थी । तहसीलदार, एस० डी० ओ० वगैरह तो फसल कटने के बाद पधारे और अपनी ड्यूटी अन्जाम देने के लिये पटवारी ने जो आंकड़े दिये थे उनको घटा घटा कर एवरेज बढ़ा दिया और उस पर यह गांव सवा आठ आने में आ गया। दुबारा जांच करावें तो आपको मालूम हो। आप चलें और जांच करावें नहीं तो आपकी मर्जी है, पर आप जाना नहीं चाहते; क्योंकि आपके लिये जितने दिन चलेगा वहां तो ठीक ही है आपके लिये तो।

श्री दामोदरलाल व्यास: पहले मैंने जैसे अर्ज किया वही बात इसमें भी है। इसकी भी शिकायत आपने २० फरवरी को की थी। जैसा मैंने अर्ज किया पहले इसकी खुद कलेक्टर ने और एस. डी. ओ. ने, सब ने जांच कर ली थी। २० फरवरी को दुबारा जांच करना मुमकिन नहीं था। फसल तो अक्टूबर-नवम्बर में कट जाती है। फरवरी में जांच नहीं हो सकती है। अब यह हो सकता है कि वहां हालत बहुत अच्छी न हो। पर फसल घोषित नियम के अनुसार आठ आने से ज्यादा है; आप यह तो मानेंगे और इसलिये उसे अकालग्रस्त नहीं घोषित किया जा सकता था। बाकी जहां तीन आना या चार आना थी वहां अकाल—ग्रस्त घोषित हो गये।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): क्या इस घटना—वही पर पंच, सरपंच के दस्तखत कराये?

श्री दामोदरलाल व्यास: जी हां।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): खराबी को दर्ज करने से पहले सम्बन्धित गांव के लोगों को ऑब्जेक्शन के लिये मौका देते हैं पर इस मामले में उन नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिये यह शिकायत की गई?

श्री दामोदरलाल व्यास: प्रावधान है नियमों में इन सब का। गश्त गिरदावरी के बाद पब्लिक नोटिस जारी किया जाता है और ऑब्जेक्शन इन्वाइट किये जाते हैं और फिर तीन दिन या चार दिन का टाइम मिलता है, फिर तहसीलदार मौके पर जाते हैं। वही प्रोसीजर सब जगह है।

श्री भीमसेन: यह बिल्कुल गलत बात है। बीकानेर जिले की जिला परिषद् ने भी इसी तरह का एक प्रस्ताव पास किया था कि नियमों का पालन नहीं किया गया। यही चूरू में हुआ। इनके अभाव में शिकायतों का मौका मिलता है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री किशनाराम: इम्पार्टेन्ट मैटर है। नोटिस दिये जाने की बात कहते हैं। न नोटिस है, न कागज ही। यहां सदन में आकर वे ऐसी बातें कहते हैं। वहां तो गश्त गिरदावरी का पर्चा अब तक नहीं दिया गया। जो दिया गया उसमें खराबी का खाना नहीं है जिससे कि किसी बात का पता चल सकता हो कि तुम्हारे खेत खराबी में हैं या फोकट में हैं। कलेक्टर तक तो आप विश्वास कर लेते हैं पर जन—प्रतिनिधि को जूते लगा कर बाहर निकालते हैं, यह तो बर्ताव है उनका। मेरे क्वेश्चन, मेरे प्रश्न के कारण, मेरे खिलाफ और मेरे किसानों के खिलाफ रंजिश के

(श्री किशनाराम)

कारण कुर्की की है । पंचायत के प्रधान और उप-प्रधान के कहने पर भी विश्वास नहीं किया गया । उस पर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कार्यवाही नहीं करते हैं और तहसीलदार, पटवारी और कलेक्टर के कहने पर कार्यवाही करते हैं । प्रश्न करने पर जहां यह जवाब आना चाहिये कि दुबारा जांच करा लेंगे वह नहीं कराते हैं । वहां तो घोर अन्याय हो रहा है जन प्रतिनिधियों के साथ में ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौनसी तहसील की बात करते हैं !

श्री किशनाराम : रतनगढ़ तहसील में ।

श्री दामोदरलाल व्यास : रतनगढ़ तहसील में ४७ गांव अभाव-ग्रस्त घोषित कर दिये गये ।

श्री किशनाराम : पर सांवतिया ग्राम की दुबारा जांच कराने के हक में हैं या नहीं ? मैं तो यह प्रश्न पूछता हूँ आपसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे चुका हूँ ।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, एक उप-प्रधान, एक एम० एल० ए० और प्रधान पंचायत समिति की स्टेन्डिंग कमेटी के चेयरमैन ने रिपोर्ट दी। माननीय मन्त्रीजी एक दम अवहेलना कर रहे हैं और पटवारी और कलेक्टर की बात मानते हैं और हमारी बात नहीं मानते हैं, यह क्या बात है ? मैं एक बात चाहता हूँ कि क्या आप इसकी दुबारा जांच करायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जिस प्रश्न पर वाद-विवाद हो रहा है उनकी २० फरवरी को शिकायत की है । अब उसके ऊपर दुबारा जांच कराने के बारे में माननीय सदस्य कहें तो सरकार के लिए बहुत मुश्किल है । किसी प्रतिनिधि की बात नहीं मानने का सवाल नहीं हैं, लेकिन समय पर सूचित करना चाहिए था कि इसमें कुछ दिक्कतें पैदा हो रही हैं ।

श्री किशनाराम : ठीक है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यहां वकालत उनकी की है । मैं कहता हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को चूरू जिले के प्रधानों ने हर समय दो-दो उम्मीदवारों ने यह सूचना दी कि सारा जिला अकाल-ग्रस्त हो गया,उसमें कलेक्टर ने बिल्कुल लापरवाही बरती.है और पंचायत समितियों के डिसीज़न को कभी नहीं माना है और जिला परिषद् की मीटिंग ने इसको अकाल-ग्रस्त घोषित किये जाने की सिफारिश की है और उसके ऊपर कुछ नहीं किया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या २० फरवरी के पूर्व वहां के सम्बन्धित जिलाधीश को या सरकार को कोई सूचना प्रधान, उप-प्रधान या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा नहीं मिली कि इस प्रकार की स्थिति वहां पर है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस पर्टिक्यूलर विलेज के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं, २० फरवरी को माननीय सदस्य ने लिख कर दिया था ।

श्री किशनाराम : आपने माननीय सदस्य की इतनी इज्जत रखी, उसकी कम से कम इन्क्वायरी तो करा लेते? एस० डी० एम०, रतनगढ़ जो कुछ कहेंगे हम विश्वास करते हैं। लेकिन आपने जांच क्यों नहीं करवाई? वह किसानों से रंजिश रखते हैं और आपकी मेहरबानी से रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट डॉ० चन्द्रकला।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर तो कम से कम दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : काफी बहस हो चुकी है।

(विराम)

डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर की गैर सरकारी (मान्यता प्राप्त) संस्थाएं

२२४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल, बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) इस समय जयपुर शहर में कुल कितने गैर सरकारी (मान्यता प्राप्त) कॉलेज, हाईस्कूल, मिडल स्कूल, प्राइमरी स्कूल और कोचिंग इन्स्टीट्यूट्स हैं? कृपया सूची दें।

(ख) इन शिक्षण संस्थाओं पर सरकार का कितना और किस प्रकार का नियन्त्रण है?

(ग) क्या यह सच है कि इनके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी संस्थायें चल रही हैं जो शिक्षा के नाम पर दूकानदारी का काम करती हैं? यदि हां, तो क्या उन पर भी नियंत्रण करने के लिए सरकार का कोई विचार है?

(घ) क्या यह सच है कि ऐसी संस्थाएं विद्यार्थियों के शिक्षा-स्तर को गिराने के साथ साथ हमारे समाज में नैतिक हीनता को भी बढ़ावा देती हैं?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जयपुर शहर के गैर सरकारी (मान्यता प्राप्त) कॉलेजों, हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों व प्राइमरी स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) सभी गैर सरकारी (मान्यता प्राप्त) शिक्षा संस्थायें एजुकेशन बोर्ड में निर्धारित नियमों को मानने के लिए बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा समय समय पर निकलने वाले आदेशों का पालन भी किया जाना आवश्यक है। आय-व्यय का सरकार द्वारा निरीक्षण किया जाता है। यदि राजकीय आदेशों के पालन में कोई कमी पाई जाती है तो राजकीय अनुदान देने से वंचित रखा जा सकता है।

(ग) जी हां। उन पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती, क्योंकि वे विश्वविद्यालय या बोर्ड से सम्बन्धित नहीं हैं।

(घ) इस प्रकार की सरकार के पास कोई शिकायत नहीं है। यदि किसी खास संस्था का नाम बतलाया जावे जो नैतिक-हीनता को बढ़ावा देती हैं तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

Page No.20

डॉ० चन्द्रकला : क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची दी गई है जयपुर शहर की शिक्षण संस्थाओं की उसमें लालसोट, चांदीकुई, मेंहदीपुर, सारंगपुर की संस्थाओं का नाम किस आधार पर सम्मिलित किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आ गये तो एतराज क्या हो गया ? गलती में आ सकते हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : कोई आधार भी तो हो सकता है क्योंकि ये शिक्षण संस्थायें जयपुर की हैं । जो दूसरी शिक्षण संस्थायें हैं जो कि विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित नहीं हैं क्या मन्त्री महोदय की जानकारी में नहीं है कि इस प्रकार के कॉलेज; जैसे रावत कॉलेज, शिव गंगा कॉलेज हैं जिनमें कि जयपुर के बहुत से नागरिक शिक्षा पाते हैं, क्या इन कॉलेजों की जानकारी हमारे शिक्षा विभाग को नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर मैं (ग) में दे चुका हूँ ।

डॉ० चन्द्रकला : तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ऐसी संस्थायें हैं, लेकिन हम उनका नियंत्रण नही कर सकते हैं । तो जो ऐसी संस्थायें हैं जिनमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उन पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो क्या यह नहीं माना जाये कि इसका हमारी शिक्षा पर असर पड़ता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि उनमें विद्यार्थियों को जाना नहीं चाहिए ।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : क्या यह सही है कि जो बच्चे कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ते हैं वही उनमें टाइम मिलने पर पढ़ने के लिए जाते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि ऐसे इन्स्टीट्यूट्स बाहर के दूसरे दूसरे विश्वविद्यालयों से और दूसरी परीक्षाओं में, वहां का निवासी बता कर, वहां के सारे नियमों का पालन करवा कर परीक्षाएं दिलवाते रहते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं (ग) में जो कुछ कह चुका हूँ मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न उससे सम्बन्धित नहीं रहता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरवलाल 'काला-बादल' ।

खानपुर हाई स्कूल की इमारत का निर्माण

२२५. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा–सु०) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला झालावाड़ में कुल कितने हाई स्कूल किन किस स्थान पर हैं ?

(ख) हर स्कूल में छात्रों की कितनी कितनी संख्या है ?

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि इमारत की कमी और छात्रों की अधिकता वाले हाई स्कूलों की इमारतों को बढ़ाया जावे ?

Page No.21

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(घ) खानपुर हाई स्कूल की इमारत को पूरा करने में कितना खर्चा होने की उम्मीद है और उसको कब तक पूरा कराई जा सकेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जिला झालावाड़ में कुल ४ हाई स्कूल्स निम्नलिखित स्थानों पर हैं :—

१. भवानी मण्डी

२. अकलेरा

३. झालरापाटन

४. खानपुर

(ख) छात्रों की संख्या इस प्रकार है:—

१.	हाई स्कूल, भवानी मण्डी	३७६
२.	हाई स्कूल, अकलेरा	३१३
३.	हाई स्कूल, झालरापाटन	३५३
४.	हाई स्कूल, खानपुर	४८१

(ग) जी हां। और फण्ड्स उपलब्ध होने पर सरकार इमारत के बढ़ाने की व्यवस्था कर सकती है।

(घ) हाई स्कूल, खानपुर के भवन निर्माण हेतु ५०,००० रुपये खर्चे की उम्मेद है जिसमें से १०,००० रुपये गत वर्ष स्वीकृत कर पी० डब्ल्यू० डी० को आदेश भेज दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या २२६

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री किशनाराम।

राजस्थान का इतिहास लिखवाने की योजना

२२७. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सरकारी स्तर पर राजस्थान का इतिहास लिखवाने की योजना क्रियान्वित हो रही है ? कृपया योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या यह सही है कि इस योजना के सम्बन्ध में सरकार की ओर से कई समितियां बनाई गई हैं तथा उनमें देश के अन्य भागों के विद्वानों को भी सदस्य रूप में लिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को तथा किस आधार पर ?

(ग) क्या यह सही है कि इन समितियों में जिलों के आधार पर सदस्यों को नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) इन समितियों में लिये गये सदस्यों की योग्यतायें, उनके निवास स्थान तथा उन द्वारा इतिहास के क्षेत्र में दिये गये योग-दान क्या क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) जी हां, योजना की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(ख) जी नहीं, राज्य सरकार ने यह कार्य केवल दो मण्डलों के सुपुर्द किया है: एक परामर्शदाता मण्डल तथा दूसरा संपादक मण्डल। इन मण्डलों में देश के अन्य प्रान्तों के इतिहासज्ञों को भी लिया गया है। सदस्यों की नामावली, उनका संक्षिप्त परिचय तथा उनके ऐतिहासिक क्षेत्र में किये गये कार्य का विवरण प्रश्न 'घ' के उत्तर में अंकित कर दिया गया है।

(ग) जिलों के आधार पर सदस्य नहीं लिये गये हैं क्योंकि इतिहास लेखन कार्य विद्वानों को सौंपा जाता है, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव करना संभव नहीं है।

(घ) इस सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री किशनाराम : जो आपने दो मण्डल बताये, मुझे जो लिस्ट मिली है एक हिन्दी में और एक अंग्रेजी में तो हिन्दी में तो किसी का नाम है और अंग्रेजी में किसी दूसरे का। तो इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हिन्दी में और नाम और अंग्रेजी में और नाम; ऐसा नहीं हो सकता।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हिन्दी की लिस्ट में एक का नाम है और अंग्रेजी में दूसरे का है; ऐसा फर्क क्यों हो गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरा ख्याल है कि कुछ समझने में फर्क हो सकता है।

श्री किशनाराम : हिन्दी की जो लिस्ट है उसके आठवें नम्बर पर डॉ॰ आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव, आगरा कॉलेज, आगरा में इतिहास विभाग के अध्यक्ष का नाम है और जो इंगलिश में लिस्ट है उसमें श्री अगरचन्द नाहटा का नाम है और नम्बर ६ पर श्री एन. आर. खड़गावत, डाइरेक्टर ऑफ आर्काइव्स, राजस्थान है; तो यहां पर इतनी गडबड़ हो सकती है तो हमारे रतनगढ़ में तो कितना हो सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप बाद में मुझसे मिल लें, मैं सब कुछ बता दूंगा।

श्री किशनाराम : यह तो सदन में समझाने की बात है, घर में तो आप चाहे जो समझा दें; पब्लिक को भ्रम होता है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पब्लिक को भ्रम होने की बात ही नहीं है। जैसे आपने डॉ॰ आशीर्वादीलाल का नाम लिया, मैं समझता हूँ कि यहां के बहुत से माननीय सदस्य उनसे परिचित होंगे। डॉ॰ मथुरालाल और खड़गावत आदि का नाम लिया तो ये कौन कौन हैं, आप सब बता सकते हैं। मैं निवेदन कर दूं कि इतिहास के लेखन का सारा कार्य जिसको हम प्योरली हिस्टोरिकल दृष्टि से कहें कि जो ट्रीटी हुई हैं, युद्ध हुए हैं, बिल्कुल सांस्कृतिक आधार जो रहा है उसको भी पेश करना इसके पीछे आधार है और दूसरे व्यक्ति भी उपयोगी होंगे, इस ख्याल से इनको रखा है।

Page No.23

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : नाहटाजी सिर्फ पुरानी भाषाओं के जानकार हैं, इतिहास से तो उनका सम्बन्ध नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सांस्कृतिक दृष्टि से भाषा का भी बहुत बड़ा स्थान हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सांस्कृतिक आधार पर सामग्री एडिटोरियल बोर्ड इकट्ठा करता है या एडवाइज़री बोर्ड करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एडिटोरियल बोर्ड करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर एडवाइज़री बोर्ड क्या करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सारा मैटर इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद एडवाइज़री बोर्ड की एडवाइस ली जाती है। अल्टीमेटली संकलन का कार्य तो एडिटोरियल बोर्ड ही करता है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : डॉक्टर श्रीवास्तव का राजस्थान के लिये क्या कॉन्ट्रिब्यूशन रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे राजस्थान में काफी अर्से तक रहे हैं। वे बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं कन्ट्री के और जैसा कि पहले कहा जा चुका है राजस्थान के और बाहर के व्यक्तियों का सहयोग लिया गया है ताकि अच्छी बातें ली जायं। ऐसे व्यक्तियों का सहयोग मिल सके तो यह एक बहुत बड़ी बात है; इसमें दो राय नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : डॉक्टर श्री वास्तव अभी कहां हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें लिखा है, आगरा में हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो इतिहास लिखा जायगा उसमें स्टेट्स के जमाने में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी उसका भी उल्लेख आयगा क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह भी इसके साथ में आ सकता है।

श्री किशनाराम : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा प्रश्न है जो बहुत बड़े महत्व का है, उसको शायद आप समझे नहीं हैं। हिन्दी में जो लिस्ट दी गई है उसमें आठवें नम्बर पर डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव का नाम है और दूसरी लिस्ट जो अंग्रेजी में है उसमें ८ वें नम्बर पर श्री अगरचंद नाहटा का नाम है और फिर एन. आर. खड़गावत का नाम है। इस तरह से अलग अलग लिस्टों में अलग अलग नाम होने से हमको बड़ा भ्रम होता है।

श्री अध्यक्ष : दो विभिन्न बोर्ड हैं। एक बोर्ड में नं० ८ पर एक व्यक्ति का नाम है और दूसरे बोर्ड में आठवें नंबर पर दूसरे व्यक्ति का नाम है।

सहायक संचालक, शिक्षा विभाग, जयपुर के डिविजन में मिडल व बी. एफ. की ग्रेड वाले अध्यापक

२२८. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली):

(श्री रामकरणसिंह)

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सहायक संचालक, शिक्षा विभाग, जयपुर के डिविजन में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो ट्रेन्ड मैट्रिक या इससे अधिक योग्यता रखते हुए भी मिडल व बी. एफ. की ग्रेड में हैं?

(ख) क्या यह सत्य है कि मिडिल पास को शिक्षा विभाग में अध्यापक के स्थान पर नियुक्ति नहीं दी जाती है? यदि हां, तो कब से? ऐसी स्थिति में मिडल की ग्रेड क्यों रखी गई है?

(ग) अब जो अध्यापक मिडल की ग्रेड में हैं उनको मैट्रिक की ग्रेड कब तक दे दी जायगी?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया: (क) जयपुर डिविजन की सरकारी पाठशालाओं में ऐसे ७ अध्यापक व अध्यापिकाएं हैं जो ट्रेन्ड मैट्रिक होते हुए भी अन्ट्रेन्ड मिडल ग्रेड में हैं। इनमें से २ अध्यापकों ने तो सन् ६० में ही मैट्रिक की योग्यता प्राप्त की है। जिन अध्यापकों ने जुलाई, ६० में मैट्रिक पास किया है उन्हें जुलाई से तथा जो पहले से ट्रेन्ड मैट्रिक हैं अर्थात् १.४.५१ से जो भी बाद में हो, दिये जाने के आदेश जारी कर दिये गए हैं।

(ख) १.४.५६. के पश्चात् मिडिल पास अध्यापक व अध्यापिकाओं की नियुक्ति नहीं की जाती क्योंकि न्यूनतम ग्रेड मैट्रिक ग्रेड रखा गया है, परन्तु ऐसे अध्यापक व अध्यापिकाएं जो इससे पहले से ही नौकरी में हैं और अभी तक मैट्रिक पास नहीं हैं वे ही अनट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड में कार्य कर रहे हैं। जो मैट्रिक पास हैं और मिडिल ग्रेड के पदों पर कार्य कर रहे थे उन सब को मैट्रिक ग्रेड दे दी गई है।

(ग) मिडल पास अध्यापक व अध्यापिकाओं को मैट्रिक की योग्यता प्राप्त करने पर मैट्रिक की ग्रेड दे दी जावेगी।

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): तो क्या आगे चल कर मिडल ग्रेड समाप्त हो जायगा, जब कि मिडल पास अध्यापक लेते ही नहीं तो मिडल ग्रेड समाप्त कर दिया जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यही उद्देश्य है।

श्री अध्यक्ष: श्री किशनाराम।

ग्राम पड़िहारा में हायर सेकन्ड्री स्कूल व लोहा, बछरारा व लधासर में मिडल स्कूल खोलने की मांग

२२६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार तहसील रतनगढ़ के ग्राम पडिहारा में हायर सेकिन्ड्री स्कूल व लोहा, बछरारा व लधासर में मिडिल स्कूल कब तक खोलने का विचार रखती है? क्या यह भी सत्य है कि पंचायत समिति, रतनगढ़ व वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी

(श्री किशनाराम)

उक्त स्कूल्स खोलने की सिफारिश सरकार को की है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (१) ग्राम पड़िहारा, तहसील रतनगढ़ में हायर सेकेन्ड्री व लोहा व लंबासर में मिडल स्कूल बनाने के लिए अन्य स्कूलों के साथ सरकार विचार कर रही है ?

(२) पंचायत समिति, रतनगढ़ और वहां के शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी उक्त स्कूल्स खोलने की सिफारिश की है। प्राथमिक शाला बछरारा के लिए कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

श्री किशनाराम : यह इस साल में करवा दी जायगी क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर मैं (१) में दे चुका हूँ।

श्री किशनारमा : सुना नहीं, साहब।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर में (१) में दे चुका हूँ।

ग्राम मिणडिया (लूणकरणसर) में अनियमित कृषि भूमि आवंटन

२३०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) ग्राम मिणडिया, तहसील लूण-करणसर में अनियमित ढंग से कृषि भूमि आवटंन किये जाने का प्रश्न कितने वर्षों से चल रहा है ?

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेशों के होते हुए भी अब तक मौके पर संबंधित व्यक्तियों का कब्जा क्यों नहीं छुड़ाया गया ?

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में उस गांव के मुखियाओं के समक्ष जांच करके सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) करीब तीन साल से।

(ख) जिन व्यक्तियोंको भूमि अनियमित ढंग से दी गई थी उनमें से ३४ फेमिलीज़ से कब्जा हटा लिया गया है, सिर्फ १२ फेमिलीज़ का कब्जा हटाने के लिये कार्यवाही चालू है।

(ग) संबंधित अधिकारी पदच्युत (रिवर्ट) कर दिया गया है।

श्री भीमसेन : क्या कब्जा हटाने की कार्यवाही बहुत शिथिल चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ३४ को कब्जा मिल गया है, १२ का ही बाकी रह गया है।

Page No.26

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

किशनगढ़ (अजमेर) के राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की कमी

२३१. **श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि किशनगढ़, जिला अजमेर के राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की कमी है ?

(ख) अगर हां, तो कितनी तथा यह कमी कब तक पूरी कर दी जायगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह बिल्कुल सत्य है कि कमी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वहां पर कुल छात्राओं की तादाद ६६ है और अध्यापिकाओं की तादाद ६ है।

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): क्या यह सच है कि जितनी अध्यापिकाएं नियुक्त हैं उतनी कार्य नहीं कर रही हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह मैं सूचना दे रहा हूँ कि वे कम हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कितनी हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : चार हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार ६ हैं, यदि ४ हैं तो जानकारी करूंगा कि ४ क्यों है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

गोगामेड़ी मन्दिर के पुजारी के हकदार की जांच

२३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) गोगामेड़ी मन्दिर के पुजारी के हकदार की जांच के लिये उपायुक्त, देवस्थान विभाग ने किन किन लोगों को कब कब, कहां कहां बुलाया ?

(ख) जिन जिन लोगों को बुलाया उनमें से कौन कब कब उपस्थित नहीं हुआ ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जांच के लिए उपायुक्त, देवस्थान विभाग स्वयं उपस्थित नहीं हुए ?

(घ) इसी बात की जांच के लिए उपायुक्त, देवस्थान विभाग ने कितने रुपये के कुल कितने टी. ए. बिल बनाये ?

(ङ) तत्सम्बन्धी जांच के बाद उपायुक्त

(श्री मुरलीधर व्यास)

ने मंदिर के जायज पुजारी की जांच की या नहीं ? यदि हां, तो उसका अधिकारी कौन है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित स्थान और तारीख पर बुलाया गया था :—

नाम	स्थान	दिनांक
श्री रतनसिंह मय शहादत	गोगामेड़ी	२४.६.५६
श्री रतनसिंह एवं श्री फतूखां	गोगामेड़ी	१४.१०.५६
श्री रतनसिंह एवं श्री फतूखां	गोगामेड़ी	६.११.५६
श्री रतनसिंह एवं श्री फतूखां	बीकानेर	२१.११.५६
श्री फतूखां गोसायल	बीकानेर	८.१२.५६
श्री फतूखां एवं अन्य मुसलमान पुजारी	गोगामेड़ी	१२.१.६०
श्री फतूखां व अन्य मुसलमान पुजारी	गोगामेड़ी	१८.१.६०

(ख) दिनांक २१. ११.५६ और ८.१२.-५६ को फतूखां का नोटिस तामील होकर नहीं आया और वह हाजिर नहीं हुआ। इसके पश्चात् २४.१२.५६ को तारीख नियत की गई। इससे पहले ही तामील कुनंदा चपरासी ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल फतुखां पंजाब की ओर गया हुआ है, नोटिस तामील नहीं हुआ।

(ग) जी हां। दिनांक २४. १०. ५६ की पेशी पर सरकारी कार्य में व्यस्त होने से व दिनांक ६. ११.५६ को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग होने से उपायुक्त नहीं जा सके। दिनांक २४. ११. ५६ व १२. १. ६० की पेशी पर नोटिस तामील होकर नहीं आने से उपायुक्त ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा।

(घ) टी. ए. २०२.१४ नये पैसा का बनाया।

(ङ) उपायुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर ने निर्णय नहीं दिया। इसकी जांच कलेक्टर, गंगानगर द्वारा कराई जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : किस वजह से उनको गोगामेड़ी बुलाने के लिए कहा था और वे लोग वहां नहीं पहुँचे और जांच करनेवाले खुद नहीं पहुँचे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैंने अर्ज किया कि किन किन तारीखों की पेशी थी और किस किस को बुलाया था। २४.१०.५६ की पेशी पर सरकारी कार्य में व्यस्त होने से व दिनांक ६. ११. ५६ को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की मीटिंग होने से उपायुक्त नहीं जा सके। दिनांक २४. ११.५६ व १२.१.६० को पेशी पर नोटिस तामील होकर नहीं आने से उपायुक्त ने वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद जिन उपायुक्त को यह काम दिया गया था उनका रिटायरमेंट हो गया। अब वे वापिस सर्विस में आ गये हैं। मौके पर नहीं जाने के जो कारणों उन्होंने बताये वे ठीक नहीं समझे गये। इसलिए उनका जवाब तलब किया गया है। अब वे वापिस नौकरी पर आ गये हैं इसलिए उनका जवाब

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आने पर आगे की कार्यवाही की जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : और यह इसका जो अन्तिम निर्णय है, इसके सम्बन्ध में जैसा आपने कहा कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को सूचित कर दिया है; क्या निर्णय किया है ! इन्क्वायरी कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, इन्क्वायरी करके मुख्य कागज़ात भेजने के लिए लिखा है।

प्रश्न संख्या २३३

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

प्रान्त में अनिवार्य प्रार्थमिक शिक्षा की योजना

२३४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

(ख) क्या इसे सफल बनाने के लिये सरकार कोई कानून बनाना आवश्यक समझती है ?

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितनी आबादी को प्रशिक्षित किया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) इसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार की निम्नलिखित योजना हैं:—

१. अतिरिक्त प्राथमिक पाठशालाएं ४,१६५
२. अतिरिक्त अध्यापक,................४,१६५
   सहायक अध्यापक................१७,८३५
३. एस. डी. आई..........................५०
४. भवन निर्माण................५,००० भवन

(ख) जो हां।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ से ११ वर्ष वाले बच्चों की ७० प्रतिशत आबादी प्रशिक्षित हो जावेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जो ७० प्रतिशत आबादी हो जायगी, क्या हर गांव में अनिवार्य रूप से हर छात्र को पढ़ाना आवश्यक है, इस प्रकार की योजना है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह तो जब इसका बिल आवेगा, इस पर आप विस्तार से विचार कर सकेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा कि अन्य प्रान्तों में हो रहा है, जो कम्पलसरी एज्युकेशन है, उसके लिए कानून है, उसके अनुसार प्रत्येक बालक को स्कूल भेजना पड़ता है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अगर नहीं भेजते हैं तो उन पर सजा होती है; क्या इस प्रकार की योजना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया, (ख) में पूछा गया था, "क्या इसे सफल बनाने के लिये सरकार कोई कानून बनाना आवश्यक समझती है ?" मैंने कहा, 'जी हां'। अब सारे गांवों के अन्दर लागू की जाय, किस तरह लागू की जाय, वे सारी बातें जब बिल आपके समक्ष आवेगा उसमें स्पष्ट हो जायंगी।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कानून कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता, कोशिश कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके उस बिल को सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

तहसील सांगानेर के लोगों को आवंटित भूमि

२०५. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सांगानेर तहसील में सन् १९५८-५९ व १९५९-६० में किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि कहां कहां और कब कब अलॉट की गई ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) यह भूमि किस आधार पर किस किस अधिकारी द्वारा किन किन नियमों के अन्तर्गत अलॉट की गई ?

(ग) इस भूमि में जो जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की कार्यवाही के अन्तर्गत किन किन को कितनी कितनी भूमि मिली है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) नं० २, ३, ४, ५ व ६ पर अंकित व्यक्तियों को भूमि जागीरदार होने के नाते डिप्टी कलेक्टर, जागीर द्वारा खुदकाश्त में व नं० ७ व ८ पर अंकित व्यक्तियों को भूमि जागीरदार होने के कारण कलेक्टर द्वारा जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के तहत दी गई है। शेष भूमि तहसील अलॉटमेंट कमेटी द्वारा राजस्थान एग्रीकल्चर लैंड अलॉटमेंट रूल्स, सन् १९५७ के अन्तर्गत दी गई है।

(ग) खण्ड (ख) में उत्तर दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या २०६

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या २२६

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या २३३

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए ।

(१२.०४ म. प.)

हाई स्कूल का गणित का पर्चा आउट होने सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

माननीय सदस्य, श्री भैरोंसिंह (विभाजन संख्या १४) ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा, जो १३-३-६१ से प्रारम्भ हुई है, का आज एलीमेन्ट्री मेथमेटिक्स का पेपर आउट हो जाने के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है । इसके बारे में निर्णय कल दिया जायगा ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : निर्णय कल दिया जाय, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्रीजी स्पष्टीकरण करें कि आगे क्या होगा ? लड़कों में अनसर्टेनटी फैली हुई है, कुछ ने परीक्षा दी है, कुछ ने नहीं दी है, जयपुर के बाहर कुछ इम्तिहान में एपिअर हुए हैं, कुछ नहीं । इसका स्पष्टीकरण हो कि दुबारा एक्ज़ामिनेशन में एपिअर होने दिया जायगा या नहीं ? क्या स्थिति है ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या पेपर आउट हुआ है ?

श्री सुखाड़िया मोहनलाल (मुख्य मंत्री): मैं कल जानकारी करके ही कह सकता हूँ । तत्काल कुछ कहना मुश्किल है ।

(१२.०८ म० प०)

आय-व्ययक १९६१-६२ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद ।

श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार द्वारा टैक्स लगाना कोई गलत नहीं था, सरकार को टैक्स लगाने चाहिए और उसका पैसा विकास के कामों में ठीक ढंग से खर्च करना चाहिए, यह कर-दाता सरकार से अपेक्षा करता है । अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में अब तक हम जो लोगों से वसूल करते हैं टैक्स का पैसा उसके बारे में हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने समय समय पर काफी आलोचना की है और इस तरह के उदाहरणों से जनता पर, कर-दाता पर बुरा असर पड़ता है । जो टैक्स का पैसा, जो एक एक पैसा कर-दाता से वसूल किया जाता है उसका सदुपयोग नहीं होता । उदाहरण के लिए, अध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर के पास फॉरेस्ट-इलाका है । उसके लिए पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्लान्टेशन की स्कीम बनाई गई थी । काफी बड़े इलाके के चारों तरफ खाई दे दी गई और गांव के लोगों का आने जाने जो का रास्ता है उसको बन्द कर दिया गया । इससे गांव वालों को आने जाने में काफी परेशानी हुई ।

(श्री भीमसेन)

लेकिन गांव के लोगों ने उसको बर्दाश्त किया क्योंकि अगर वहां पेड़ लग जाते हैं तो यह अच्छा काम होता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कर-दाता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। वहां पर एक भी पेड़ उगा नहीं है। इस तरह के उदाहरण जनता के सामने आते हैं, तो अध्यक्ष महोदय, उस पर अच्छा असर नहीं पड़ता। अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में गबन के मामलों में वृद्धि हो रही है दिन पर दिन। आज हमारे राजस्थान में ६६५ गबन के मामले सरकार के सामने हैं। ये इतने मामले आये अब तक, उनमें २४ लाख का गबन हुआ है। अध्यक्ष महोदय, यह राशि कोई छोटी राशि नहीं है। इस कारण मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कर-दाताओं से पैसा वसूल किया जाता है उसका सदुपयोग होना बड़ा आवश्यक है। इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कर-दाता सरकार से यह अपेक्षा रखता है कि उसके हित में काम हो रहा है या नहीं, जो पैसा वह दे रहा है सरकार को उस पैसे का उसके हित में उपयोग होता है या नहीं ? इस बात की अपेक्षा करना कर-दाता के लिए वाजिब है।

अध्यक्ष महोदय, हम कितनी ही सड़कों का निर्माण करें, कितनी ही नई इमारतें खड़ी करें, कितनी ही विकास की योजनाओं का संचालन करें और उनके लिए पैसा खर्च करें, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जनता सरकार से अपेक्षा रखती है कि उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।

अध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान के निर्माण से अब तक पुलिस प्रशासन की कार्यवाहियों पर दृष्टि डालें तो अध्यक्ष महोदय, हमें निराशा होगी क्योंकि गत वर्षों से हत्याओं के मामले बढ़ रहे हैं राजस्थान में, जो गत वर्षों में चोरियां हुई हैं, उनके बारे में हमारा पुलिस का प्रशासन सख्त हो, लेकिन प्रशासन में सख्ती नहीं आई है और हत्याओं के मामलों में जो मुलजिमान थे, हम अदालत का रेकॉर्ड देखें, तो अधिकांश मुलजिम बरी होते नजर आते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है। जिस व्यक्ति का कोई रिश्तेदार मर रहा है उस व्यक्ति के हृदय पर क्या गुजरती होगी ? इस तरह के सैंकड़ों हत्याओं के उदाहरण आते हैं। उनसे राजस्थान के सैंकड़ों और हजारों लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है ? यह सोचने की बात है कि पुलिस प्रशासन को किस तरह से कुशल बनायें, किस तरह से गतिशील बनायें, जिससे जो जनता की शिकायतें होती हैं उन पर ध्यान दिया जाये और जो दोषी हैं उनको समय पर समुचित दण्ड दिया जाय जिससे कि सरकार पर कर-दाता विश्वास प्रकट करें। जिस दिन कर-दाता विश्वास प्रगट करता है, मैं समझूंगा कि राजस्थान का शासन-तंत्र कुशल है और राजस्थान का कर-दाता इस बात में गौरव महसूस करेगा, प्रसन्नता महसूस करेगा और वह सरकार के खजाने में रुपया भर देगा। अगर राजस्थान के कर-दाता को भूखा भी रहना पड़े, तो अध्यक्ष महोदय, वह आधा भूखा भी रह सकता है लेकिन वह राजस्थान सरकार का खजाना भर सकता है। लेकिन इस तरह की शिकायतों की पुनरावृति नहीं हो, तो अध्यक्ष महोदय, उसको विश्वास हो सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारा

(श्री भीमसेन)

अनुभव इसके विपरीत रहता है। हमारे गांवों के किसान आज तक छोटी छोटी बातों के लिए अदालत के चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे मामलों में अदालत में पेशियें पड़ती हैं, उससे उनको परेशानी होती है।

अध्यक्ष महोदय, रोजमर्रा पटवारी की शिकायतें आती हैं, पुलिस की शिकायतें आती हैं, इससे जनता की परेशानी बढ़ती है। इसको दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह सरकार के सोचने की बात है। जितना जल्दी हमारा शासन तंत्र सख्त होगा, कुशल होगा, उतना जल्दी ही हमारे कर-दाता पर अच्छा असर पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण के लिए एक मामला बताना चाहता हूँ। एक डिप्टी एम० पी० हैं, उनका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ क्योंकि प्रसंग आ गया है, वह स्थानीय व्यक्ति हैं, वहां का रहने वाला है। सरकार का कामकाज ऐसा है कि स्थानीय व्यक्ति की उस स्थान पर नियुक्ति नहीं हो। उनका जो रवैया है, वह पुराना रवैया है, जब राजाओं का राज्य था और उस वक्त पुलिस का व्यवहार था उसी तरह का एटीट्यूड आज भी जनता के साथ है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कर-दाता टैक्स देता है वह सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा रखता है कि उनके साथ इज्जत का व्यवहार हो। कल-परसों की ही घटना है कि एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ मार पीट की गई। इस तरह आज जनता के साथ व्यवहार होता है पुलिस के द्वारा, तो यह सोचने की बात है, अध्यक्ष महोदय।

तो मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि चाहे आप हमारी जनता के लिए सड़कों का निर्माण करें, स्कूलें चलायें, विकास की योजनाएं चलायें पर तब तक उसके लिए सड़कें, स्कूलें और विकास योजनाएं बेकार हो जाती हैं जब तक कि उस पर इस तरह का आतंक छाया रहता है। अध्यक्ष महोदय, जिसके दिल पर चोट होती है वही जानता है। तो इस तरह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे शासन तन्त्र में अपने कर्तव्य को समझने और कुशलता की आवश्यकता है। स्टेट वैलफेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए हमारे शासन तन्त्र को रीओरियेन्टेशन करने की आवश्यकता है। कल एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि हमारे सरकारी अधिकारियों का एक कन्डक्ट कोड होना चाहिये। जनता के प्रति उन्हें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया था कि सरकारी अधिकारी शराब नहीं पीयें, इस तरह के नियम बनायें तो इसका असर कर-दाताओं पर अच्छा पड़ सकता है। आज कर-दाता महसूस करता है कि हमारे अधिकारी ऐसे हैं। मैं यह मानता हूँ कि सारे अधिकारी ऐसे नहीं हैं, कई अधिकारी अच्छे भी हैं, कुछ अधिकारी इस तरह के हैं। पुलिस के अधिकारी अधिकांश ऐसे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी पुराने हैं और उनका वही पुराना ढर्रा है, उनमें वही भ्रष्टाचार की भावना है। तो इस तरह सरकारी अधिकारियों के लिए नियम बनायें, जिनमें प्रावधान करें कि कोई सरकारी अधिकारी अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द न लगाये। हमारी केन्द्रीय सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को इस प्रकार के डायरेक्टिव्ज़ भेजे हैं कि हर आदमी अपने नाम के आगे

(श्री भीमसेन)

किसी तरह के जातिसूचक शब्द न लगाये क्योंकि हमारी स्टेट सिक्यूलर स्टेट है, हम एक कास्टलैस सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं । तो सरकारी अधिकारियों को आदेश दे सकते हैं कि वे अपने नाम के आगे जातिसूचक शब्द न लगायें । इसी तरह सरकारी रेकॉर्ड में भी इस तरह के आदेश दे दिये जायें कि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे जातिसूचक शब्द न लगायें ।

आज हमारे सरकारी अधिकारी हैं वे कई अपने नाम के आगे हांडा लिखते हैं, तो कई शर्मा लिखते हैं, तो खामोख्वाह इस तरह की भावना लोगों में फैलता है और उस जाति के लोग उनको अप्रोच करते हैं और इस तरह पक्षपात फैलता है । तो सारे सरकारी रेकॉर्ड में प्रावधान होना चाहिये । मैं आशा करता हूँ कि हम एक कास्टलैस सोसाइटी का निर्माण करना चाहतेहैं, उसके लिए सरकार इस प्रकार का कदम जरूर उठावेगी ।

कल मैंने प्रशासनिक खर्चे में सुधार के लिये सुझाव दिये थे कि हमारी एस्टीमेट्स कमेटी ने सुझाव दिये हैं उनको जितना जल्दी कार्यान्वित किया जायगा उतना ही जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बचत होगी । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार से न कह कर यही निवेदन करूंगा कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है, उसके अनुसार जल्दी से जल्दी सरकार प्रशासनिक खर्चे में कमी करे ।

अब मैं शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेन्डरी का, उसके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूँगा । हमारे यहां ऊन ग्रेडिंग सुपरवाइज़र्स हैं, उनका काम होता है १० मील के एरिया में अच्छे मेढ़े देना और भेड़ों के लिये दवाई सप्लाई करना और ऋण दिलाने के लिये सिफारिश करना । इसके साथ साथ केस्ट्रेशन का काम भी इनके जिम्मे है । पर सारे राजस्थान में देखा जाय तो इन लोगों को केस्ट्रेशन करना नहीं आता, दवा देना भी नहीं आता । कोलायत तहसील में मांडोल गांव है । वहां एक भेड़ पालने वाले ने ग्रेडेशन सुपरवाइज़र को अपनी भेड़ों के लिए दवाई देने के लिये अप्रोच किया । इस पर उन्होंने भेड़ों को दवाई दी तो उस बेचारे की सारी भेड़ें मर गई । तो इस तरह के लोग रखे जाते हैं । भेड़ों की रक्षा करने का काम, भेड़ों की तरक्की करने का काम, ब्लॉक्स में जो ए० एच० ई० ओ० हैं वे ही कर सकते हैं तो यह ग्रेडिंग सुपरवाइज़र्स की पोस्ट्स रखी गई हैं उनकी आवश्यकता नहीं । इस चीज़ का मूल्यांकन करके, इन लोगों को रखा जाय या नहीं रखा जाय, इस पर सरकार विचार करे । मैं समझता हूँ, ये सारी पोस्ट्स बेकार हैं । मैं यह इस दृष्टि से नहीं कहता कि वे लोग काम नहीं जानते बल्कि इस दृष्टि से कहता हूँ कि यह सारी स्कीम ही बेकार है, ब्लॉक्स के ए० एच० ई० ओ० हैं वे ही यह काम कर सकते हैं, इनसे अधिक अच्छी तरह से कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यातायात विभाग के बारे में भी इस दृष्टिकोण से यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहां एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन विभाग है, यातायात विभाग में भी मोटरों का टैक्स वसूल किया जाता है, तो यह काम एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन विभाग

(श्री भीमसेन)

के स्टाफ के सुपुर्द कर दिया जाय। यह स्टाफ इतना है कि टैक्स रिकवरी का काम उनके सुपुर्द कर दिया जाय तो टैक्सेशन विभाग के लोगों को काम मिल जायगा और इधर यातायात विभाग में काफी बचत हो जायगी, यह सरकार के सोचने की बात है।

समाज कल्याण विभाग में गाड़ियां दी हुई हैं। एक अफसर के पास जीप होती है, जीपों का प्रयोग किस तरह से होता है, यह आज जनता जानती है। उनको दवाइयां बांटने के लिए दी जाती हैं तो वे लोग किस तरह से दवाइयां बांटते हैं, यह जनता अच्छी तरह से जानती है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा दवाइयां बांटने का काम है वह पंचायतें अच्छी तरह से कर सकती हैं। तो यह कोई पंचायतों के सुपुर्द करने से यह काम अच्छी तरह सुगमता से हो सकता है और उन दवाइयों का भी उपयोग हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में कृषि मन्त्री महोदय कहते हैं कि कृषि का उत्पादन बढ़ा है। पर मैं सरकारी रेकॉर्ड से बताना चाहता हूँ कि खाद्यान्नों का जहां तक सम्बन्ध है हम मान सकते हैं कि उत्पादन बढ़ा है, पर हमारे इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन हैं उनके बारे में जहां हम यह अपेक्षा करते हैं कि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि हो वहां इनके प्रोडक्शन में कमी हुई है। मैं काटन और शूगर के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कॉटन कपड़े का ६६,७५६ यार्ड का प्रोडक्शन हुआ था ५४ में, वहां ५६ में ५१,७७५ यार्ड प्रोडक्शन हुआ और ६० में ५२,८६३ यार्ड प्रोडक्शन हुआ। तो ५४ में अधिक से अधिक उत्पादन था वह घटता जा रहा है।

इसी तरह शूगर के बारे में भी है। जहां ५७ में शूगर की प्रोडक्शन ७०,६८० टन थी वहां ५६ में ७ हजार टन रह गई और ६० में १२ हज़ार टन का उत्पादन हुआ है। तो इस तरह इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में इन आंकड़ों से साबित होता है कि प्रोडक्शन में कमी हुई है।

हमारी दूसरी योजना में इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए खर्च का टार्गेट था, उसमें हमारी पहली योजना का कुल खर्चा रखा था ५ करोड़ के करीब, उसमें हम केवल दो करोड़ और कुछ लाख ही खर्च कर पाये हैं, जितनी अपेक्षा रखते थे उतना खर्चा नहीं कर पाये हैं और इसी कारण इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ८ करोड़ का प्रावधान रखा है, और हम उम्मीद करते थे कि राजस्थान में पॉवर आ गई है, जिसको कि इन्डस्ट्रीज़ के लिये बेसिक डिमान्ड होती है, उसकी पूर्ति की जायगी, हम उम्मीद करते थे कि अधिक प्रावधान इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के कामों में होना चाहिये जिससे कि अधिक प्रोडक्शन इन्डस्ट्रीज़ में हो।

अध्यक्ष महोदय, हमारा राजस्थान पोपुलेशन बढ़ाने के मामले में तरक्की कर रहा है। हमारे राजस्थान की आबादी २ करोड़ के करीब हो रही है और हम जिस गति से उत्पादन बढ़ा रहे हैं वह सरकार के लिए एक सोचने की बात है कि सरकार किस तरह से उसको रोकने के लिए कदम उठाए।

(श्री भीमसेन)

केवल गंगानगर के बारे में मैं कहूँगा गंगानगर एक कृषि प्रधान है और वहां सबसे ज्यादा अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन इसके बारे में भी वह सबसे आगे । अध्यक्ष महोदय, तो इस तरह से जो पोपुलेशन बढ़ रहा है उसके बारे में मैं यह राय देना चाहता हूं कि सरकार परिवार नियोजन योजना बनाती है मगर उसका पब्लिक पर पूरी तरह से असर नहीं होता । इसलिए मैं यह सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार कम से कम ऐसे लोगों को जो रोगी हों, जो कोढ़ी हों, जो अन्धे हों, जो भिखमंगे हों उन लोगों का तो कैस्ट्रेलाइजेशन कम्पलसरी करा दे तो उचित होगा....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : और आप इसमें एक यह भी कर दें कि जो शरीर से कमजोर हों ।

श्री भीमसेन : हम ऐसा नहीं कह सकते । लेकिन अगर सरकार उनके लिए कदम उठा सके तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई वैधानिक डिफिकल्टी नहीं होगी । मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार को इसमें पहल करनी चाहिये क्योंकि कई बातों में राजस्थान सरकार ने पहल की है और इस कार्य में भी सरकार को पहल करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मन्त्री) ने बजट भाषण में कुछ घोषणाएं की हैं जैसे गरीब बच्चों को दोपहरी का भोजन फ्री देना या औरतों को मेन्टोनेन्स एलाउन्स देना । दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना, मेडिकल कॉलेज और क्षेत्रीय इन्जीनियरिंग कॉलेज के बारे में घोषणाएं की हैं । ये घोषणाएं बहुत अच्छी हैं और इसके लिये हम वित्त मन्त्रीजी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं ।

अब, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के समस्त बजट की क्या स्थिति है, उसके सम्बन्ध में कुछ कहूँगा । सरकार को टैक्स लगाने चाहिये, इसमें दो राय नहीं है; लेकिन वह पैसा विकास के कामों में ठीक ढंग से लगाया जावे जिससे राजस्थान की आमदनी बढ़े और राजस्थान के लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में पीने के पानी की व्यवस्था हो । इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए । यह बड़ी सोचने की बात है कि हमारे वैल फेयर स्टेट में गांवों में पीने का पानी सब जगह नहीं पहुंचता है । दो पांच-वर्षीय योजनाएं समाप्त हो गईं और तीसरी योजना भी समाप्त हो जावेगी लेकिन राजस्थान सरकार हर गांव में पीने योग्य पानी लोगों को मिल जावे, ऐसी योजना नहीं कर सकेगी । इस साल देहातों के लिये ६४ लाख रुपये बजट में रखे हैं और शहरों में ७५ लाख रुपये रखे हैं । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि देहातों में कितनी पब्लिक रहती है और शहरों में कितनी । मुझे कोई इस बात से दुःख नहीं कि शहरों में इतना पैसा क्यों खर्च होना चाहिये । आप उनके घर घर में नल पहुँचावें; यह आपका ध्येय होना चाहिये लेकिन गांवों में उन लोगों को पीने के लिये पानी मिल जावे, यह तो सरकार को व्यवस्था करनी

Page No.36

(श्री भीमसेन)

चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे लूणकरणसर तहसील के बारे में बहुत चर्चाएं चलती हैं। वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में हमने सरकार के सामने योजना रखी। सरकार लूणकरणसर में बीकानेर से पानी लाकर पानी की व्यवस्था करती है। मैं निवेदन करूंगा कि क्या सरकार भारत सरकार से हैवी बोरिंग मशीनें मंगा कर वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती? मगर मैं यह कहूँगा कि हमारी सरकार बहुत धीरे धीरे काम करती है। उसका असर लोगों पर ऐसा होता है कि सरकार हमारे लिये कुछ नहीं कर रही है। जो काम जल्दी होना चाहिये उसमें काफी देर लग जाती है। पब्लिक को यही रहता है कि सरकार वोट लेने के लिये काम कराती है। इसलिये मैं यह कहूँगा कि सरकार इस सम्बन्ध में जितना जल्दी कदम उठा सके उठाए। इतना ही कह कर मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मैंने राय दी है उस पर सरकार ध्यान देगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(श्री मुरलीधर व्यास बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय वित्त मन्त्रीजी को इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि उनको राजस्थान में यह पांचवां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

यह वर्ष हमारे लिये बहुत ही महत्व का है। १९६०-६१ के अन्दर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ हमने कार्यवाही की है उसका मूल्यांकन हो चुका है। १९६१-६२ हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक वर्ष है और १९६१-६२, राज्य की जो मौजूदा विधान सभा है उसका अन्तिम वर्ष है और इस विधान सभा के लिये यह अन्तिम बजट है। इस स्थिति में यह बजट जिस प्रकार से महत्वपूर्ण होना चाहिये था, मैं समझता हूँ कि वह नहीं है और इसमें काफी बातों का अभाव रहा है।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, यदि विवेचन किया जावे तो कुछ ऐसा लगता है कि हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट प्रस्तुत करने में कई प्रकार की खामियें रखी हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन के हर माननीय सदस्य को अधिकार है और राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य है कि बजट प्रस्तुत करने के साथ साथ वह इसके सम्बन्ध में सारी सामग्री सदन में प्रस्तुत करे जिसके आधार पर राज्य के बजट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सके और सरकार को सलाह दी जावे और ऐसे कामों की जिसकी आलोचना करनी हो की जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि इन पांच वर्षों में जो सरकार की ओर से सामग्री देने में कमी की जा रही है वह इस बात की द्योतक है कि बजट के मामलों में हमारी सरकार स्पष्ट नहीं है वर्ना कोई भी सरकार अपने दायित्व और भविष्य की नीति के

(श्री भैरोंसिंह)

सम्बन्ध में स्पष्ट हो तो सरकार को सूचना देने में कोई संकोच नहीं होना चाहिये। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें सरकार की एक निर्धारित नीति के अनुसार, नीति तो नहीं कह सकते, योजना के अनुसार चलती आ रही हैं। अब तक जो बजट प्रस्तुत किये उनमें एक बात का आभास मिलता है कि सरकार में इतना साहस नहीं कि वह अपनी आमदनी और खर्चे को स्पष्ट रूप से जनता के सामने प्रस्तुत कर दे। इसका यह कारण है कि जितने बजट प्रस्तुत किये हैं उसमें एक अन्डर बजटिंग की पॉलिसी रही है। जितने रुपयों का बजट प्रस्तुत किया उससे ज्यादा का खर्चा होगा और उसकी पूर्ति सप्लीमेंट्री ग्रान्ट से की जावेगी। यह कार्यवाही एक वर्ष की नहीं, बल्कि हमारी सरकार ने, मैं पहले के वर्षों को और सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, लेकिन ५६–५७ से लेकर आज तक इस प्रकार की परिस्थिति चालू रखी है। ५६–५७ में जो बजट प्रस्तुत किया उसमें ज्यादा खर्चा हुआ। ५७–५८ में ज्यादा खर्चा हुआ, ५८–५९ में ज्यादा खर्चा हुआ व ५९–६० में भी ज्यादा खर्चा हुआ।

६०–६१ में १५.७५ लाख का सरप्लस था। आज उसके अगेन्स्ट में ६३.५२ लाख का डेफिसिट बताते हैं।

ये इस बात के सूचक हैं कि हमारी सरकार जो कुछ खर्चा करना चाहती है उसके सम्बन्ध में सदन का विश्वास प्राप्त करने के लिए सही आंकड़ों के साथ नहीं आ सकती है और सरकार इस प्रकार की एक गलत नीति पर चलती आ रही है कि बजट कमो का पेश किया जाय, खर्चा ज्यादा किया जाय और येन–केन–प्रकारेण जो खर्चे के मार्ग हैं उन सारे के सारों को अपना लिये जायं। मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार की जो अन्डर बजटिंग की पॉलिसी है वह एक घातक पॉलिसी है और सरकार के सामने ऐसी परिस्थितियां भी आ सकती हैं कि सदन के सामने विश्वास प्राप्त करने के लिए इसको रखा जाय और सदन उसको रिजेक्ट कर दे।

अध्यक्ष महोदय, जब हम राज्य की सारी वित्तीय स्थिति का अवलोकन करते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं कि सरकार पर एक ओर कर्जा बढ़ रहा है और दूसरी ओर सरकार टैक्स लगाना चाहती है और सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वह उस आर्थिक स्थिति को उन टैक्सों के आधार पर और कर्ज के आधार पर संतुलित बनाने की चेष्टा कर रही है। सदन के माननीय सदस्यों ने आंकड़े भी देखे होंगे। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए हमारी सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में और नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल के प्रतिनिधियों के बीच के सारे मसलों पर विचार किया जा रहा था तो सरकार ने उनको एक आश्वासन दिया और वह आश्वासन यह था कि इस वर्ष हम रेवेन्यू अकाउन्ट में १.३८ लैक्स बैलेन्स बतायेंगे और उसके आधार पर यह वर्ष जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारम्भिक वर्ष होगा उस वर्ष में हम उस बैलेन्स के आधार पर अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जितने टैक्सेज़ लगाने होंगे वे लगावेंगे और इसके अलावा अन्य प्रकार के जो भी साधन

Page No.38

(श्री भैरों सिंह)

जुटाने होंगे उन सारे साधनों को भी हम जुटायेंगे । लेकिन हमने देखा कि क्या राजस्थान की आज वित्तीय स्थिति बन गई है ? जहां हमने १.३८ लैक्स का बैलेन्स रखने का आश्वासन दिया था उसके स्थान पर १.६८ लैक्स का घाटे का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारी सरकार के प्रतिनिधियों ने छः महीने पहले जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल को आश्वासन दिया था उस आश्वासन को वे पूरा नहीं कर सके ।

अब प्रश्न आता है कि हमारी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुधरे ? मैं ऐसा समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आमदनी के हमारे सामने जितने भी आंकड़े हैं उनको देखने से मालूम होता है कि हम टैक्सों के द्वारा पैसा कमा रहे हैं, उन टैक्सों के पैसों को और जो भारत सरकार से हमें मदद मिलती जा रही है उसको जोड़ कर हमारी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स है वे हैं ४८०० लाख और खर्चा होता है ४,६२० लाख का । उस स्थिति में रेवेन्यू अकाउन्ट में ८७ लाख का घाटा होता है । उस घाटे में १३५ लाख के नये कर प्रोपोज़ कर रहे हैं, उसको कम कर देते है; जैसा कि हमारा कमिटमेन्ट है ,नेशनेल डेवलपमेन्ट कौंसिल के सामने, यदि उसकी कमी कर देते हैं तो डेफिसिट होता है, वह २२२ लाख रुपयों का होता है । उस स्थिति में मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आश्वासन हमारी सरकार ने नेशनल डेवलपमेन्ट कौंसिल के सामने दिये थे उन आश्वासनों को वह पूरा नहीं कर सकी है और टैक्सेज़ के बारे में सरकार की स्थिति और भी जटिल बन गई है । कैसे जटिल बनती है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो हमारा कमिटमेन्ट है उसके आधार पर पांच वर्ष के उस अर्से में हमको ३२ करोड़ के टैक्सेज़ लगाने होंगे । ३२ करोड़ के टैक्सेज़ लगायें और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में यह हाल है कि १३५ लाख के टैक्सेज़ लगाये हैं । पांच वर्ष के लिए क्या स्थिति आती है वह तो अगले वर्ष जो बजट प्रस्तुत किया जावेगा उससे सारी स्थिति फिर सामने आवेगी । लेकिन आज जो पोज़िशन है वह यह है कि ३२ करोड़ के टैक्सेज़ के लिए आप कमिटेड हैं । उसके अगेन्स्ट में १३५ लाख के टैक्सेज़ लगाते हैं और फिर भी १६४ लाख का अनकवर्ड गेप इस प्रकार का रखते हैं । वह इस प्रकार से इस बात का द्योतक है कि हमारी सरकार के सामने आर्थिक संकट है, आर्थिक समस्या खड़ी हुई है । यदि आज ही उतने टैक्सेज़ लगा देते हैं तो सन् ६२ में जो आम चुनाव होंगे उन पर उसका किस प्रकार का असर होने वाला है, वे स्वयम् इसको समझते हैं; अब आज टैक्सेज़ प्रोपोज़ किये हैं १३५ लाख के करीब; उनके इन्डाइरेक्ट टैक्स और डाइरेक्ट टैक्स के नाते जो इन्डेक्स आते हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि सरकार डाइरेक्ट टैक्स लगाने से घबराती है और उसके घबराने का कारण यह हो सकता है कि सरकार और जनता का सम्पर्क नज़दीक का है और जिस एजेन्सी से सरकार का नज़दीक का सम्पर्क है इसलिए उस पर वह डाइरेक्ट टैक्स लगाने से घबराती है । आज जो एजेन्सी है उससे राज्य सरकार को साहस नहीं हो सकता है कि वह डाइरेक्ट टैक्स लगाये और जब राज्य सरकार को

(श्री भैरोंसिंह)

साहस नहीं हो सकता है कि वह लगाये तो फिर जो लोकल ऑथोरिटीज़ हैं उनका साहस कैसे हो सकता है ? भारत सरकार ने भी इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ का प्रावधान किया है और उन इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ के प्रभाव की सीमा यहां तक भी पहुंच चुकी है। डाइरेक्ट टैक्स में राजस्थान में कोई गुंजाइश नहीं रही। और इसलिए नहीं रही कि हम यह कहते हैं कि राजस्थान में ७१ प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर है, खेती का काम करते हैं। जहां ७१ प्रतिशत लोग खेती पर निर्वाह करते हैं; आज राजस्थान के एग्रीकल्चरिस्ट को भारत के अन्य राज्यों के एग्रीकल्चरिस्ट्स के, सिवाय आसाम के, बाकी सब राज्यों के एग्रीकल्चरिस्ट्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू देनी पड़ती है और यह डाइरेक्ट टैक्स हो सकता है और यह अधिकांश व्यक्तियों से वसूल कर सकते हैं। उन पर आप यह टैक्स लागू नहीं कर सकते हैं, उनसे वसूल भी नहीं कर सकते हैं और उन पर यह टैक्स लगाना भी वाजिब नहीं है। इस तरह से आप दीगर तरीकों से, जनता से इन्डाइरेक्ट रूप में टैक्स वसूल करते हैं। इस तरह से इन्डाइरेक्ट रूप में धन एकत्रित करने की जो सरकार की नीति है वह गलत नीति है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी कई बार पर-केपिटा टैक्स और इनकम के आंकड़े दिया करते हैं। मैं उनको बताऊं कि राजस्थान में पर-केपिटा टैक्स १६ टाइम्स के करीब आता है। मद्रास में इतना नहीं है, आंध्र में इतना नहीं है, यू० पी० में इतना नहीं है। उन स्टेट्स में भी इतना नहीं है जहां कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो चुका है। जिन स्टेट्स में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो चुका है उनमें पर-केपिटा टैक्स ६ टाइम्स आता है। उस स्थिति में राजस्थान में देखना होगा और यदि राजस्थान में इस प्रकार से पर-केपिटा टैक्स बढ़ता जावेगा तो राजस्थान की वित्तीय स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति किधर जावेगी, लोगों की क्या स्थिति होगी ? कई बार मुख्य मंत्रीजी अपने भाषणों में कहा करते हैं कि रेट्स कम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेन्ट को दूर करते हैं और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए मजबूर होकर इस प्रकार के टैक्स लगाने पड़ते हैं। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है "राजस्थान बजट स्टडी"। और उसके अन्दर राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में कुछ लिखा गया है उनसे हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति क्या है उसकी कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ। बजट स्टडी के पेज ३५ में लिखा है :

"In line with the rest of the country, the economy of the State revealed mixed trends with basic inflationary pressures that were visible both in wholesale and retail markets."

इसके आगे फिर लिखा है :

"One disquieting feature in the economic scene in 1960 had been the price situation which depicted persistent inflationary tendencies."

आगे फिर लिखा है :

"These increases were mainly

Page No.40

(श्री भैरोंसिंह)

due to the rise in the food articles group which varied between 117.4 in January, 1960 at the lowest and 130.9 at the highest during December, 1960. The industrial raw materials group touched an all time peak at 151.2 in July, 1960. The fuel power and manufactures groups remained more or less steady."

अब इसमें हमें राजस्थान के लोगों की वित्तीय स्थिति के आधार पर थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। उस ज्ञान के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में सारी स्थिति का अवलोकन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किस प्रकार का सरकार ने वादा पहली पंचवर्षीय योजना में और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किया था, उसको ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर सकी। पहली पंचवर्षीय योजना में लोगों को इस प्रकार का आश्वासन दिलाया था कि पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होते ही राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जावेगी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी यही आश्वासन दिलाया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति ठीक हो जावेगी। इस प्रकार से बार बार आश्वासन दिलाया जाता रहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जावेगी लेकिन आज तीसरी योजना के प्रारम्भिक वर्ष में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम काल में इस प्रकार की स्थिति आती है तो हमें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के आश्वासन सरकार ने दिलाये थे लोगों को उनको ठीक प्रकार से राजस्थान की सरकार पूरा नहीं कर सकी और उनको पूरा न कर सकने के कारण जितने भी काम हमारी सरकार को करने चाहिये थे और भारत सरकार से करवाने चाहिये थे उन्हें हमारी सरकार पूरा नहीं करा सकी और इस प्रकार से ३३७ करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया और उसकी पूर्ति १३५ लाख के टैक्स लगा कर करने की कोशिश की। १.३५ लाख के सरकार ने टैक्स लगा दिये और २८ लाख की कटौती करने की व्यवस्था कर के १६४ लाख का अनकवर्ड गैप हमारे सामने रख दिया। अब प्रश्न यह आता है कि सरकार सिवाय टैक्सेज़ के अपनी आमदनी बढ़ा नहीं सकती, केवल टैक्सेज़ के आधार पर सारी राज्य व्यवस्था को चालू रखना चाहती है। इस स्थिति के अन्दर हमें देखना होगा कि टैक्सेज़ से आमदनी कितनी है और बाकी आमदनी कितनी है। बाकी आमदनी के आंकड़े देखते हैं तो टोटल टैक्स रेवेन्यू २६३६.३८ है। इस वर्ष के अन्दर २९.४९ और ३०५.७७ की टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि हुई है। यदि यह टैक्स रेवेन्यू की वृद्धि इतनी होती है तो उसी के आधार पर नोन टैक्स रेवेन्यू भी बढ़नी चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि नोन-टैक्स रेवेन्यू में वृद्धि नहीं होती। वह इन फीगर्स से पता चल जायगा : सन् १९५५-५६ में १२७२.९६ नोन टैक्स था वह अब बढ़ कर १८१८.१६ है। अब हम यह कहते हैं नोन-टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेवेन्यू के अनुपात से कम है। हमें इस कमी के कारणों को मालूम करना पड़ेगा। कमी के कारण मालूम करते हैं तो स्पष्ट रूप से ऐसा पता चलता है कि राजस्थान सरकार ने प्रथम और द्वितीय

(श्री भैरोंसिंह)

पंचवर्षीय योजना में आर्थिक स्थिति का जो आश्वासन दिया था वह ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर सकी। जब नौन-टैक्स रेवेन्यू का सवाल आता है तो वह रेवेन्यू उद्योग के पनपने से हो सकती है। हमारे माइन्स डिपार्टमेंट की किसी प्रकार की तरक्की हो तो उससे हो सकती है। इसके अलावा इर्रिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा ज्यादा सिंचाई का प्रबन्ध हो तो उससे हो सकती है। जितने भी पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज़ हैं उनसे जो इनकम हो सकती है उसी से नौन-टैक्सेबल इनकम हमारी बढ़ सकती है। इन चीजों को देखते हुए मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इनमें किसी भी प्रकार की प्रोग्रेस नहीं हुई है। "तृतीय योजना काल के प्रारम्भिक साल में हमारे राजस्थान में औद्योगीकरण के मार्ग को हमने प्रशस्त कर दिया है", यह हमारे मुख्य मन्त्री महोदय के शब्द हैं। लेकिन जब हम दूसरी योजना काल के आश्वासनों को पूरी होते हुए नहीं देखते हैं तो हमें तीसरी योजना-काल के लिये जो विश्वास दिलाये गये हैं उनमें विश्वास करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

दूसरी योजना-काल में जितनी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिये था वह नहीं हुआ है। इसके लिये यह कह हूँ कि राजस्थान में जब अन्य स्टेट्स का इन्टीग्रेशन हुआ था उस समय हमारे यहां ११ मिलें थीं, लेकिन आज उनमें से भी चार मिलें बन्द पड़ी हैं। दो मिलों पर सरकार ने अधिकार कर लिया है और जो बाकी की मिलें हैं उनका संचालन भी ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। हमने औद्योगीकरण किया है यह दावा हमारी सरकार करती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहूँगा कि वे इस बात को स्पष्ट करें कि एकीकरण के समय जो ११ मिलें थी, वे ११ मिलें भी आज नहीं रहीं। क्या वे बढ़कर २१ हो गई? इसके लिए यह कहा जा सकता है कि हमने लाइसेन्स दिये हैं। उदयपुर टैक्सटाइल मिल चालू हो रही है। कोटा में श्रीगोपाल के अगेन्स्ट हम दूसरे को लाइसेन्स दिये जाने की सोच रहे हैं। कहने के लिए ये बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने जो आश्वासन दूसरी योजना काल में दिये थे उनमें से आपने कितने पूरे किये हैं। जब हमें यह देखने को मिलता है कि दूसरे योजना काल के आश्वासन भी पूरे नहीं हो पाये हैं तो तीसरी योजना काल के विश्वासों पर किस प्रकार भरोसा किया जा सकता है?

मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि जिस प्रकार दूसरी योजना काल के आश्वासन आप पूरे नहीं कर पाये उसी प्रकार तीसरी योजना काल के आश्वासन भी आपसे पूरे होने वाले नहीं हैं। आज हमारे यहां के टैक्सटाइल मिल्स की जो पोज़ीशन है उसको देखते हुए यह उत्पादन ४.६ पोइन्ट के आता है, यहां की पोपुलेशन के आधार पर। इसी आधार पर सारी इन्डिया की जो कपड़ा मिलें हैं, राजस्थान के अन्दर जितना कपड़ा बनता है वह १.१ के हिसाब से बनता है, सारे इन्डिया के अन्दर जो मैन्युफैक्चर होता है उसके आधार पर। सन् १९५१-५२ के अन्दर हमारे यहां कपड़े का उत्पादन ५६६२० गज कपड़ा मैन्युफैक्चर होता था। १९६० के अन्दर जो कपड़े का उत्पादन बना है ५२८६३ गज के करीब है ....

Page No.42

श्री ज्वालाप्रसाद (नसीराबाद) : खादी बनानी शुरू कर दी।

श्री भैरोंसिंह : इन आंकड़ों के देखने से यह पता चलता है कि हमारे यहां कपड़े के उत्पादन में कमी हुई है। तो ऐसी हालत में मिल के औद्योगीकरण के बारे में जो भी आश्वासन दिये जाते हैं उनके पूरा करने की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती। यहां केवल कपड़े की इन्डस्ट्री का ही सवाल नहीं है। अगर हम राजस्थान में सही मायने में औद्योगीकरण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहां के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है। यहां भुखमरी दूर हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यदि हम दूसरी इन्डस्ट्रीज़ को भी लें तो यही हाल हमारी शुगर इन्डस्ट्रीज़ का भी है। हमारे राजस्थान में दो शुगर फैक्ट्रीज चल रही है। एक तो गंगानगर में है और दूसरी भोपालसागर शुगर फैक्टरी उदयपुर में। अगर हम वहां उत्पादन होने वाले गन्ने के आंकड़े की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि उदयपुर डिवीज़न के अन्दर करीब दो लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है और भोपालसागर में जो शुगर फैक्टरी है उसकी क्रशिंग केपेसिटी है केवल एक लाख टन गन्ने की। इससे ज्यादा वह क्रश नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि एक लाख टन गन्ना बेचने को मार्केट नहीं मिलता। यही हाल गंगानगर शुगर फैक्टरी का है। राजस्थान सरकार यह बताये कि सिवाय इन दो शुगर फैक्ट्रीज़ के और कितनी फैक्टरियां उन्होंने चालू की हैं। इसी प्रकार मिनरल प्रोडक्टस को ले लीजिये। इसकी भी कोई फैक्टरी यहां नहीं है। कहा यह जाता है कि रॉयल्टी और लाइसेन्स ज्यादा दिये हैं इससे हमें अच्छी आमदनी हुई है। प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स ज्यादा दिये हैं, उनकी संख्या बतायी जा सकती है। यदि हम रॉयल्टी और लाइसेन्स के आधार पर राजस्थान की मिनरल ग्रोथ को इवेल्युएट करते हैं तो गल्ती करते हैं। हमें मिनरल प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। उसके प्रोडक्शन के वृद्धि के साथ साथ अन-एम्पलॉयमेंट दूर हो सकता है, राजस्थान की आमदनी भी बढ़ सकती है, यदि हम इस ओर ध्यान देंगे। आज मिनरल का जिस प्रकार से प्रोडक्शन होता है उसको केवल रॉ मेटेरियल समझा जाता है, उसको हम केवल रॉ मेटीरियल न समझें। उसके प्रोसेसिंग और कटिंग की जितनी भी संभावनाएं हैं, जितना भी काम इस बारे में किया जा सकता है हमें यहां शुरू करना चाहिये। अगर हम इतना कर पाये तो हमारे माल को यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा अपने देश के दूसरे भागों में भी वह माल भेजा जा सकता है। बदकिस्मती से इस ओर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि माइका स्पिलिटिंग का कारखाना भीलवाड़ा में खोलने के लिए लाइसेन्स दिया गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके लिए वहां मकान तो बना दिया गया है किन्तु माइका स्पिलिटिंग का काम वहां नहीं होता वहां कड़बी काटने का काम होता है कड़बी की मशीन लगी हुई है। इसी प्रकार जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट, खेतड़ी में ताम्बा स्मेल्टिंग प्लान्ट लगाया जाना था, लेकिन वह नहीं हुआ। मिनरल्स का जिस प्रकार से औद्योगीकरण होना चाहिये उसका औद्योगीकरण सिवाय लाइसेन्स देने के या सरकार को रॉयल्टी की इनकम होती है उससे अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। इस संबन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार कहती है कि राजस्थान में ७१ प्रतिशत खेतीहर लोग रहते हैं। यहां सब से बड़ी खेती की इन्डस्ट्री है। हम जहां राजस्थान की इन्कम बढ़ा रहे हैं वहां इन ७१ प्रतिशत खेतीहर लोगों की आमदनी बढ़ रही है। सरकार यह कहती है कि हमने खेती के कार्य में उन्नति की हैं जिससे हमने भारत सरकार के फूड प्रोडक्शन को एक वैल्युएबल कन्ट्रीब्यूशन दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारी सरकार भ्रम में है। दूसरी पंच वर्षीय योजना के समय हमारा टार्गेट ८.१२ लाख टन अनाज के उत्पादन के लक्ष्य की ओर था। इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था वह हमने पूरा कर लिया, यह खुशी की बात है। हमने १२ लाख टन की खेती की उपज में वृद्धि की है और इस तरह से हमने अपने टार्गेट्स को एक्सीड किया है। अब एक्सीड जो किया गया है उस पर हमें ध्यान देना होगा। वह किस प्रकार से एक्सीड हुआ है? इस प्रकार से एक्सेस जो अनाज का उत्पादन हुआ है उसके कारणों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि पर-एकड़ एवरेज कितना बढ़ा है? वह अगर हिसाब लगायें तो मैं सदन के सामने कुछ आंकड़ों से बताऊंगा जिसके आधार पर यह विश्वास हो सके कि इस खेती के मामले में भी हमें नुकसान उठाना पड़ा है। अगर मैं 'नुकसान' शब्द का उपयोग भी करता हूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, खेती के मामले में हमारे यहां जो ८.१२ का टार्गेट तय किया था उस आधार पर मेजर इर्रिगेशन से २.५ लाख टन अनाज पैदा करने की बात कही गई थी, माइनर इर्रिगेशन से, लैंड डेवलपमेंट से, मेन्योर और फर्टिलाइज़र से और इम्प्रूव्ड सीड्स के आधार पर इम्प्रूव्ड कल्चरल इम्पलीमेंट्स के आधार पर; इस तरह टोटल हमारा यह टार्गेट अचीव करने का था। पर इसके विपरीत हुआ क्या? माइनर इर्रिगेशन से जहां हमें .८३ अनाज ज्यादा पैदा करना था, वहां .७६ ही हुआ। मेजर इर्रिगेशन से जहां हमें २.६८ टन ज्यादा पैदा करना चाहिये था वहां, १.४१ लाख टन ही हुआ, इसी तरह से इम्प्रूव्ड सीड्स से २.०४ का एवरेज होना चाहिये था वहां ०.६५ टन ही हुआ है।

ऐसी स्थिति में जो अनाज की पैदावार हुई है वह केवल एक कारण से हुई है लैंड डेवलपमेंट के कारण से। ज्यादा भूमि रिक्लेम की गई, ज्यादा भूमि में हल जोता गया, इसके कारण जहां हमारा टार्गेट इसके लिये २४ लाख टन था वहां वास्तविक उत्पादन हमारा इस सीगे में ५.७२ लाख टन हुआ। सरकार इस सारी कार्यवाही में यह न समझे कि कोई उसकी कार्यवाही से या कोई उसकी मदद से यह वृद्धि हुई है या कोई उनके द्वारा खेती का पैटर्न बदलने से हुई है। इम्प्रूव्ड सीड उसने दिया हो और इससे वृद्धि हुई हो, ऐसा भी नहीं है। कलेक्टिव मोडर्न इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड किये हों, उसके कारण से वृद्धि हुई हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए यह कोई इवेल्यूएशन का मैटर भी नहीं है कि ठीक तरह से आंकड़े आप बना सकें। अन्दाजिया आंकड़े आपने रख दिये। जहां जमीन ज्यादा काश्त के नीचे

श्री भैरोंसिंह)

आने से अनाज की पैदावार बढ़ी है वहां सरकारी एफर्ट्स से अनाज ज्यादा हुआ है इस बात की आड़ में इस बात को छुपा नहीं सकते कि हमारी पर-एकरेज कितनी खेती होनी चाहिये थी उसमें घटत हुई है, बढ़ोत्तरी नहीं। अब यह घटत किस तरह से हुई, यह मैं बताता हूँ। हम इन वर्षों में २७ लाख एकड़ जमीन को ज्यादा कल्टीवेशन के नीचे लाये। तीस हजार नये कुंए बनाये हैं, २७ करोड़ रुपया डेवलपमेंट के लिए खर्च किया। पर्चेज़ ऑफ ट्रैक्टर्स में ११२ करोड़ रुपया खर्च किया और यह कुल मिलाकर १४८ करोड़ खर्च किया। यह सरकार का कहना है। ३० हजार नये कुंए बनाये और २७ लाख एकड़ जमीन को ज्यादा जोत में लाये और उनके अनुसार १२ लाख टन अनाज हमारा पैदा हुआ। कितनी जमीन में काश्त की, इसके अनुपात से जितनी फसल पैदा होनी चाहिये थी वह पहले के वर्षों के मुकाबले में घटी है। कोई वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण ? कारण सरकार कह नहीं सकती। वह तो यह कहने में चतुराई से काम लेती है कि हमने अनाज बढ़ाने में फुर्ती दिखाई है और प्लान का टार्गेट अचीव कर लिया।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारी खेती से सम्बन्धित जितने मामले थे, इर्रिगेशन के मामले मेजर या माइनर जितने माइनर इर्रिगेशन के काम होने चाहिये थे, उसका बजट देखा तो उसके अन्दर १।३ खर्चा करना था पर वह नहीं कर सके। जितनी भूमि की सिंचाई करनी चाहिये थी, वह १।३ के बराबर नहीं कर सके। तो आप न सिंचाई का काम पूरा कर सके न उसके आधार पर कृषकों को प्रोत्साहन दे सके। इसके बावजूद भी अगर कृषि बढ़ती है तो यह हमारी कारीगरी नहीं। यह जमीन जोतने वाले की कारीगरी है। मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी सरकार आज लोगों से सिंचाई के नये साधन अपनाने की बात कहती है वह सदन के सामने बतावे कि जितने सिंचाई के साधन हैं या बन्ध में पानी है उसका कोई उपयोग होता है या नहीं। मैं कहता हूँ कोई उपयोग नहीं होता। इसी आधार पर फोर्ड फाउन्डेशन कमेटी ने राज्य सरकार को कहा कि बांधों से जितना पानी इस समय उपलब्ध है उसका उपयोग अभी पूरा नहीं हो रहा है, उसका पूरा उपयोग कर सकें इसकी चेष्टा की जावे। बाकी बड़ी बड़ी बांधों की स्कीमों में मल्टी-पर्पज़ स्कीमों में लाखों-करोड़ों खर्च करती है यह सरकार उस खर्च करने में तकाजा नहीं करे, बल्कि लोग पानी का उपयोग कर सकें इसकी तरफ तकाजा करे। पर खेद है कि सरकार इसमें तरक्की नहीं कर पाई, फोर्ड फाउन्डेशन की उक्त सलाह के बाद भी और यह समस्या तो चम्बल के सारे खाके को देखते हैं तब भी हमारे सामने आती है। नहर में पानी आ गया पर वह पानी नालियों में होकर कब तक खेतों में जावेगा यह निकट भविष्य में सम्भव नहीं दिखता। सरकार तीन वर्ष तक लगातार इसी समस्या में पड़ी रही कि खेतों में पानी ले जाने के लिये नालियां कौन बनावे ? और तीन वर्ष बाद में यह निर्णय लिया है कि सरकार अपने खर्चे से नालियां बना कर खेतों में पानी देने की व्यवस्था करे। पर इधर लैंड कोलोनाइजेशन नहीं हुआ और उधर क्रॉप ऑफ पैटर्न लोगों के दिमाग में नहीं घुसा, सिंचाई कैसे होगी इसकी

(श्री भैरोंसिंह)

ट्रेनिंग भी उनको नहीं मिली कि किस तरह की सिंचाई कैसे होने से पैदावार बढ़ेगी। फल यह हुआ कि उसका क्रोप ऑफ पैटर्न नहीं बदला, सिंचाई का ज्ञान उनको नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में जितना पानी उनको अब मिलेगा भी उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं कर पावेंगे वे, और इस स्थिति में जो लाभ इससे राजस्थान को मिलना चाहिये वह किसी प्रकार से नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब एक मोटी समस्या हमारे सामने आ रही है कि हमारा जो इतना डेवलपमेन्ट होना चाहिये था वह डेवलपमेन्ट हुआ नहीं, जितनी आमदनी होनी चाहिये थी वह हमारी हुई नहीं है। तो उस स्थिति में हम यदि कहीं अपनी आय का साधन एक ही बना लें कि लोगों पर टैक्स लगाना है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा साधन इस सरकार के पास रह नहीं गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह सम्पत्ति पर कर लगाने का काम और जनता की टैक्स अदा करने की शक्ति के बाहर टैक्स लगाने का काम वही सरकार कर सकती है जिसके एक भयंकर दिवालियेपन की सूचना मिल रही है। मैं कह दूं जिस साहूकार सरकार को अपनी आमदनी के सोर्सेज़ पर विश्वास होता है वह ऐसे बड़े टैक्सेज़ नहीं लगा सकती है। वह कभी इस तरह के कड़े टैक्सेज़ लगाने का विचार भी नहीं करेगी। १३५ लाख का हमने टैक्स लगाया और १३५ लाख के टैक्सेज़ में ७० लाख के करीब सेल्स टैक्स आ गया और यह लगाते वक्त यह बात भी भूल गये, इस तकाजे में इस बात पर भी विचार नहीं किया कि जिस मद में भारत सरकार ने भी टैक्स लगाया है उसी पर हम कैसे लगावें। यह विचार तक भी करने की फुरसत नहीं मिली। डीज़ल ऑइल और वनस्पति पर भारत सरकार ने टैक्स लगाया। हमारी राज्य सरकार ने भी बिना सोचे-विचारे टैक्स लगा दिया इन्हीं पर। इस कारण से देने वाला एक व्यक्ति है। आज गाय शुद्ध दूध दही और घी नहीं मिल सकता, भैंस का शुद्ध घी नहीं मिल सकता, भेड़ बकरियों का घी नहीं मिल सकता। इस स्थिति में कोई वेजिटेबल पर अपना जीवन किसी तरह से चलाना चाहता है तो आपने यह स्थिति पैदा कर दी डबल टैक्स लगा कर कि वह उसका उपयोग भी नहीं कर सकता। डीज़ल पर कर लगा दिया, डीज़ल दो कामों में आता है। कॉम्युनिकेशन्स के मामले में, जिसके लिए हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार रोड-डेवलपमेन्ट के लिये बार बार कहती है कि वह डेवलप्ड नहीं है और उसके डेवलप नहीं होने के कारण हमारा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट नहीं हो पाया, इस स्थिति में हम यदि डीज़ल पर ज्यादा टैक्स लगाते हैं तो रोड ट्रान्सपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा। इस पर ही नहीं, इसका असर पड़ेगा और भी पड़ेगा। किसान पर पड़ेगा। किसान जो ट्रेक्टर से खेती करता है। उस पर भी असर पड़ेगा। इस स्थिति में हमारी सरकार ने विचार भी नहीं किया कि भारत सरकार ने कितना टैक्स लगाया और जब उसने टैक्स लगा दिया तो फिर दुबारा हमें लगाना चाहिये या नहीं, हमें उसको कर मुक्त करना चाहिये या नहीं।

हमारी सरकार ने टैक्सों के साथ अनाज को जो जनरल एग्जेम्पशन दिया उस पर भी

(श्री भैरोंसिंह)

घुमा फिराकर टैक्स लगा दिया। कहने को अनाज पर से हटा दिया और यह व्यवस्था कर दी राजस्थान में ट्रान्जेक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर उस पर भी एक कन्डीशन लगा दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब जनरल एग्जम्पशन होता है तो क्या वह कन्डीशनल होता है। राजस्थान सेल्स टैक्स के भाग २ के खण्ड ४ के अनुसार लाइसेन्स एग्जेम्पशन का लेना पड़ेगा। एग्जेम्पशन सर्टीफिकेट लेना पड़ेगा। टैक्स की घोषणा की है उस दिन से एग्जेम्पशन एप्लीकेशन उसको एक नियत फीस देकर हासिल करना पड़ेगा। अगर ऐसा सर्टीफिकेट हासिल नहीं किया तो उस पर पेनल्टी इम्पोज़ की जावेगी। मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में सरकार जनरल एग्जेम्पशन देना चाहती है अगर सीरियल के ट्रान्जेक्शन को कर मुक्त रखना है तो एग्जम्पशन सर्टीफिकेट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये, रेगुलर अकाउन्ट मेन्टेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। रिटर्न देने, नियत अवधि का ध्यान रखने सर्टीफिकेट लेने फीस देने, इन्सपेक्टर का शिकार होने आदि की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिये। अगर हम इन चीजों से भी उसको मुक्त कर देंगे तो विश्वास होगा कि आप इन्टरनल ट्रान्जेक्शन ऑफ सीरियल पर टैक्स लगाना नहीं चाहते। पर अगर इस तरह की रेस्ट्रिक्शन फिर भी लगाते है तो मैं स्पष्ट कहूँगा कि आप एग्जम्पशन सर्टीफिकेट के नाम पर, फीस के नाम पर, फीस न दे कोई, अनियमितता करे; तो इन्सपेक्टर के चालान और जुर्माना आदि के नाम पर, हमारी सरकार इनके द्वारा भी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हमने कुछ यात्री कर और भाड़े पर भी टैक्स इम्पोज़ किया है।

जिस समय, यातायात मन्त्री यहां नहीं हैं, ५८-५९ में यह टैक्स लगाया गया था ....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): बैठे हैं, मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व ?

तो मैं कह रहा था जिस समय यह टैक्स लगाया गया था तो उसका विरोध किया गया था और विरोध जिस समय किया तो आश्वासन मिला था कि अभी यह टैक्स मामूली है और हम इसको आगे किसी प्रकार का टैक्स लगाने का विचार नहीं करते हैं आज दो वर्ष के बाद ही हम टैक्स लगाने की व्यवस्था करके उस आश्वासन को तोड़ रहे हैं। और इस टैक्स की भी इतनी व्यवस्था कर रहे हैं कि इसका सारा भार जाकर पैसेन्जर पर पड़ेगा। बदकिस्मती यह है कि हमारी राजस्थान ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री का रेलवे से कम्पीटीशन चल रहा है।

लोकसभा के अन्दर पिछले वर्ष रेल्वे मंत्री, श्री जगजीवनराम ने अपना बजट भाषण प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हमारे सेक्टर में हमारी कॉम्पीटीटर ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री है। उस समय उनके मुंह से जो 'कम्पीटीशन' शब्द निकला उसके आधार पर कहा जा सकता है कि रेल्वे ऑथोरिटीज़ के दिमाग में एक चीज़ घुसी हुई है ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट के बारे में कि अगर यह ट्रान्सपोर्ट और पनपता गया तो लोग रेलों में बैठना पसन्द नहीं करेंगे और इन्कम गिरती जायेगी। राजस्थान सरकार ने

(श्री भैरोंसिंह)

रोड्स नेशनलाइज़ की है और जहां २ अपनी बसें चलाई हैं उनमें जो किराया रखा है वह रेल के मेल से भी ज्यादा रखा है ताकि आगे जाकर लोग मोटरों से यात्रा न कर रेलों द्वारा ही करें। यह जो कम्पीटीशन है और उस कम्पीटीशन में रेल्वे को जीवित करने की गरज से ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री को खत्म नहीं किया जा सकता। मैं आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कह सकता हूँ कि यदि राजस्थान में ट्रान्स-पोर्ट इन्डस्ट्रीज़ को टैक्स के आधार पर खत्म कर दिया तो राजस्थान के इन्डस्ट्रियल ग्रोथ के अन्दर जबर्दस्त समस्या खड़ी हो जायगी और जिसका मुकाबिला आप नहीं कर सकते। इतना ही नहीं सरकार ने मनोरंजन कर लगाया है। मनोरंजन कर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मनोरंजन कर लगाने का आपको अधिकार क्या है? हमने राजस्थान में एन्टरटेनमेंट टैक्स एक्ट पास किया। जिस समय हमने एक्ट पास किया था उस समय मंत्री महोदय ने सदन को विश्वास दिलाया था कि जितना भी एन्टरटेनमेंट टैक्स वसूल होता है, रियलाइजेशन चार्जेज़ काटने के बाद सारा का सारा लोकल ऑथोरिटी को दे देंगे। मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने अपना आश्वासन पूरा किया है? तीन वर्षों के अन्दर नये सिनेमाघर चालू हुए हैं और कितना एन्टर्टेन-मेंट टैक्स वसूल हुआ है, यह अन्दाज लगा सकते हैं। म्युनिसिपैलिटी की उस आमदनी को खाकर सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जो प्रयत्न किया है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी राज्य सरकार लोकल ऑथोरिटीज़ का एक्सप्लाइ-टेशन करना चाहती है और यही कारण है कि हमारी नगरपालिकाओं की हालत, हमारी पंचायतों की हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। मैं कहना चाहूँगा कि एन्टर्टेनमेंट टैक्स आपका नहीं है, इसको घटाने-बढ़ाने का अधिकार लोकल ऑथोरिटीज़ को है और उसी आधार पर हमारी सरकार को इस संबंध में व्यवस्था करनी चाहिए।

(१.००. म.प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमने १३५ लाख के टैक्स लगा लिए और फिर भी पूर्ति नहीं हुई तो आगे कहा है कि २८ लाख की कटौती करेंगे। मैं इसका हामी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह जो सारी कटौती की व्यवस्था की गई है यह बिलकुल हैपहैज़ार्ड वे में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के १५ दिन पहले तारीख २३ फरवरी को राज्य-पाल महोदय का हमने अभिभाषण सुना। उसमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं था कि हमारी राज्य सरकार इकोनोमी करने वाली है। सन् १९५६ में पहली बार जिस समय इकोनोमिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की उसके बाद में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने और एस्टी-मेट्स कमेटी ने हमारी सरकार के सामने कई सुझाव पेश किये उन पर कोई विचार नहीं किया गया और अब जो हैपहैजर्ड वे में इकोनोमी की जा रही है तो मुझे सन्देह होता है कि हमारी सरकार इकोनोमी करना चाहती है इस पर पूरा विश्वास करने की गुंजाइश नहीं है। आज राज्य सरकार बजट पेश करती है और इकॉनॉमी के आधार पर २८ लाख रुपये की

(श्री भैरोंसिंह)

कमी करना चाहते हैं। राज्य सरकार का यह फर्ज था कि राज्य सरकार क्या कटौती करना चाहती है, किस किस प्रकार के पदों को हटाना चाहती है, किस किस स्थिति में लोगों का रिट्रेन्चमेंट करना चाहती है, इसका पूरा; अप-टू-डेट पिक्चर सदन में प्रस्तुत करती। मैं कह सकता हूँ कि यह इनडिस्क्रिमिनेट वे में इस प्रकार का रिट्रेन्चमेंट होगा। आपने यह जो डिविज़न्स खत्म कर दिए तो आज ५ कमिश्नर्स खत्म होंगे और ये फिर भी उन्हीं पदों पर बने रहेंगे, उनका स्टाफ उसी तरह से बना रहेगा। रिट्रेन्चमेंट के नाम पर अगर मैसेकर होगा तो वह होगा एल० डी० सी०, यू० डी० सी० और क्लास फोर का या ऐसे लोगों का होगा जिनके पीछे कोई हाथ नहीं होगा। मुझे इसमें भयंकर खतरा नजर आता है और वह भयंकर खतरा यह है कि आज राजस्थान के मुख्य मंत्री चाहे कहें कि सर्विसेज़ का स्टेन्डर्ड बढ़ता जा रहा है लेकिन सर्विसेज़ में जनरल डिमोरेलाइज़ेशन आ रहा है। इस इलेक्शन के टाइम पर इस तरह इकोनोमी करने के हथियार को आपने अपने हाथ में रखा तो सर्विसेज़ के सामने कोई चारा नहीं है कि वह सर्विसेज़ में बने रहें तो हमारी सरकार के सामने वे ईल्ड करें और हमारी सरकार के मुंह की तरफ देखते रहें। आगे आने वाले चुनावों में इन्डिपेन्डेन्टली वर्क करना है तो सरकार के हाथ में इकोनोमी का हथियार सामने रहेगा। आज गरीबों की तनख्वाह कम कर और उनमें कमी कर सरकार अपनी वस्तु स्थिति को बनाना चाहती है यह किसी प्रकार से बैटर इकॉनॉमी नहीं कही जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि जैसे घर में दिवालियापन आता है, यही करता है कि इस चीज़ को बेचो, इस चीज को खाओ और इसमें कम कर दो। कोई भी बहबूदी करने वाला व्यक्ति अपने घर के सामान को कम करने वाला नहीं होगा। इस स्थिति में इकॉनॉमी के बारे में मैं सरकार से चाहूँगा कि सरकार इस बजट के पास होने के पहले पहले हमारे सामने एक पिक्चर इस बात की प्रस्तुत करे कि कौन कौन से पद समाप्त किये जायेंगे। बजट के पेश होने के पहले हमारी सरकार ने एक हुकम निकाला और जितने भी पी. आर. ओज़. थे, डाइरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन्स में उन सब को हटा दिया और हटाने के बाद पी० आर० ओ० ने एप्रोच किया और कुछ ही दिनों बाद हमारी सरकार ने उनको फिर वापिस ले लिया। तो जो एप्रोच कर सकेगा उनको वापिस ले लिया जायेगा और जो एप्रोच नहीं कर पायेंगे उनको सर्विसेज़ से हटा दिया जायेगा। तो जो मुझे खतरा मालूम होता है उसका केवल एक ही हल हमारे सामने है और वह यह कि सारी स्थिति सरकार हमारे सामने रखे, मुझे इसमें एक दूसरी बात नजर आ रही है। पिछले वर्षों में फाइनेन्स कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट कौन्सिल, पी० ए० सी० और एस्टीमेट्स कमेटी ने हमारी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर हमारा बढ़ता जा रहा है। प्लान एक्सपेन्डीचर बढ़ा है यह बात थोड़ी समझ में आ भी सकती है। अब नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर में यदि इस प्रकार की कोई समस्या पैदा हो तो हमारी सरकार कुछ ऐसा करना चाहती है जो कि हमारे राजस्व खाते में जिन सर्विसेज़ को हमें रखना

(श्री भैरोंसिंह)

पड़ता है उन सर्विसेज़ को प्लान के खाते में ट्रान्सफर कर दिया जाये तो इस खाते में कमी हो जायेगी और उसमें फायदा हो जायेगा। यह हो सकता है कि नॉन-प्लान एक्सपेन्डीचर में वृद्धि कर भारत सरकार से ज्यादा रकम सरकार ले ले। लेकिन आर्थिक स्थिति की कोई सुदृढ़ स्थिति हो, ऐसी बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। अब इन सारी समस्याओं को लेकर हमें क्या करना चाहिए ? हमारी सरकार ने कहा कि हम बैटरमेंट लेवी वसूल नहीं कर पाये। क्यों नहीं कर पाये ? इसके लिए यह कहते हैं कि किसान नहीं देते। उपाध्यक्ष महोदय, १९५५ या १९५६ में जिस समय हमने यह बैटरमेन्ट लेवी लगाई उस समय से बहुत कम पैसा वसूल हुआ है। इसका कारण यह बताया कि किसान देते नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि किसानों की बैटरमेन्ट लेवी नहीं देने की भूमिका सही है। चाहे किसानों से बैटरमेन्ट लेवी के रूप में टैक्स लेना पड़े, चाहे इस आधार पर कि हमने उस जमीन को सिंचाई के लिए पानी दिया है तो जिनको पानी दिया है उसके लिए वे सिंचाई कर लेते हैं तो वे बैटरमेन्ट किस बात का दें। हम कोई हाईस्कूल बनाते हैं तो किसी से एजुकेशन फीस नहीं लेते हैं, हम किसी आदमी के लिए कोई विकास का काम कर दें तो उससे डेवलपमेंट फीस नहीं लेते, हम कहीं हॉस्पिटल बनाते हैं तो किसी से हॉस्पिटल फीस नहीं लेते, तो फिर स्वाभाविक है कि किसानों के दिमाग में यह प्रक्रिया है कि यह बैटरमेन्ट लेवी के नाम से किसानों की हत्या क्यों हो ? अगर डेवलपमेंट के नाम पर सबसे टैक्स लेते हैं तो बैटरमेन्ट लेवी भी ले सकते हैं। अगर जनता डेवलपमेंट टैक्स देने को तैयार है तो वह भी दे सकते हैं, वरना वह बैटरमेन्ट लेवी के नाम का कोई टैक्स नहीं देंगे। आज खाली किसानों के ऊपर सारे विकास का भार नहीं डाला जा सकता। किसानों पर पहले से ही ज्यादा कर का भार है फिर टैक्स लगाना किसानों की कमर तोड़ने के बराबर है। अगर वे कर देने से इन्कार करते हैं तो सही बात करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इस प्रकार से किसानों से कर नहीं लेना चाहिये।

अभी मैंने सरकार के जितने रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं उनके सम्बन्ध में जिक्र किया। अब मैं यह भी जिक्र करना चाहूँगा कि सरकार की आमदनी और बातों से भी बढ़ सकती है। आज यदि यह कहा जाय कि हमारे राज्य का जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें किसी प्रकार का रिलीफ नहीं है। यह कह दिया है कि अच्छी तरह से जो अध्ययन करके पास होंगे उनको सहायता दी जायगी। उन लोगों को सहायता दी जाय, इसमें मुझे आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन मैं वित्त मंत्रीजी की एक और बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिनकी कंडीशन ठीक नहीं होगी उनको मिड-डे मील दिया जायगा। इसका परिणाम यह होगा कि एक स्कूल में लड़कों की छंटनी होगी और यह बताया जायगा कि इन लड़कों की हालत खराब है ये गरीब हैं और जो लड़का गरीब है वह एक तरफ बैठ कर चने खायगा और लोग उसकी तरफ दूसरी नजर से देखेंगे और कहेंगे कि जो मुफ्त का खा रहा है वह गरीब तबके का है और जो घर का खाता है वह अमीर है। हमारी सरकार चाहती है कि गरीब और

Page No.50

श्री भैरोंसिंह)

अमीर में मतभेद उत्पन्न हो। इसके लिये कोशिश की जा रही है। आज डिस्पेरिटी को मिटाने की कोशिश करनी चाहिये, लेकिन आज राजस्थान सरकार गरीब और अमीर में डिफ्रेन्सिएशन करना चाहती है; लोग गरीब और अमीर में भेद करके एक दूसरे से नफरत करने को कोशिश करें। आज यदि यह कहा जाय कि गरीबों को इस प्रकार से खाना देंगे तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार को कांस्टिट्यूशन पढ़ना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि विधवाओं को इमदाद दी जायगी....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): यदि बराबरी में लाना हो तो विधुर को भी सहायता देनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो इस चीज़ का भी विरोधी हूँ। हमने विधवाओं को सहायता देने का जो संकेत किया है वह गलत है और गलत इसलिये है कि आज हमने कांस्टिट्यूशन में कमिटमेन्ट किया है और वह कमिटमेन्ट डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के आर्टिकल ४१ में इस प्रकार से है :

"The State shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want."

मैं समझता हूँ, जो आखिरी शब्द है उसके अंतर्गत यदि विधवाओं को सहायता देने का प्रावधान स्वीकार किया जाय तो ठीक होगा, लेकिन स्थिति यह है कि ये डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स हैं, कांस्टिट्यूशन बना उस समय से लेकर अब तक इतना समय निकल गया, २ प्लान निकल गये, हमने जो ऑब्जेक्ट तय किया था उसको कहां तक पूरा किया, यह देखना चाहिये। राजस्थान में बहुत से अपाहिज घूम रहे हैं। बहुत से लंगड़े लूले, अंधे घूम रहे हैं, उनका क्या हाल हुआ? जो बेगर्स घूम रहे हैं उनका क्या हाल हो रहा है? इन सब को देखते हुए हम डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के लक्ष्य की पूर्ति में असफल रहे हैं।

जहां तक एम्प्लॉयमेंट का प्रश्न आता है उस सम्बन्ध में राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर देते समय मुख्य मन्त्रीजी ने कुछ बातें कही हैं जिनका उत्तर मैं स्वयं नहीं देना चाहता। लेकिन उनका उत्तर वित्त मंत्रीजी जिस संस्था के अध्यक्ष हैं उस संस्था ने एक पुस्तिका निकाली है उसका कुछ अंश पढ़कर सुनाऊंगा, उससे पता चलेगा कि हमारे यहां अन एम्प्लोयमेंट की क्या हालत है। यदि उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत दें तो १० लाइनें हैं, पढ़ कर सुना दूं....

श्री उपाध्यक्ष : पहले संस्था का नाम उल्लिखित कीजिये।

श्री भैरोंसिंह : उसका नाम है राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड। उसका परिचय देते हुए ग्रामीण बेरोजगारी की समस्याओं का जिक्र करते हुए वित्त मन्त्रीजी ने कहा, "ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या इतनी जटिल, गहरी व विस्तृत है कि इसका शीघ्रता से, सरलता पूर्वक समाधान हो पाना कठिन है,

Page No.51

(श्री भैरोंसिंह)

क्योंकि भारत का आर्थिक ढांचा कृषि प्रधान यहां की लगभग ८० प्रतिशत जनता या तो कृषि पर निर्भर है या उन लोगों पर आश्रित है जो कृषि में लगे हुए हैं और इस तरह देहात की अधिकांश जनता बेकारी की शिकार है। इसके साथ ही २.५ प्रतिशत जन संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि व कृषि का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्गठन मिलकर इस समस्या को और गंभीर बनाने में ही सहायक है । इसके अलावा २० प्रतिशत शहरी जनता में भी शिक्षित बेकारों की संख्या उग्रतर है । अतः जब देश के विकास की चर्चा चलती है, तो मुख्य प्रश्न यही आता है कि इन ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पड़े, निठल्ले श्रम का क्या और किस प्रकार उपयोग हो, जिससे कि लोगों को रोजी मिले, आमद बढ़े, क्रय-शक्ति में वृद्धि हो, जीवन-स्तर ऊंचा उठे और इस तरह राष्ट्र प्रगति पथ पर अग्रसर हो । आज जन-साधारण को रुपये की कमी, यानी काम की कमी ही मुख्य समस्या है । इसका कारगर उपाय यही है, कि इन करोड़ों बेकार व अर्ध-बेकार नरनारियों को फुरसत के समय उनसे घरों पर काम मुहैया किया जाय।

यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रीजी के दस्तखतों से जो रिपोर्ट निकली है उससे पता चलता है कि राजस्थान में बेकारी की समस्या कितनी भयंकर है । इसे उन्होंने स्वीकार किया है। डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में जो ऑब्जेक्ट्स और लक्ष्य तय किये हैं बेकार लोगों को काम-धंधा देने का उसकी किस तरह पूर्ति हुई है और आज कितने बेकार हैं। मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि जहां बेकारों की ज्यादा संख्या बढ़ रही है उस जगह एम्पलोईज़ इन्श्योरेन्स की व्यवस्था करनी चाहिये। राज्य सरकार ने जिस समय बताया कि हमारे यहां बेकारी की समस्या नहीं है उस समय मैं विचार कर रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा जाय कि राजस्थान में बेकारी नहीं है इसलिये बेकारी दूर करने का तरीका राजस्थान के मुख्य मन्त्री को पत्र लिख कर पूछा जाय ताकि वहां पर जो ५५ लाख बेकार हैं उनका समाधान किया जा सके। मुझे समझ में नहीं आता कि मुख्य मन्त्रीजी कैसे कहते हैं कि हमारे यहां बेकारी नहीं है जब कि गांवों में बेकार लोग घूमते फिरते हैं। यदि इस बारे में जानकारी करनी है तो गांवों में जाकर देखना होगा और प्रत्यक्ष में जो देख कर आते हैं उनके आधार पर कहना होगा कि बेकारी की समस्या है....

श्री ज्वालाप्रसाद : चश्मा कौनसा लगाते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेसी गांधीवाद का।

श्री चंदनमल वैद (सरदारशहर) : वे जानना चाहते हैं कि आपके चश्मे का रंग वित्त मन्त्रीजी के चश्मे के रंग से तो मिला हुआ नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस साल ३२७ लाख का घाटा दिखाया गया है जिसमें से १३५ लाख रुपयों के टेक्सेज लगाये जायेंगे और कुछ कटौती की जायगी। अब ४०० लाख रुपयों का कर्जा लेने वालेये है पब्लिक लोन के जरिये और २०० लाख रुपये स्माल सेविंग के जरिये इकट्ठा करना चाहते हैं। इस तरह से ६०० लाख रुपये

(श्री भैरोंसिंह)

और ३२७ लाख का घाटा कुल मिलाकर ९३७ लाख रुपयों की कमी बजट में इस साल होती है । अब यदि इतनी कमी को एक साथ बता दें तो लोग कहेंगे कि सरकार दिवालिया है । ४९ करोड़ के बजट में ९०० लाख का घाटा है तो यह कहा जा सकता है कि हमारी सरकार दिवालिया है । लेकिन इस दिवालिया सरकार ने कुछ तरकीब से आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और यह दिखाने की कोशिश की है कि हमने दिवाला नहीं निकाला है । लेकिन यह जो ९०० लाख का घाटा है वह दिवालियापन का द्योतक है । हमारा पब्लिक लोन और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लोन्स को मिलाकर कहें तो स्थिति और भी गंभीर होकर सामने आती है । ३१ मार्च, १९६१ को १४८६ लाख का पब्लिक लोन था और सेन्ट्रल गवर्नमेंट का लोन १०, ९०५ लाख था । इस तरह से १५,३४१ लाख का राज्य सरकार पर कर्जा है । यह अरबों रुपयों का कर्जा राज्य सरकार किस तरह से चुकायेगी ? १ अरब २३ करोड़ ९१ लाख का सारा कर्जा है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अरब नहीं हुआ ।

श्री भैरोंसिंह : फिर समझ लीजिये, १ अरब २३ करोड़, किसी को गिनती करने के लिए कह दीजिये तो वह मुश्किल में पड़ जायगा और राजस्थान सरकार को इसे चुकाने के लिए कह दीजिये तो उसके लिए मुश्किल हो जायगी । ओवर ड्राफ्ट की इस प्रकार की पोजिशन है, ओवर ड्राफ्ट की पोज़िशन के लिए माननीय वित्त मन्त्री पिछले वर्ष कहते आये हैं कि इस स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है । इस वर्ष कह रहे हैं कि इस स्थिति में सुधार नहीं होने वाला है । हमारे राज्य के वित्त मन्त्री जी कह रहे हैं :

"In an expanding economy the amount of public debt is, bound to increase every year. There is, thus, no reason to be purturbed for the figure of public debt."

मैं यह कहना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जहां १ अरब २३ करोड़ का कर्जा हो सरकार पर, वहां सरकार यह कहे कि हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारी सरकार देनदारी में विश्वास नहीं करती है, हालांकि इस साल ४२० लाख देने का विचार करती है; लेकिन मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इन कर्जो में ४२० न कर जाय, अगर ४२० कर गई तो कर्जा बढ़ता जायगा । इसलिए कर्जे की आज क्या स्थिति है, उसका हमें विचार करना होगा । इस कर्जे में जो राजनैतिक पहलू है, उस पर भी विचार करना होगा । उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार कांग्रेस की है, हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार हो, हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार न हो, तो कांग्रेस की सरकार न होने की स्थिति के अन्दर ...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आपको फिक्र क्यों पड़ रही है ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मुझे फिक्र इसलिए पड़ रही है कि मुझे आपको रिप्लेस करना है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : फिर कर्जे का क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह : तो १ अरब २३ करोड़ का कर्जा है, उसकी सरकार चिन्ता न करे, उसकी चिन्ता न करने की प्रवृत्त है, लेकिन वह अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक किस आधार पर है, मैंने निवेदन किया था कि आज राज्य सरकार कांग्रेस की सरकार है, केन्द्रीय सरकार कांग्रेस की सरकार है, लेकिन कल अगर राज्य सरकार के अन्दर विरोधी सरकार आ जाय और केन्द्र में कांग्रेस सरकार आ जाय; तो अगर स्टेट में विरोधी सरकार बन गई, उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार कहेगी, कि पहले वाली सरकार ने जो कर्जा किया है, उसको पहले चुकाओ और फिर तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिए पैसा लेओ....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आशा बलवति राजन् शल्याजेस्यति पांडवान्।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आप आना मत इस जगह पर।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि इसमें हंसने की बात नहीं है, इसका मखौल उड़ाने की बात नहीं है। हम जनतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर विचार करते हैं, तो आगे वाली पीढ़ी को दृष्टि में रख कर विचार करना पड़ेगा। यह किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा कि जो राजनैतिक दल आज राज्य कर रहा है, वह अगली बार भी चुनाव में जीत कर आ जाय। जैसी केरल में परिस्थिति हुई है, जैसी उड़ीसा में परिस्थिति हुई है, वैसी ही दूसरे प्रोविन्स में परिस्थिति हो जाय तो भारत सरकार लाजमी तौर पर कहेगी कि पहले पहले वाला कर्जा चुकाओ, उसके बाद जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स हो सकती है वह लेओ। मैं समझता हूँ कि इस सारी स्थिति में हमें डेमोक्रेटिक बेसिस पर कर्जे की अदायगी पर विचार करना चाहिए। अगर विचार नहीं करते हैं तो उस मां-बाप की तरह काम करते हैं, जो गुलछर्रे उड़ते हैं, जिनके मरने में दो तीन वर्ष बाकी हैं। देख रहा है कि मेरा यह बच्चा है, इसके ऊपर इसका भार आयेगा और इसको कर्जा चुकाना पड़ेगा, अपन तो गुलछर्रे उड़ाओ। मैं समझता हूँ कि जो आपका दस वर्ष का बच्चा आज है, उसे बढ़ने में तो समय लगेगा लेकिन आपको और सरकार को जाने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हम इस बच्चे की बहबूदी पर विचार करते हुए, डेमोक्रेटिक बेसिस पर विचार करते हुए जो कर्जा है, उसकी अदायगी के बारे में विचार करें और राज्य सरकार को अधिक कर्जदार न बना कर १ अरब २३ करोड़ का जो कर्ज है उस कर्ज को चुकाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

अब थोड़ी देर, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के बाकी खर्च के बारे में मैं विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा, वे विचार मैं कटौती के वक्त भी कहूँ तो मैं कुछ ऑलटरनेटिव सजेशन देना चाहूँगा, जिनके आधार पर सरकार की इन्कम बढ़े। वे सजेशन देने से पूर्व मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि राज्य की प्रशासनिक स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार करप्शन बढ़ा है, किस प्रकार फंड्स का मिस यूज़ होता है, मैं उसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ, इसके लिए मैं कट मोशन के वक्त मौका ले लूं, लेकिन अभी माननीय मुख्य मन्त्री जी

(श्री भैरोंसिंह)

को इस सदन में दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जिस डिपार्टमेंट के बारे में जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहें, कोई डिपार्टमेंट बता दें अभी चाहें तो अभी और बाद में चाहें तो बाद में, जो डिपार्टमेंट करप्शन के पोइन्ट से बरी हों, उनको ले लीजिये; मैं सबके बारे में बता सकता हूँ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सदन में कई बार शिकायतों का जिक्र किया है, उन पर एक्शन नहीं लिया जाता। पिछली बार डाइरेक्टर ऑफ एनीमल हसबेन्डरी के बारे में प्रमाण सहित कुछ बातें कहीं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के बार में कई बातें कहीं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के बारे में कई माननीय सदस्यों ने प्रमाण सहित कई बातें कही लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी तरह विभागाध्यक्षों के मामले हैं, जिन पर सरकार एक्शन नहीं लेती है; तो यह परम्परा यह संकेत देती है कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में कितना ही करप्शन क्यों न हो, उनके खिलाफ हमारे मुख्य मन्त्री जी कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। मैं समझता हूँ कि अगर गृह मन्त्रीजी डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहें तो नहीं ले सकते। बाकी के विभागाध्यक्षों के खिलाफ उस विभाग के मन्त्री कोई एक्शन लेना चाहें तो वे नहीं ले सकते; इसलिए नहीं ले सकते कि मंत्रि-मंडल की टीम बहुत कमजोर है और उसकी तमाम ताकत मुख्य मन्त्री जी ने अपने में केन्द्रित कर रखी है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री जी चाहें तो राजस्थान में करप्शन न हो, राजस्थान के विभागाध्यक्षों के खिलाफ करप्शन की शिकायत लोग न कर सकें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री इस योग्य हैं कि वे करप्शन को हटा पायेंगे। वे इस योग्य नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं यह कह सकता हूँ कि अपनी योग्यता के आधार पर इसको मिटाने की चेष्टा नहीं करते, इस कारण राजस्थान में करप्शन दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। आज कोई भी विभाग ऐसा नहीं है, जिसमें फाइनेन्शियल इरेगुलेरिटीज़ मालूम नहीं होती हों। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसका सम्बन्ध वित्त मन्त्री से होगा, उनसे सम्बन्ध क्यों होगा, क्योंकि जो राज्य सरकार की ओर से ग्रान्ट इन एड दी जाती है, वह ग्रान्ट इन एड इसलिए दी जाती है कि उसके आधार पर जितनी भी प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे चलती रहें। उसके लिए एजुकेशन कोड बना रखा है, जिसके आधार पर ग्रान्ट इन एड की व्यवस्था को ठीक प्रकार की व्यवस्था के रूप में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि राजस्थान के अन्दर एक अजीब परिस्थिति मुझे देखने को मिलती है, वह अजीब परिस्थिति क्या है कि ग्रान्ट इन एड के लिए जो युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट होता है, वह सबमिट नहीं किया जाता है। कानून यह है कि ग्रान्ट इन एड का जो अमाउन्ट पिछले वर्ष का है उसका युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट पेश करें, उसके बाद आगे ग्रान्ट इन एड दी जाय। मैंने कुछ आंकड़े राज्य सरकार की किताब से निकाले हैं, वे प्रस्तुत करना चाहूँगा; जिनके आधार पर मालूम हो जायगा कि कितने केसेज़ के अन्दर ग्रान्ट इन एड के युटिलाइज़ेशन सर्टीफिकेट लोगों ने

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं दिये हैं और इस प्रकार कानून की अवहेलना की है, १९५८-५९ में २० लाख ५० हजार ४०१ के आंकड़े....

(विराम)

अभी बता देता हूँ, इसके अन्दर १९५८-५९ के अन्दर २० लाख की ग्रान्ट इन एड के मामले हैं, जिसके अन्दर १ लाख ५४ हजार के मामलों में ग्रान्ट इन एड के युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं किये गये हैं, १५ जनवरी को। इस तरह १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ के कुल मिला कर १२२६६ इस प्रकार के केसेज़ हैं जिनके अन्दर युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट पेश नहीं किये गये। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट पेश किये बिना ग्रान्ट इन एड दी जा सकती है, जब कि एक एक मामले के अन्दर....

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : ग्रान्ट इन एड किस तरह की है ?

श्री भैरोंसिंह : यह म्युनिसिपैलिटीज़ की है, प्राइवेट स्कूल्स को ग्रान्ट इन एड दी जाती है, इस प्रकार की इन्स्टीट्यूशन्स हैं जिनको ग्रान्ट इन एड मिली हुई है, उनको युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना चाहिए....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) ; नोन रेकरिंग ग्रान्ट है या रेकरिंग है, दोनों हैं ?

श्री भैरोंसिंह : दोनों हैं। उस स्थिति में जहाँ एक करोड़ के सर्टिफिकेट नहीं हैं, यहां यह संकेत करता है कि सरकार खर्चे के मामले में किस प्रकार विचार नहीं करती है। मैं उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूँ, अजमेर बालिका विद्यालय हटूंडी है, उसके सम्बन्ध में तीन-चार बार प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर मिले, उनके आधार पर मैंने स्वयं ने सारे मसले की जांच की। उसके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसको ग्रान्ट इन एड दी जाती है-अजमेर स्टेट से ग्रान्ट इन एड मिली भवन बनाने के लिए, भारत सरकार से ग्रान्ट मिली भवन बनाने के लिए, राजस्थान सरकार ने ग्रान्ट भवन बनाने के लिए दी लेकिन वह भवन पूरा नहीं हुआ और तीन जगहों से ग्रान्ट इन एड जो मिली थी, उसको हजम कर गये। उस महिला विद्यालय का इन्तजाम करने वाला आदमी है वह मामूली नहीं है, उसकी व्यवस्था करने और साधन जुटाने वाला आदमी मामूली नहीं है, टैक्निकल रूप से भले ही न हों लेकिन वे हमारे राज्य सरकार के वित्त मन्त्री महोदय हैं, जिन्होंने उसके नाम से एक लाख की थैली भी ली है उसी वर्ष में जिस वर्ष में उसको तीन जगह से भवन बनाने के लिए रुपया मिला है। मैं जानता हूँ कि वे एक लाख की थैली के लिए इन्कार करेंगे, लेकिन मैं प्रमाण भी साथ लाया हूँ, लेकिन वह प्रमाण, जब वे इन्कार करेंगे और प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे तब करूंगा....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : मैं यही इन्कार करता हूँ कि थैली नहीं मिली है।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसके प्रमाण के सम्बन्ध में एक पत्र, जो मेरे पास है, उसका निगेटिव है, इसकी कॉपी हो रही है, वह सदन में पेश कर दूंगा।....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कुछ लोगों ने आयोजन किया था, आइडिया दिया था, कुछ लोगों ने कोशिश की थी, वह अभी तक मिली नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अब वह मिला है या नहीं मिला है, इस बारे में मैं कोई दूसरे की शहादत पेश नहीं करता, अपनी शहादत पेश नहीं करता, दूसरे किसी सदस्य की शहादत पेश नहीं करूंगा, श्री हरिभाऊ उपाध्याय की पुत्री की शहादत पेश करूंगा, उन्होंने अपने बन्धु को पत्र लिखा है कि दा साहब को एक लाख की थैली भेंट की गई है....

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know whether this is the point personal in nature or this is the point in which the House deemed to be interested.

श्री भैरोंसिंह : पर्सनल नहीं है, एक वित्त मन्त्री के बारे में है। मुझे दा साहब से कोई रंजिश नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री की हैसियत से सम्बन्ध नहीं रखता, वह सम्बन्ध उस संस्था से है, जो बजट की बहस से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री भैरों सिंह : सम्बन्ध रखता है माननीय उपाध्यक्ष, १३५ लाख के टैक्स लगाये तो जिन पर टैक्स लगाये उनका जी दुःख पाता है तो हमारी सरकार अपव्यय करती है उसके लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है उसके लिये आंकड़े पेश किये हैं। जो ग्रान्ट इन एड दी गई है, जो युटिलाइजेशन का सर्टिफिकेट पेश किया, तो मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वित्त मंत्री इस सारे अकाउन्ट्स के मामले में सही निकल जायं तो चाहे जो दण्ड मुझे दें, अगर गलत निकलें तो जांच कमेटी बैठा कर हुंडी के मामले की जांच करानी चाहिये कि किस प्रकार सरकार ग्रान्ट इन एड देती है, इस सारे प्रसंग में अपव्यय होता है, उसकी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक लाख की थैली दी गई है, इसकी जांच यहीं करा लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : पत्र में लिखा हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Please place it on the table of the House.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : पत्र की इतनी चर्चा हो गई है तो पढ़ दें।

श्री उपाध्यक्ष : It may be placed on the Table of the House.

श्री भैरोंसिंह : मैं रख देता हूँ, और रोशनी से चाहें तो पढ़ लें।

श्री श्रीभानसिंह : But you should give out the contents of the letter before the House.

श्री भैरोंसिंह : इसमें लिखा हुआ है, एक लाख का कैश आपने एकत्रित किया है, दा साहब को उनकी जन्म गांठ पर भेंट देने के फलस्वरूप, उसका सारा श्रेय मिल

(श्री भैरोंसिंह)

रहा है, वह मुझे न मिल कर आपको मिलता तो अच्छा रहता, मेहनत आपने की है और श्रेय मुझे मिल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : It does not speak about the actual representation in the letter...

श्री भैरोंसिंह : दी गई हैं, रात को १२ बजे विसाऊ हाउस से निकल कर रात को अजमेर पहुंचे हैं। दूसरे दिन वर्षगांठ थी दा साहब की, थैली भेंट की गई है, लिखा है उसका श्रेय आपको मिलना चाहिये क्योंकि आपने परिश्रम किया है, मुझे श्रेय दिया जा रहा है, इसका लैटर में संकेत है, समुचित रोशनी नहीं है, नहीं तो इसको पढ़ कर सुना देता....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): फोटो के पैसे ही बिगाड़े।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I think the Contents of the letter be better read out.

श्री भैरोंसिंह : जब तक रोशनी का प्रबन्ध होता है....

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble member can go in the light and he can read it there. It is absolutely needed.

श्री उपाध्यक्ष : Whether the contents tally with what he has said ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : जिस समय तक रोशनी की व्यवस्था होती है तब तक मैं दूसरे विषय को ले लेता हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : विषय लेते ही चले जायेंगे क्या ? You have already consumed onehour.

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनट ही लेऊंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता था, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारी राजस्थान सरकार की ओर से कुछ विभाग ऐसे चलाये जाते हैं जिनको सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जाय तो ऐसा लगेगा कि वे विभाग नहीं इन्डस्ट्री हैं। इन्डस्ट्री ऐसी हैं जिनमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, कागज़ बनाने की आवश्यकता है और पैसा आये। वह खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्दर में चलने वाली इन्डस्ट्री है। हमारे वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं, बाकी के सदस्य और हैं वे खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के सदस्य होते हैं। खादी उद्योग के बारे में निवेदन करूं। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी को बता देना चाहता हूँ कि आपके सेक्रेटरी ने जयपुर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज हुआ उसमें कहा है, जजमेंट में कहा है कि खादी में मिल का सूत मिला हुआ है। मैं खुद और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य जिन्हें 'परमहंस' कहते हैं उन वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि खादी में मिल का सूत मिला हुआ है, ऐसा आपके सेक्रेटरी स्वीकार करते हैं, अकाउन्ट्स के मामले में गड़बड़ी है, इसको आपके सेक्रेटरी स्वीकार करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह चाहूँगा कि वह जजमेंट कहां है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो समयाभाव से जजमेंट सुना नहीं रहा था। इस जजमेंट में लिखा हुआ है :

"As regards allegations No. 1 and 2, that is mixing of mill made yarn in Khadi and Ghotala in the accounts of Gram Sewak Mandal, it has been admitted in the cross examination..."

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री): कहां का ग्राम सेवा-मण्डल है ?

श्री भैरोंसिंह : करोली का है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : दा साहब, यह तो बहुत पुराना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सर्टिफाइड कॉपी है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : अधिकृत कॉपी है मेरी तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष : इसको मैं नहीं मान सकता।

श्री भैरोंसिह : यह अधिकृत कॉपी है, इतना तो विश्वास मान कर चलें। लेले कमेटी ने जांच करके दा साहब को सर्टिफिकेट दिया था कि बालकृष्ण गर्ग, जिनको खादी के लिये भारत सरकार से मदद मिलती थी, उस खादी में मिल का सूत मिला हुआ है। इसीलिये उनको खादी का काम करने से बन्द किया था। दा साहब ने उन्हीं को खादी का काम दिया है..........

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह गलत है कि उनको खादी का उद्योग करने से मना किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : लेले कमेटी ने सिफारिश की थी कि नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लेले ने कहा था; पर बालकिशन हमेशा के लिये खादी का उद्योग न करें, इस तरह बन्द नहीं किया था, उस इन्क्वायरी की बात मैं बताता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : फिर भी काम करते हैं वे........

श्री उपाध्याय : ५ मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : जल्दी कर रहा हूँ। लास्ट पोइन्ट रह गया है।

"राजस्थान में खादी उद्योग की प्रगति" नामक एक किताब खादी ग्रामोद्योग की तरफ से निकली हुई है। उसमें इस बोर्ड के सदस्यों के नाम दिये हुए हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अध्यक्ष

श्री गोकुल भाई भट्ट, उपाध्यक्ष।

श्री रामेश्वरलाल, सदस्य।

श्री ओमदत्त ,,

श्री जवाहरललाल जैन ,,

श्री बालकृष्ण गर्ग ,,

श्री ब्रह्मदत्त ,,

श्री कृष्णचन्द्र माथुर ,,

(श्री भैरोंसिंह)

अब वह लिस्ट भी सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा कि इन सदस्यों के जिम्मे इस बोर्ड का कर्जा कितना है। यद्यपि कानून में कोई व्याख्या नहीं है पर नैतिकता के आधार पर जिस बोर्ड के वे सदस्य हैं उस बोर्ड से कर्ज नहीं लेना चाहिये; लेकिन उन्होंने कर्ज लिया है। गोकुल भाई भट्ट ने २१,५४१ रुपये का एक कर्ज लिया है और दूसरा कर्ज ६३,२०० का लिया है, जिसके बारे में एम्बेजलमेंट केसेज चल रहे हैं और एन्टी-करप्शन में मामला चल रहा है। इनमें से केवल ४,६८४ रुपये वसूल हुए हैं।

इसी तरह गोकुलभाई भट्ट में और बकाया है। गोकुलभाई और ब्रह्मदत्त में ७०,२०० रु. हैं जिनमें से ४,८२३ वसूल हुए हैं।

रामेश्वरलाल और जवाहरलाल जैन में १,४२,५०० रु०।

ओमदत्त और जवाहरलाल जैन में १,१५,७५० रु०।

फूलचन्द ओमदत्त में ४६,००० रु०।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह व्यक्तिगत कर्जा है या संस्थाओं का ?

श्री भैरोंसिंह : संस्थाओं का कर्ज है। बालकृष्णजी गर्ग को ८०,२५० का कर्जा दिया गया है जो कि आपके रिलेटिव हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आज आपने गलत बातें कहने का तय किया है। बालकृष्ण गर्ग मेरे रिलेटिव नहीं हैं, मेरे साथी हैं, स्नेही हैं।

श्री भैरोंसिंह : रिलेटेड हैं; अजमेर पोलिटिक्स में रिलेटेड हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : गर्ग साहब भी हटूंडी में अध्यक्ष थे।

श्री भैरोंसिंह : श्री माथुर में २८ हजार का लोन है। आगे सुनिये। जिस संस्था के दा साहब अध्यक्ष हैं अब मैं उस संस्था का जिक्र करूंगा। बाकी की दूसरी संस्थाओं को मैं छोड़ता हूँ। इस संस्था द्वारा ५० हजार, ८०० का लोन है जिसमें से ५,२०० रु० वसूल हुआ है। बाकी अभी बाकी हैं। मैं आपके द्वारा यह जानना चाहूँगा कि जो व्यक्ति किसी संस्था का सदस्य है और दूसरी उसी प्रकार की संस्था का कार्यकर्ता भी हो तो क्या वह ऐसा कर सकते हैं ? मैं जिस संस्था का सदस्य हूँ और उसी प्रकार की दूसरी संस्था में मैं एम्पलोई हूँ तो नैतिकता तो यह कहती है कि दोनों संस्थाओं में से किसी एक का सदस्य बना रह सकता हूँ। एक से इस्तीफा देना चाहिए। मगर हमारे दा साहब तो एक ऐसी संस्था के अध्यक्ष हैं जिनके सदस्यों का चालान एन्टीकरप्शन द्वारा किया गया और जांच की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप अजमेर के लिये कह रहे हैं क्या ? मैं यह कहूँगा कि कोई ग्राम सेवा संघ ऐसा नहीं है जिसमें एन्टीकरप्शन ने किसी प्रकार की कार्यवाही व चालान किया हो।

श्री भैरोंसिंह : चिरंजीलालजी के खिलाफ हुआ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: ग्राम सेवा संघ जिसका चिरंजीलाल से सम्बन्ध है वे करोली के हैं। एन्टीकरप्शन की कोई शिकायत नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह: खारी तट ग्राम सेवा संघ, जिसके आप अध्यक्ष हैं उस संस्था ने लोन दिया है और आप उसके अध्यक्ष हैं। इस सम्बन्ध में आप जांच करना चाहें तो करा सकते हैं। इससे आपको सारी बातों का पता चल जाएगा।

इसके अलावा अब समय नहीं है। अगर आप माननीय उपाध्यक्ष से मुझे बोलने के लिये समय दिलावें तो मैं उन सब बातों को बताने के लिये तैयार हूँ।

अन्त में मैं समयाभाव के कारण मुख्य मंत्री से यही कहूँगा कि आपको कुछ मामलों में एग्जेम्पलरी पनिशमेन्ट देने की व्यवस्था करनी चाहिये। चाहे वे वैतनिक कर्मचारी हों चाहें, वे मिनिस्टर हों, चाहे अन्य अवैतनिक कर्मचारी। यह कहा जाता है कि इसके लिये एन्टीकरप्शन विभाग खुला है, मगर जब तक आप एग्जेम्प्लरी पनिशमेंट नहीं रखेंगे यह सफल नहीं हो सकता। यह विभाग बेसिस बनेगा, मगर मैं यह कहूँगा कि आप एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं रखना चाहेंगे। कुछ समय पहले एक मंत्री के खिलाफ चार्जेज़ लगाये गये थे और शिकायतें की थीं। उनकी जांच हुई। मगर माननीय चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शिकायत नहीं हुई। मगर मैं यह कहूँगा कि शिकायत हुई और उसकी जांच भी हुई और उसमें पक्षपात हुआ। मगर आप में हिम्मत हो तो मेरे साथ अभी आप चलिये। मैं ऑफिस बताऊंगा और अलमारी बताऊंगा कि इस अलमारी में जांच के कागज़ात पड़े हुए हैं। मगर यह कह कर नहीं टाला जा सकता है कि उक्त मन्त्री के खिलाफ शिकायत नहीं थी। जब भ्रष्टाचार की मन्त्रियों के खिलाफ शिकायत हो और साबित होने पर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाए तो बाकी के अधिकारियों में ईमानदारी आप ला नहीं सकते। जब किसी मन्त्री के खिलाफ चार्ज हो और आप उसकी इन्क्वायरी नहीं करावें और जो इन्क्वायरी हुई उसके अनुसार एक्शन नहीं लेना चाहते। हमारे ट्रान्सपोर्ट मन्त्री के खिलाफ नेशनलाइजेशन के बारे में शिकायत हुई। आप यह कहते हैं कि हमने जिनके खिलाफ शिकायतें हों उनके लिए अर्ली कम्पल्सरी रिटायरमेंट का प्रोविज़न रखा है और उस पर अमल किया है। मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां के यातायात मन्त्री को भी उसी प्रोविज़न के अन्तर्गत लिया जाए, उनके खिलाफ भी बहुत शिकायतें हैं। पुलिस के मामले में हमारे गृह मन्त्री भी इनकॉम्पीटेन्ट, अयोग्य रहे हैं और इस नाते अर्ली रिटायरमेंट उनको भी दिया जाना चाहिये। मैं यह कहूँगा कि कोई भी सदस्य हो, जिन पर 'इनएफिशियेन्ट' के चार्जेज़ हों उनको इनएफिशियेन्सी के कारणों से जल्दी कम्पल्सरी रिटायरमेन्ट दे देना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब हम देखते हैं कि मन्त्रियों में करप्शन है तो जब मन्त्री लोग खुद करप्शन में लिप्त हों तो वे नीचे के एडमिनिस्ट्रेशन

Page No.61

(श्री भैरोंसिंह)

में फैले हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ किस प्रकार एक्शन ले सकते हैं? वे किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले सकते । यही कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी दिनो दिन गिरती जाती है और हमारे धन का दुरूपयोग होता जा रहा है। रिश्वत खाई जाती है और उसका नतीजा यह होता है कि काम ठीक ढंग से नहीं होता और सरकार में घाटा होता है। उस घाटे की पूर्ति जनता पर टैक्स लगा कर की जाती है । मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आप भी सदन में कहते हैं और विधान सभा में अन्य सदस्य भी कहते हैं, जब कोई सदस्य विधान सभा में बोलता है तो वह भी अपनी जिम्मेदारी से बोलता है। वह भी एक जिम्मेदार सदस्य है, आपको उस पर विश्वास करना चाहिये। जो कुछ कहता है उसकी जांच करानी चाहिये, जिससे पता लगे कि जो कुछ कहता है उसमें कहां तक सत्यता है? यदि वह एक दफा सदन में गलत बोलेगा तो वह गलत बात सब के सामने आएगी और वह झूठा सिद्ध होगा और भविष्य में गलत बातें सदन में नहीं कहेगा। अगर अपनी बात को वह सही साबित करेगा तो उसको प्रसंशा होगी । अगर इस तरह से जो बातें कही जाती हैं उनकी जांच नहीं कराई जाती हैं तो मैं यही कहूँगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर इस सम्बन्ध में कुछ करना नहीं चाहते हैं और वे यही चाहते हैं कि जनता के धन का दुरूपयोग हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कुछ लेटर्स पड़े हैं, अगर आप आज्ञा दें तो पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप उनको पढ़ कर नहीं सुना सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : लैटर्स के कॉन्टेंट्स तो पढ़ कर सुनाये ही जाने चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Would the House like to know it? I don't think it is necessary.

श्री श्रीभानसिंह : The Leader has made this request that he wants to know the contents of the letter.

श्री ज्वालाप्रसाद : आप पढ़ कर नहीं सुना सकते।

श्री भैरोंसिंह : मैं इसकी टाइप कॉपी करा लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको यहीं दे दें। लैटर सदन की मेज पर रखा जाता है।

(पत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे इस सत्र में हम जितने सदस्य हैं उनके लिये यह आखिरी बजट है और अगले चुनावों में सामना करके जीत कर आवेंगे तो अगले बजट की बात होगी। इसलिये मैं समझता हूँ कि हमको एक दृष्टि पीछे की तरफ डालनी चाहिये । इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार ने आज जो कदम उठाये हैं उनसे कम से कम एग्री-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। क्यों बढ़ा है ? इसके लिए मैं यह कहूँगा कि इसकी देश भर में जरूरत थी और राजस्थान पिछड़ा हुआ था और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए कोशिश की। मगर गुमराह करने के लिये यह कहा जा सकता है कि यह प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है। यह भैरोंसिंहजी कह सकते हैं कि प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ हुई। जहां तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का सवाल है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जो टार्गेट हमने निश्चित किये थे उन टार्गेट से भी आगे खाद्यान्नों के उत्पादन में राजस्थान आगे बढ़ा है।

दूसरी बात जो डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन की स्कीम है वह भी एक ऐसा स्टेप है जिससे इस सदन को गौरव होना चाहिये कि हमारी सरकार ने इस सम्बन्ध में क्रांतिकारी कदम उठाया और प्रजातन्त्र को गांव गांव में पहुंचाया। इसके लिये हमें गर्व करना चाहिये और हम कर सकते हैं।

तीसरी बात आप देखें कि पॉवर हमको प्राप्त हुई, वह भी इसी पीरियड में भाखरा और चम्बल से प्राप्त हुई है और इसका भी जो असर है वह हमारे सरकार के प्रयत्नों का ही है। इसलिए इसके लिये भी हम गौरव महसूस कर सकते हैं।

चौथी बात न्यू इन्डस्ट्रियल पॉलिसीज़ की है। इसके लिये राजस्थान किस हालत से गुजरा और निकला, उसके पहले की १० वर्षों की तस्वीर को सोचें जो हमारी जानकारी में थी तो हमें पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़े हैं। भैरोंसिंहजी मालूम नहीं कैसे कहते हैं, उनको तो पीलिया हो गया है।

एक माननीय सदस्य : क्या हुआ है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जॉन्डिस हो गया है। वे अभी यहां हैं नहीं।

एक माननीय सदस्य : वे आ गये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वे सदन के बाहर तो अच्छी बातें करेंगे और भीतर घुसते ही उनका दिमाग उल्टा हो जाता है और आप यह देखिये कि किस वेहिमेन्स के साथ अपनी बातें कहते हैं। समझ में नहीं आता, वे कैसे कहते हैं ? क्या जनता में दिमाग नहीं है ? अगर किसी ने उनकी बातें सुनी हों तो कोई ऐसा नहीं समझ सकता कि उन्होंने जो कहा है उसमें गलत बात नहीं है। जिस समय सदन में बोलते समय जनसंघ के चुनाव का भैरव उन पर चढ़ जाता है तो वे ऐसी बातें काम में लेते हैं और उनकी हर बात के अन्दर अजीब चीज़ है। एक ऐसे दर्जे की बात कही, बड़े ढंग से कही। किसी आदमी का कर्जा होता है तो वह बात हो। उनको समझना चाहिये कि यह स्टेट के ऊपर कर्जा है और स्टेट फाइनेन्स के अन्दर कर्जे की ऐसी स्थिति होती है कि किस प्रकार से उसका रिटर्न मिलता रहे। यदि कर्जा न लेंगे तो दूसरे कामों में लगा कर फिर रिटर्न कहां से आवेगा? मय ब्याज के उस कर्जे से राजस्थान को इस प्रकार से बढ़ाने को कोशिश कर रहे हैं कि उस कर्जे को तो चुका ही देंगे और कई प्रकार के राजस्थान में रेवेन्यूज़ पैदा कर देंगे। जो वैल्थ राजस्थान में पैदा होगी उससे उन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कर्जे को चुका देंगे। किसी कूंजड़े की दूकान नहीं है कि पांच सौ रुपये हो गये तो उसको निकाल दिया। व्यक्तिगत ढंग से उनका यह सोचना है। इससे आमदनी बढ़ेगी। स्टेट के कर्जे में और किसी व्यक्ति के कर्जे में बड़ा फर्क है। व्यक्ति का कर्जा थोड़े ही है कि उसको उसकी इतनी फिक्र करनी पड़े। स्टेट के कर्जे को साधारण तरीके से लिया जाता है। एक अरब का कर्जा कहा लेकिन उन्होंने खराब नहीं कहा, यही उनकी महरबानी है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): आप रहेंगे तो यह भी हो जावेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप क्रिटि-साइज़ यह करें कि यह कर्जा लिया जा रहा है और राजस्थान सरकार ने वैल्थ क्रियेट की है, उससे रिटर्न नहीं होने वाला है और आप उससे गुमराह होते हैं तो उसकी हम सफाई दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यह चीज़ कह रहे हैं वह ठीक है या सही है। उनकी बात में सही और गलत को भी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। 'गलत, गलत, गलत' के अलावा उनको और कोई सूझता ही नहीं है। मेहरबानी करके सोचें और जब आप झूंट और सच को दोनों को डूबा देते हैं तो सच भी हो तो वह झूंठ हो जाता है। सच्ची बातें कहें तो राजस्थान के लोगों को मदद मिलेगी। यह तो मैंने उनकी बात कही।

अब बजट में जो मसले हैं उन पर कहना चाहूँगा। टैक्सेज़ के सम्बन्ध में जो कहा गया यह एक चीप प्रोपेगेन्डा है। टैक्स की वृद्धि की है। यह सही है कि हम थर्ड फाइव इयर प्लॉन के शुरू में खड़े हैं और सेकन्ड फाइव इयर प्लॉन में काम करके खत्म किये हैं। ऐसे वक्त में जो स्थिति है वह हमारे सामने है कि हमने कमिट किया है ८० करोड़ रुपया थर्ड फाइव इयर प्लॉन में कि उनको अपने सोसेंज़ से निकालें और कमिटमेंट के बारे में हमारे यहां डेवलपमेंट करते चलें। राजस्थान को हर जगह पिछड़ा हुआ कहते थे। मैं सही कहता हूँ कि राजस्थान के उन गांव के नाम किसी ने कहीं नहीं पढ़े थे; खाचरियावास, दांता। कोई नहीं जानता था। आज वे राजनैतिक पिक्चर में आये हैं। उनको बढ़ावा मिला है। उनकी इम्पोर्टेन्स हुई है। आज राजस्थान उस जगह खड़ा हुआ है कि वह भारत के सारे प्रोवि-न्सेज़ के साथ में कन्धे से कन्धा भिड़ा कर बढ़ रहा है। 'चित भी मेरी, पुट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का', इस तरह का नारा लगाते हैं; इधर कहते हैं कि प्लान कैसे छोटे हो गये, पंजाब वालों का असर आता है। वे परसों बोल रहे थे। आदमी कोई एक सही बात लेकर चले, एक लकीर पर चले तो उसकी प्रतिष्ठा और उसकी बात में वजन होता है। आप कहते हैं कि पंजाब वालों का असर है। बी. जी. राव ने यह कह दिया था। कहते हैं कि प्लान बड़ा होना चाहिये। बड़ा किया तो कहते हैं कि रिसोर्सेज़ क्या रहते हैं? टैक्सेज़ के बारे में कहते हैं कि इस पर क्यों लगा दिया, उस पर क्यों लगा दिया?

श्री भैरोंसिंह: उसका तो वित मंत्री जी जबाब दे देंगे, आप क्यों कष्ट करते हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जरा धीरज रखिये। उन्होंने तो हमेशा यह कह दिया कि वे बजट ऑफिसर पर विश्वास करते हैं और दस्तखत कर देते हैं। मैंने उनको 'परमहंस' जान कर कहा है। सही कह देते हैं।

मैं इस बजट के सिलसिले में कह रहा था कि कोई टैक्सेज़ ऐसे नहीं लगाये हैं कि जिनकी वजह से आप प्रोपेगेन्डा करके हमारे ऊपर यह बात लगायें, क्या किया है ? पहले जो टैक्सेज थे उनमें पर्सेन्टेज बढ़ा है। लेकिन टैक्सेज के स्ट्रक्चर में फर्क नहीं पड़ा है। मोटर मेरे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है। जनता के पास भी नहीं है।

कई माननीय सदस्य : डीज़ल पर लगाया है, भाड़े में वृद्धि की है, टैक्स लगाया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : डीज़ल और पैट्रोल पर। उसका इन्सीडेन्स किस पर जा रहा है ? गुमराह नहीं करना चाहिये। जनता का आह्वान पहले किया और करते रहे हैं। जनता शान्ति से देख रही है चार साल से। इस तरह से चलते रहें, कूदते रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं तो उसकी परवाह नहीं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : आंखें बन्द करके।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं कह रहा था, ऐसी बात नहीं। कुछ बातें मैंने आपके सामने जनरल बजट के बारे में और टैक्सेज़ के बारे में अर्ज की। कोई टैक्स लगाते हैं तो जनता को डाइरेक्ट टैक्स से भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। जनता पार्टीसिपेट कर रही है। लेकिन मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ और इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, खास तौर पर वित्त मंत्री महोदय का और वह मैं ध्यान यह दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा इसमें इस रूप से ऐसे टैक्सेज़ रख दिये जाते हैं जिनको हमेशा पास तो करा लिया जाता है और फिर डेपुटेशन्स लेने शुरू हो जाते हैं और विधान सभा को यूज़ करके जो चीज़ आप पास करा लेते हैं उसको फिर रिलेक्स कर देते हैं। पिछली मर्तबा सिनेमा पर आपने कर लगाये। डेपुटेशन चले आये। चर्चायें चलीं, एडवर्टाइज़मेंट मिले और फिर रिलेक्स कर दिया। दूसरा कहता हूँ कि ऊन पर टैक्स लगाया, डेपुटेशन्स पर डेपुटेशन्स आये, बरात की बरात बंगले में ठहरी और थोड़े दिनों में कह दिया कि इसमें भी रिलेक्सेशन। वित्त मंत्री साहब से प्रार्थना करता हूँ कि झूठ थोड़े ही कहता हूँ; जैसा उनके साथी बीच में कहते हैं: so many representing 'Un' Udyog from Beawer were around his Bungalow.

श्री भैरोंसिंह : आप तो बरात की बरात कह रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रिलीफ दिया, उसके लिए मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मुझे इस बात पर सख्त एतराज है कि जब आप सदन से उसको पास करवा कर लागू करने का हक प्राप्त कर लेते हैं और रिलेक्स कर देते हैं तो इस तरह से सदन से हक प्राप्त कर लेने के बाद आपको किसी तरह से उनको रिलेक्स करने का अधिकार नहीं है। ऊन की गांठ पर कर लगाया और उसको रिलेक्स

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कर दिया और हट्टन्डी को उस दिन से एक आना गांट चन्दा मिलना शुरू हो गया।

(विराम)

उस इन्स्टीट्युशन को चन्दा दे दिया। इस प्रकार से रिलेक्स कर देते हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : This is a very serious charge and I will draw the attention of the Chair as well as of the House. He has levied very serious charges against the Hon'ble Finance Minister that he has relaxed the taxes raised and has charged certain amount from those tax-payers for his institution and I will request the Leader of the House to make enquiries and also the Hon'ble member to put facts before the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Yes, I can say it to every member that such sort of affairs are there.

(२. म० प०)

जो आपके द्वारा रिलेक्सेशन दिया गया है वह दिया नहीं जाना चाहिये। उससे हमारी प्रेस्टिज खराब होती है। हम अजमेर के अन्दर सिर ऊंचा करके नहीं चल सकते। केकड़ी जाते हैं तो हम वहां के लोगों से मिल नहीं सकते। बीकानेर वालों से पैसा नहीं आता।

इस प्रकार से सिनेमाओं पर टैक्सेज़ बढ़ा दिया पहले तो आपने फिर उसमें रिलेक्सेशन कर दिया। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आप कमी नहीं कर सकेंगे। आपको कमी करने नहीं दी जायगी, आप टैक्सेज़ बढ़ाइये। हमें जहां देश को बढ़ाना है वहां टैक्सेज़ भी बढ़ाने होंगे। आप पहले ही टैक्सेज़ के बारे में प्रोपोज़ल्स लाते हैं उस पर पूरी तरह से सोच-विचार करके लाइये, लेकिन हाउस द्वारा जब स्वीकृत हो जाते हैं तो आपको उसमें कमी नहीं करनी चाहिये। आपको कमी करने का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। मैं वित्त मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप कांग्रेस की सरकार की तरफ से एलान कर दीजियेगा कि अब इन टैक्सेज़ में किसी प्रकार का रिलेक्सेशन नहीं आयगा। पहले सोच-समझ कर रखें। उसके बाद जो कुछ तय हो जाता है उसमें कमी मत कीजिये। उस महीने में, जिन दिनों में आपने ऊन पर से कर में कमी की उन दिनों में जो प्रेसेज़ से गांटें बन्धी हैं उनके अकाउन्ट को देख लीजिये; उन दिनों में हट्टन्डी को चन्दा मिलना शुरू हुआ या नहीं, यह देख लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Jwala Prasad, I take it as a serious allegation. I will like, before you speak in the House, that facts with evidence should be put till then it cannot be acceptable if the facts are not corroborated with evidence. I don't treat as a responsible ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में

Page No.66

(श्री भैरोंसिंह)

में निवेदन करना चाहूँगा। मामला सीरियस है और उसके लिए प्राइमरी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। इस प्रकार का जो एलीगेशन आया है उसके सम्बन्ध में सदन में अगर और ज्यादा स्पष्टीकरण कराया जायगा तो इन्क्वायरी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले सदन के नेता इस बारे में इन्क्वायरी के लिए डिक्लेअर करें, उसके बाद में मैं सोचता हूँ सुबूत जिस किसी को देना होगा वह सदन में सुबूत देने की बात नहीं, वह इन्क्वायरी कमेटी के सामने उसके सुबूत देगा। अब जो एलीगेशन लगाया जा चुका है उसको रिपीट नहीं करते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी इन्क्वायरी कराई जाय और इस मैटर को ज्यादा इलेबोरेट करने की इजाजत न दी जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I can say that with full responsibility, I am telling it...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो भी बातें कही हैं वे किन्हीं तथ्यों पर आधारित होनी चाहिये थीं। जब कोई तथ्य नहीं हैं, then how can I request the House to take these facts into consideration ?

श्री भैरोंसिंह : तथ्य तो उन्होंने रख दिये। अगर और ज्यादा तथ्य रखे जायेंगे तो हट्टूण्डी का रेकॉर्ड आज ही गायब हो जायगा।

श्री श्रीभानसिंह : It is within the right of the Hon'ble member to levy a charge against an Hon'ble Minister. It is upto the Leader of the House to make enquiries which may be in favour of the...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Enquiries should be made.

श्री उपाध्यक्ष : But the charge should be constructive.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is not a Court of law where it should be brought with evidence.

श्री अर्जुनदास : The charge is very serious.

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री श्रीभानसिंह : This is a very serious charge and the Hon'ble member has a right to say...

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जिस दिन से एक्ज़ेम्पशन हुआ उसी दिन से देख लीजिये हट्टूण्डी में पैसा देना शुरू हो गया।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह नहीं आता कि बिना चार्जेज़ के इन्क्वायरी किस बात की होगी ? विधान सभा में किसी प्रकार के चार्ज लगाये जाते हैं तो उस सम्बन्ध में पूरे फैक्ट्स पहले विधान सभा के समक्ष आने चाहिये। विधान सभा का कॉन्फिडेन्स तो आप लेना नहीं चाहते, उसके बिना इन्क्वायरी बैठ नहीं सकती।

श्री श्रीभानसिंह : It is not within the Competence of the Legislature. It is not a court of law.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बातें बिना किसी आधार के कहना बहुत गलत है।

श्री अर्जुनदास : I believe that the charge is very serious and enquiry should be held.

श्री उपाध्यक्ष : I will not take a notice of it unless some sort of evidence is there.

श्री अर्जुनदास : It is an allegation on the floor of the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत शांति से जो भी बातें हैं वे रख रहा हूँ। विरोधी पक्ष के सदस्य मुझे उकसाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : And they have succeeded to.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबस्टेन्शियली इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अमाउन्ट्स कोई बनाये नहीं जा सकते। ये जो प्रेसेज़ हैं जहां से गांठे दाबी जाती हैं वहां के हिसाबात से जाना जा सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of Order, Sir,. is he levying any charge?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I will let you know...

श्री उपाध्यक्ष : Let us hear him.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कह रहा था I will request the Chair that I should be saved from these interrupters.

श्री श्रीभानसिंह : The Hon'ble member should point to that side as 'Interrupters'.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब्मिट कर रहा था कि किसी प्रकार के चार्जेज़ की बात नहीं है। हरिभाऊजी सत्य बोलते हैं, वे सत्यता से हटेंगे नहीं और इस बात पर भी वे सत्य बोलेंगे। दूसरा मैं श्री बृजमोहन को गवाही के लिये पेश करता हूँ, अपनी बहनों को पेश करता हूँ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : On a point of order, Sir, I would like to bring it to the notice of the House that under Rule 273...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : I call the House to order.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : This Rule reads "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker & also to the Minister

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

concerned..." Since this procedure has not been followed, allegations of this type should not be made.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : My submission is that I am speaking on the budget and about its anamolies and what has been overlooked by the Government. I am within my rights to tell this thing to the House.

श्री भैरोंसिंह : Continue please.

श्री श्रीभानसिंह : I think Rule 271 is different. It says: "A member desiring to make any observation on any matter before the House shall speak from his place, shall rise when he speaks and shall address the Speaker."

श्री महेन्द्रसिंह पवार : I said Rule 273.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा वक्त खराब हो रहा है, मुझे बहुत कुछ कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : So we don't take note of what has been said in the matter of allegation.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके बाद मैं अब दूसरा सिलसिला शुरू करता हूँ। मैंने जिस बारे में कहा है सबूत दे सकता हूँ। मैंने तो आपको आगाह किया है। अगर आप इन्हें सीरियस समझते हैं तो हाउस इसके बारे में कॉग्निजेन्स ले, लीडर ऑफ दी हाउस कॉग्निजेन्स लें।

अब खादी जो सवाल हमारे सामने है। यह केवल हमारा ही सवाल नहीं, इसका हमारी जिन्दगी के साथ सम्बन्ध है और रहेगा। खादी के प्रश्न के ऊपर मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि इसका राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ महत्वपूर्ण योग रहा है। इसको विरोधी लोग नहीं समझ सकते। यह जहां हमारे सेन्टीमेन्ट्स का सवाल है उसके साथ साथ इसका आजादी की लड़ाई के साथ आजादी के मोर्चे के अन्दर इसको हथियार बनाकर प्रयोग किया गया और यह दुनिया के सामने रखा गया है, इतना इस खादी का महत्व है। इस खादी के सिलसिले में जो यह कहा जाता है कि खादी सरकार द्वारा चलाई जाती है यह गलत है खादी स्वयम चलती है, सब्सिडी नहीं मिलेगी तो भी चलेगी। खादी सेवा संघ के अध्यक्ष पूज्य महात्मा गांधी थे। उनके सामने इसको चलाने का खास मकसद यह था कि इससे गरीबों को रोजी–रोटी मिलेगी। आज हम देखते क्या है कि उस रोजी को मिटाने के लिये सरकार ने यन्त्रीकृत कारखाने लगा दिये और उसका नतीजा यह हुआ कि खादी को जीवित रखने के लिये कांग्रेसी सरकार ने यह तय किया, मिल का कपड़ा जो बनता है उस पर सेस लगाया जाय और वह लगाया गया, अगर कोई खादी खरीदता है तो चार आना फी रुपया कमीशन देने का तय किया गया और इस तरह गरीबों को रोजी–रोटी देने के लिये खादी बोर्ड और खादी कमीशन कायम हुआ। जहां तक खादी संघ का ताल्लुक है उसके सम्बन्ध में मैंने पहले भी कहा था और आज भी मैं इस बारे में कह रहा हूँ। मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

आपके सामने एक लिस्ट रख देता हूँ, उसको टेबल ऑफ दी हाउस पर रखने को तैयार हूँ।

श्री भैरोंसिंह : उसके कॉन्टेन्ट्स बतलाइये ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कॉन्टेन्ट्स दे रहा हूँ। २-५-५८को खादी संघ के सिलसिले में खादी बोर्ड की एक कम्पलेन्ट होती है आई० जी०,एन्टी करप्शन, श्री हनुमानप्रसाद के पास। कम्प्लीट पढ़ सकता हूँ। २-५-५६ को रेड होती है पुलिस की। कुछ सामान ले जाती है। इसके बाद सब-इन्सपेक्टर इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है।

श्री अर्जुनदास : कहां ? अजमेर में या जयपुर में ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जयपुर में, यही सेन्टर है। रेड होती है और पुलिस वाले सामान को जो भी मतलब का निकलता है ले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं और जनवरी ६०, तारीख मालूम नहीं, तारीख नहीं दे सकता, को डी. वाई. एस. पी. एक लिस्ट तैयार करते हैं और जो जो रिकमन्डेशन करते हैं वह मैं पढ़ देता हूँ :

"He should be suspended and we should be allowed to register a case against him."

हमारे चेयरमैन साहब के सेक्रेटरी, चेयरमैन हैं वित्त मंत्री साहब, सेक्रेटरी कोई उनके शर्मा-वर्मा हैं। तो उनके लिये लिखते हैं :

श्री भैरोंसिंह : ज्वालाप्रसाद शर्मा तो नहीं हैं कहीं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं तो इसमें विश्वास ही नहीं करता, आप करते होंगे।

तो उनके लिये लिखा : "He should be suspended and we should be allowed to register a case against him."

अब अगस्त-सितम्बर, ६० में झाला साहब सेक्रेटरी थे, हनुमानप्रसादजी जाकर सलाह करते हैं। सलाह करने पर यह होता है कि झाला साहब ही बदल जाते हैं। वे भी एग्री करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Sir, are these Government papers or non-official papers ?

श्री उपाध्यक्ष : You are perfectly correct. I would like to know the nature of the file. Whether it is a Government file or Khadi Board's file.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am submitting the very report on the table of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, proceed.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो इसके बाद राय साहब आ जाते हैं। ए. के. राय साहब, एक नोट लिखते हैं—राय साहब इन्डस्ट्री सेक्रेट्री रहे हैं : "As Khadi Board is a statutory body, therefore, some member of the Board should be appointed to enquire."

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

Then our Hon'ble Minister, Shri Hari Bhau Upadhyaya approves to appoint Shri A. K. Roy to enquire.

उपाध्यक्ष महोदय, राय साहब एक चार्ज-शीट देते हैं। इसमें लिखते हैं कि जनाब सेक्रेटरी साहब आप पर यह चार्ज शीट सब्मिट करते हैं, आप महरबानी करके अगर पेपर देखना चाहते हों तो आई. जी. पी. के दफ्तर में पहले देख लें। चार्ज शीट उनको मिलती है। पर वे आई. जी. पी. के दफ्तर में जाते नहीं कागज देखने। पुलिस के सामने जाने का उनको मोरल करेज नहीं है और बगैर उन कागजों को देखे ही अपना जवाब देते हैं। जवाब देने के बाद ए. के. राय साहब उस फाइल को मंगा कर नहीं देखते हैं। उसी जवाब पर नोटिंग करके मिनिस्टर को भेज देते हैं। Without seeing the record the Secretary replied, and the Industries Secretary without discussing with the I. G. Anti corruption disposed of the case.

क्वेश्चन यह है कि आज जो बजट का मसला है। इस पर एक साल एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट मेहनत करता है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of order, Sir, I still want to know about this file. How it has come in the hands of the Hon'ble member.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आसमान से आई है।

श्री भैरोंसिंह : This is our privilege.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : You are nobody to ask it.

श्री जनार्दनराय नागर : I have every right to raise the point of order.

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : आपकी चोरी पकड़ी गई है इसलिये ?

श्री उपाध्यक्ष : I will entertain this point of order when I have seen the file itself, which is likely to be placed on the table of the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उसमें से आपके सामने पढ़ कर रख रहा हूँ। उनको कहें कि वे इसे चैक करें।

श्री उपाध्यक्ष : The whole file has to be placed on the Table of the House. After you have argued your case, the whole file is to be placed on the Table of the House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : By all means, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, will resume.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Yes, Sir, मैं अर्ज कर रहा था कि पॉइन्ट इसके अन्दर यह है, मुझे बार बार लाइन पर से न उतारिये। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और जिम्मेदारी के साथ कहने वाले पर एलीगेशन

Page No.71

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं लगाना चाहिये। मैं मांग करता रहा हूँ, बीच में बोल कर....

श्री अर्जुनदास : इनको गश आ रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं तो यह जानना चाहता था कि ये सरकारी कागज हैं या नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : There is substance in your point.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं अर्ज यह कर रहा था कि एन्टीकरप्शन की रिपोर्ट क्या है? इसमें १४ चार्जेज़ हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद सदन को मैं यह बताना चाहता हूँ कि उसकी रिपोर्ट को किस तरह से सप्रेस किया गया, उसे व्हाइट वाश किया गया और उसी खादी के साथ किया गया है जिसका सम्बन्ध पवित्रता से रहा है। जिस खादी के नाम से हम बचपन से प्रेरणा लेते आये हैं और जिसके बल पर आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहे और हमने यह दावा किया कि इसके सहारे हम गरीबी की लड़ाई को आगे बढ़ा कर ले जाना चाहते हैं। Oh Fraud, thy name is Khadi Board !

मैं आगे आता हूँ। कुछ मसाला और पढ़ कर सुनाता हूँ। फरमाते हैं "This Board gets the budget for establishment for its Head Office and other schemes from the Government of Rajasthan and for running the Industries by way of granting loans and subsidies, the funds are obtained from Governmnet of India through Khadi & Village Industries Commission, Bombay, and this amount as reported comes to about Rs. 55 lakhs a year. The main function of this Board is to provide financial aid for the societies and the institutions which are doing the work of Khadi and Village industries.

This Board consists of members who are connected with this movement in one way or other. This is a democratic set up which enhances these responsibilities of the members of the Board in utilising the public money in the proper way.

The present Secretary, Shri Chiranji Lal Sharma, against whom this P. E. is being conducted is also the Chairman of the institution which gets loans and subsidy from this Board in addition of his being a full time Government gazetted officer."

तो उन्होंने इसको यहां सेक्रेटरी होते हुए काफी अधिकार दिये हैं। ये सरकार के गजटेड ऑफिसर हैं, दूसरे गजटेड अफसर अगर बच्चे को पढ़ाने की फीस भी ले तो उसे पर्मिशन लेनी पड़ती है पर इनको;

"Not only this, but he was also the convenor of the Loans Sanctioning Committee and during his period loans were sanctioned to the institution of which he is the Chairman."

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इनको लोन सैंक्शन के भी पॉवर्स हैं और जिसको लोन लेने हैं उनको लोन देने के पॉवर्स भी हैं।

"There is no permission of the Government or the Board which authorises him to act on above two places. From my personal enquiry I found that Shri Bhura Lal Baya, who is the Zonal Director of the Khadi & Village Industries Commission was given choice by the Commission either to serve as the Zonal Director or the Chairman of the Nav Nirman Sangha, which was getting loans and subsidy from Commission, Bombay."

यह क्या हो गया है ? लोन लेने वाला भी नहीं बन सकता और लोन देने वाला भी नहीं बन सकता। लेकिन वहां से बयाजी को भी हट जाना पड़ा, लेकिन चेयरमैन और सेक्रेटरी आज अपने आपको इतना पॉवरफुल महसूस करते हैं कि बयाजी तक वहां से चले गये; लेकिन ये वहां रह सकते हैं :

"Accordingly Shri Baya resigned from the Chairmanship inspite of the fact that he does not exercise or come in the picture in allotment of funds, whereas in the Board the Secretary can influence such sanctions and even has granted loans.

In my opinion, this is a fundamental defect, as by this procedure the officer is likely to act in the way of favouritism."

आखिर यह मैंने आपको बताया। लेकिन उनको हिम्मत कैसे हुई ? जो अजमेर का ग्राम सेवा मण्डल है और जो खादी सर्वोदय मण्डल है उसमें आज हमारे महान् नेता हैं। इसका मुझको अत्यन्त दुख है कि इन लोगों के नाम को एसोसियेट करके जो हमारे पुराने नेता हैं उनकी छत्र-छाया में ये चीजें चल रही हैं। जिसका यह सुबूत है। वहां यह होता है वह भी वहां लोन लेता है। खुद हरिभाऊजी, जो कि उसके चेयरमैन हैं वे लोन लेते हैं और मैं कहूँ कि इस सदन के साथ ज्यादती क्या हो रही है, ज्यादती यही है कि यह एक्ट १९५५ में पास हुआ है। मैं उन लोगों की तारीफ बताऊं। उन लोगों ने सब कुछ देख कर इस एक्ट को बनाया है। उसके कुछ सेक्शन्स पढ़ कर बताऊंगा। उन्होंने ऑफिस ऑफ प्रोफिट के लिए कहा है। मैं आपको पूरा पढ़ कर बताता हूँ :

"12. Disqualification for appointment on the Board—

(1) A person shall be disqualified for being appointed or for continuing as a member of the Board if he :

(a) holds any office or place of profit under the Board,

(b) is found to be a lunatic or becomes of unsound mind,

(c) is, or at any time has been, adjudicated insolvent or has suspen-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ded payment of his debts or has compounded with his creditors,

(d) has directly or indirectly by himself, by his wife or son, or by any partner, any share or interest in any subsisting contract or employment by or on behalf of the Board."

अब चेयरमैन ने उनको इजाजत नहीं दी। खुद ही तो प्रेसीडेन्ट हैं....

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble member please. It is allright that the House appears to be interested in what Mr. Jwala Prasad expresses, but is this debate or the portions of this debate relevant to the issue ? I think it is hardly so. There are so many other members who want to speak on the question, and if he goes on in this manner, speaking on matters which are not relevant, then the time of other Hon'ble members would be lost. I would request the Hon'ble member to be brief and not to read so many extracts from the papers which are to be placed on the table of House.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसकी रिलेवेन्सी बताऊं। मैं थोड़ा ही और अर्ज करना चाहता हूँ।

इस रिपोर्ट को जैसा आपने हुकम किया है, मैं यहां रखूंगा। इसके साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे मामले भी रखना चाहता हूँ कि जिससे आपको यह पता चलेगा कि यह तो कुछ भी नहीं है। ये खादी बनाने की बात करते हैं। खादी कहीं बनती नहीं है। बनती ही नहीं है; बल्कि इसका सबूत चाहिए तो मैं दे सकता हूँ क्योंकि जिस गांव में सब्सिडी का रुपया लिया जाता है और सब्सिडी लेने वालों के जहां अंगूठे लगे हैं वे आदमी आपको नहीं मिलेंगे, वहां खादी पहिनने वाला नहीं मिलेगा। सिर्फ २ रु० १० आने सब्सिडी सरकार से वसूल की जाती है अंगूठे का निशान लगा कर। मैं आपको उन गांवों के नाम ले सकता हूं और मैं आपको बताऊं कि खादी तट सर्वोदय संघ ने ७५ हजार रुपये सब्सिडी के क्लेम किये। उसके ऊपर एक साहब ने इन्क्वायरी की और उसको बिल्कुल बोगस डिक्लेयर किया। यही नहीं, बल्कि सब जगह थोड़ा बहुत हो रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि राजस्थान सरकार इसके ऑफिस का खर्चा चला रही है। इस खादी से जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए वह एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि स्टेटिस्टिक्स निकालो तो गोविन्दगढ़ के अन्दर जितने लोग थे उन्होंने कोई खादी नहीं बनाई। इतना खर्चा नहीं बना, सब जगह गलती है। आप देखिये जितने खादी घर यहां चल रहे हैं उनमें राजस्थान का माल बहुत कम मिलेगा, बम्बई का माल बहुत होगा। आप यह देखिये कि स्थिति यह बनाई हुई है कि जितनी भी चटक-मटक की चीजें खादीघरों में होंगी वे सब बाहर की होंगी। राजस्थान का माल बहुत कम होता है। पर यहां नाम मात्र के लिए काम होता है, दूसरी जगह काम ज्यादा होता है। इन्डस्ट्रीज़ मिनिस्टर को इसका चेयरमैन माना है। मैं बहुत अदब

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

के साथ कहना चाहता हूं कि यह इन्डस्ट्री मिनिस्टर के पास क्यों जानी चाहिए ? १॥ करोड़ का इसके लिए बजट रखा है । तो मेरा कहना यह है कि १॥ करोड़ के मैनेजमेंट को कन्ट्रोल करने के लिए कोई आर० ए० एस० ऑफिसर होना चाहिए । पर वे कहते हैं कि गांधीजी के टाइम पर १॥ करोड़ तो क्या ५ करोड़ के मैनेजमेंट को संभाला है, आर० ए० एस० ऑफिसर उसमें क्या करेगा ? मैं अन्त में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ । जहां तक पंचायतों का सवाल है, मैंने बताया था कि डीसेन्ट्रलाइज़ेशन के मामले में हमारी सरकार का सबसे पहला कदम है । मैं सारे टैक्सों को सपोर्ट करता हूँ और आज जनता को आह्वान करता हूँ कि राजस्थान जिस तरह से चल रहा है यह पूरी प्रगति के साथ आगे बढ़े । आप कितना ही चिल्लाओ, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री महोदय ने सन् १९६१-६२ का बजट रखते हुए हमारे सामने राजस्थान को गई दो पंचवर्षीय योजना का, जहां तक आर्थिक प्रबन्ध का सवाल है, एक खाका हमारे सामने प्रस्तुत किया है । वित्त मन्त्री महोदय ने बहुत ही ठीक कहा है कि राजस्थान का आर्थिक प्रबंध अभी शिशु अवस्था में है और वह आशाओं से भरे बालक के समान है । मैं इस उपमा के साथ ही साथ यह भी उपमा मिला देना चाहता हूँ कि राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था और राजस्थान का अर्थ-प्रबंध एक ऐसी नदी के समान जो अभी अपने स्रोत से निकली है और धीरे धीरे उसकी गति में एक शक्ति आ रही है । उसका विस्तार भी अब पूरा होने जा रहा। राजस्थान के आर्थिक प्रबन्ध के मामले में अभी मेरे माननीय मित्रों ने अपने विचार व्यक्त किये और उन्होंने कहा कि राजस्थान के ऊपर आज गये दस वर्षों में काफी कर्जा बढ़ गया है और श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय मित्र ने कहा कि राजस्थान के ऊपर कर्जा १ अरब २३ करोड़ का है और इससे आप भयभीत हैं और आपने यह नतीजा निकाला है, एक बड़े ऊंचे आर्थिक पंडित के नाते, बड़े दक्ष आर्थिक पंडित के नाते यह नतीजा निकाला कि राजस्थान में गुजरी दो योजनाओं का कर्जा है एक अरब और कुछ लाख का और इसके लिए आप भयभीत हैं। आप यह कहते हैं कि इससे तो राजस्थान की सरकार दिवालिया हो गई है । आपने जो यह अन्दाजा लगाया है; यह मैं मानता हूँ बिल्कुल स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी ऐसी बातें नहीं कर सकते । मुझे अदब के साथ कहना पड़ता है; कि उनके दिमाग में केवल एक भ्रम है यह उनके स्वयं के आर्थिक प्रक्रिया के ज्ञान की कमी के कारण यह चीज़ हमारे सामने आई है ।

हम सब जानते हैं और सारा हिन्दुस्तान जानता है और हिन्दुस्तान के आयोजनों पर विचार करने वाले दुनिया के लोग इस बात को जानते हैं कि कर्जा हमको लेना पड़ेगा और आर्थिक नीति का संतुलन रखते हुए हमें विकास का काम निरन्तर करना पड़ेगा।

(श्री जनार्दनराय नागर)

हमारे वित्त मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा है कि हमारा तृतीय आयोजन एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है जब हमें अधिक से अधिक वजन उठाना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा और हमें साहस और धैर्य के साथ राजस्थान को विकास के मार्ग की ओर आगे ले जाना पड़ेगा। यह जो १ अरब और कुछ करोड़ रुपयों का घाटा है उससे किसी भी माननीय सदस्य को भयभीत नहीं होना चाहिये; क्योंकि यह कर्जा हमने किया है राजस्थान की जनता के जीवन के विकास कार्यों के लिया किया है और उसके बदले में जो हमें मिलने वाला है उसकी प्रक्रिया भी जारी हो गई है। हम देखते हैं कि जितना कर्जा है राजस्थान राज्य पर, उसके मुकाबले में हमारी जो संभूतियां हैं, कृतियां हैं उसकी ओर इशारा नहीं किया गया है। मैं समझता हूँ १ अरब का कर्जा है तो उससे कहीं अधिक हमारी संभावनाएं हैं जिन्हें योजना के प्रारम्भ से ही मान कर चले थे। यह ठीक है कि प्राप्ति के क्षेत्र में प्राप्ति के क्रम को ठीक नहीं कर पाये हैं। हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाये हैं, उनसे सिंचाई प्रारम्भ की है। उससे जो प्राप्ति का क्रम है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।

राष्ट्रीय जीवन को ऊंचा उठाने के लिये यदि आर्थिक सूत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तो निस्संदेह हमें कर लगाने पड़ेंगे और जो टैक्सेशन से भयभीत होते हैं, जो कर्जे से भयभीत होते हैं, वे लोग होते हैं जो प्रतिक्रियावादी हैं और जिन्हें शासन चलाने का हौसला नहीं है, वे हौसलाहीन लोग हैं जो बात को दूसरी तरफ लगा कर कहना चाहते हैं कि राज्य पर कर्जा है। यह बड़ी सफाई से कहा गया कि राज्य पर इतना कर्जा है, इसलिये राज्य दिवालिया हो जायगा।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि राजस्थान राज्य में बराबर कर लगते जा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि हमने कर्जा किया है, हमने कर लगाये हैं लेकिन इसलिये नहीं लगाये हैं कि अर्थाभाव में कोई काम नहीं कर पायेंगे, इसलिये नहीं लगाया कि आर्थिक भित्ति कमजोर है या इसलिये नहीं लगाये हैं कि इन्हें खा जाना चाहते हैं। हमने कर इसलिये लगाये हैं कि राजस्थान को नई आर्थिक नीति जो जनता पूर्ण कर सके, कर इसलिये लगाये हैं कि हम निरंतर विकासोन्मुख हों, निरंतर शक्ति प्रदान करें। ऐसी आर्थिक नीति बनाई है।

जब राजस्थान पुनः बना था, सामन्तवाद जाता रहा था, बीच के लोग खत्म कर दिये गये थे। उस समय जो राजस्थान कीप रिस्थिति थी उस ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ५२-५३ में ही नहीं, बल्कि मैं कहना चाहूँगा ५४ में राज्य की स्थिति ऐसी थी कि राज्य कर्मचारियों को समय पर वेतन भी प्राप्त नहीं हो सकता था और बैंक से ओवर ड्राफ्ट करके चुकाना पड़ता था। चारों ओर से राजस्थान के लोग सूचना देते थे कि राजस्थान के पास रुपये नहीं हैं। लेकिन दो योजनाओं के अन्त में और तृतीय योजना के आरम्भ में राज्य में जहां विकास कार्यों की क्षमता बढ़ी है, विकास कार्यों का विस्तार हुआ है और उसका परिणाम सामने आने लगा है वहां राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। मैं वित्त विभाग को निश्चित

(श्री जनार्दनराय नागर)

तौर से मुबारिकबाद देना चाहता हूँ कि आर्थिक किटाकिटी के समय उन्होंने जो विश्वास रखा था उसके कारण वे उसमें से धैर्य से, शान्ति से, जिम्मेदारी से और सावधानी से गुजरे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा कर वे उसे पार लगा सके और राजस्थान आज तृतीय योजना में से गुजरता हुआ चौथी और पांचवी योजना के लिये तैयारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ गलत तरीके से पोगंड की भावना से भर कर विरोध नहीं किया जा सकता।

आप कहते हैं कि हमें ऋण नहीं लेना चाहिये था, लेकिन ऋण नहीं लेंगे तो क्या करेंगे जब कि हमारे आर्थिक साधन ऐसे नहीं हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित है तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे ? हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना १०० करोड़ से कम की थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना १०५ करोड़ की थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना २३६ करोड़ की आ रही है। कहां तो हमारे माननीय मित्रों को प्रसन्नता होनी चाहिये थी कि जो संकट का युग था जिसमें लाखों लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं था, लोग छटपटा रहे थे वहां पंचवर्षीय योजनाओं ने लोगों की छटपटाहट को दूर किया, उनको विकास मार्ग पर लगा-कर दो योजनाएं पार की हैं। वे कहते हैं कि हमने बहुत कर्जा लिया, बहुत टैक्स लगाया। लेकिन यह उनकी समझ का दोष है। यह कर्जा जनता के जीवन को स्वस्थ और प्रतिष्ठित करने के लिये है। उनको शायद इसका ज्ञान नहीं है या उनको समझ नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ अत्यन्त विनय के साथ।

हमारा भारतवर्ष तीसरी पंचवर्षीय योजना को आरम्भ करने जा रहा है। अरबों रुपयों का कर्जा भारत सरकार पर है। हमारी भारत सरकार विदेशों से कर्जा लेती है और कई तरह के समझौते उस कर्ज के हैं। वह शायद माननीय मित्र को मालूम हो तो उनको मूर्छा आ जाय या हृदय गति रुक जाय। अज्ञान से मूर्छा आती है और हृदय-गति बंध हो जाती है। अगर उनमें कुछ हौसला हो तो आने वाले चुनावों के समय बहुमत बनावें और अपनी हुकूमत बनावें। लेकिन न तो सदन में आपका बहुमत बनाने देंगे और न हुकूमत बनाने देंगे। हुकूमत उनकी बनती है जो जनता को नेतृत्व देने के लिये समर्थ होते हैं। हुकूमत पाने के लिये अंधेरे रास्तों, ऊबड़-खाबड़ घाटियों और अंधेरी रातों से मुकाबला करना पड़ता है। राजस्थान ने जब आयोजना शुरू की थी तब गहन अंधेरा था, लंबी रातें थीं, डगमगाता पथ था, उस समय बहुत से उतार-चढ़ाव थे। लेकिन खुश किस्मती इस बात की है कि सन् ५५ से वे दिन खत्म होने लगे और अपेक्षाकृत सुदृढ़ सरकार है, निश्चित सरकार हमारे पास है। एक निश्चय के अनुसार हमने पहली पंचवर्षीय योजना पार की, दूसरी पार करने जा रहे हैं, और तीसरी पंचवर्षीय योजना को उत्साह और साधनों के साथ प्रारम्भ करने जा रहे हैं। राजस्थान की जनता विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है। जब हम एक सुदृढ़ भित्ति पर खड़े हुए हैं तब यह कहना कि सरकार दिवालिया है, सरकार ने

(श्री जनार्दनराय नागर)

इतना कर्जा कर लिया है, इतने टैक्स लगा लिये हैं; यह एक तरह से बचपन की सी बात है। जो लोग यह नहीं जानते कि सारे हिन्दुस्तान की जनता प्रगति के पथ पर चल रही है वे आवश्यक ज्ञान से वंचित हैं जो यह नहीं जानते कि १२-१३ वर्ष हमें आजाद हुए हुए हैं फिर भी करोड़ों की संख्या में जनता प्रतिदिन विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रही है। जब अंग्रेज साम्राज्यवादी चले गये, जब राजाओं का राज्य गया तब उन्होंने आर्थिक भित्ति के रूप में हमें दिया क्या था ? जो कुछ उन्होंने दिया वह कर्जा था। वह किया हुआ कर्जा नहीं था, वह स्वार्थ पर वास्तविक रूप में भार था। लेकिन आज जो कर्जा राजस्थान पर है चाहे वह सवा अरब का है, चाहे डेढ़ अरब का है, मैं कहना चाहता हूँ कि वह जनता के विकास के लिये है। राज्य पर भार इसलिये मालूम होता है कि आज कर्जा है; लेकिन ५० वर्ष बाद मैं मानता हूँ कि वह कर्ज के रूप में नहीं आयेगा। यह ठीक है कि जितना कर्जा करते हैं उसको वापिस चुकाने का उत्तरदायित्व भी हमारे ध्यान में रहना चाहिये। हमारे मित्रों को इस बात में संदेह है। लेकिन जितना विकास कार्य होता है उसके लिये कर्जा करना पड़ता है। यह राष्ट्रीय ऋण है, व्यक्ति का ऋण नहीं है। व्यक्ति खयाल करता है कि ऋण को वापिस कैसे अदा करेगा, वह सभी स्रोत अपने हाथ में रखने की कोशिश करता है। मेरे माननीय मित्र यह समझते हैं कि पैसे का भी ऋण लें तो उससे पहले ऋण चुकाने की पूंजी की व्यवस्था कर लें।

ऋण कोई आदमी इसीलिए लेता है कि उसके पास पूंजी नहीं है। जब विकास कार्यों के लिए ऋण लिया जाता है तो उसका मतलब यह होता है कि पहले पूंजी आबद्ध रूप में नहीं होती। ज्यों ज्यों ऋण से विकास की संस्थाएं खुलती हैं, सरणियां खुलती हैं त्यों त्यों पूंजी प्राप्त होती जाती है। आरम्भ में ऋण लेना पड़ता है, ऋण की अवधि के काल में हम पूंजी प्राप्त करते हैं, उसकी हम अदायगी करते हैं, उसका हम ब्याज देते हैं। मैं आज यह कहना चाहूँगा कि हिन्दुस्तान में जो हुकूमत अधिक से अधिक ऋण लेकर पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा करना चाहती है और आय के स्रोत बना कर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनना चाहती है, मैं उसे जनता के विश्वास की सरकार मानता हूँ, एक उत्तरदायी सरकार मानता हूं; इसलिए मानता हूं कि उसमें इतनी क्षमता है कि वह पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर सकती है। जो हुकूमत आज राजस्थान की पंचवर्षीय योजनाओं को निभा नहीं सकती, पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा नहीं कर सकती, प्रान्त का विकास नहीं कर सकती, राजस्थान की जनता को उसके लिए तैयार नहीं कर सकती, मैं उसे जनता की हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे मित्र ने कई बातें कहीं, लेकिन उनके उत्तर में कटु सत्य को सुनने के लिए वे इस सदन में रहें या न रहें, वे केवल जनता में आन्दोलन चलाने वाले हैं। उनके पास अब भी पुरानी नीतियां हैं, उनके पास एक भी नई और प्रगतिशील नीति नहीं है। आज जब भी उन्हें समाजवाद की बात सुनाई पड़ती है, वे भन्ना उठते हैं। वे समझते हैं कि समाजवाद आया नहीं कि

(श्री जनार्दनराय नागर)

डेमोक्रेटिक जनता को काबू में रखने का उनका मानसिक भावुक दृष्टिकोण हो गया है, वह खत्म हो जायगा। इसलिए जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो वे बोखला उठते हैं, कर लगाने की बात आती है तो वे बोखला उठते हैं, वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं, जो कर्त्तव्य पूर्ति के पक्ष में न होने से सदन में इस प्रकार की बात कहते हैं।

हम जो राजस्थान का राज्य चलाते हैं, हम पर, मैं समझता हूँ, काफी जिम्मेदारी है। जो बहुत सारी बातें तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में, कर लेने के बारे में, टैक्स वसूल करने के बारे में कही हैं उनके पीछे वित्तीय साधन की मांग है, जो विकासोन्मुख जन-जीवन की आर्थिक मांग है, जिसे धीरे धीरे बनाने और क्रमिक विकास करने की व्यवस्था दी गई है, जिसका अभी अभी शिलान्यास किया है, उसका स्पष्टीकरण करना मैं जरूरी समझता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बराबर समझ रहा हूं कि १९५०-५१ से राजस्व आय में निरन्तर वृद्धि हुई है। बीच में एक-आध वर्ष आय के क्रमिक विकास की गति में शिथिलता दिखाई दी। १९६०-६१ तक राजस्व की प्राप्ति करीब करीब, मैं समझता हूँ, ४० करोड़ हुई और १९६१-६२ के इस बजट में हमें यह बताया गया है कि हमारी अनुमानिक राजस्व प्राप्ति होगी वह ३९ करोड़ की होगी। मैं समझता हूँ कि १९५०-५१ में १९ करोड़ की राजस्व प्राप्ति से हम चले और चलते चलते आज तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में राजस्व प्राप्ति करीब ३९ करोड़ होगी। इसको प्रगति नहीं मानते, क्या यह नहीं मानते कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था जो नई है उसके विकास का यह प्रमाण है? वे इसे छिपा जाते हैं। कहते क्या हैं कि आपने कर ऐसे लगाये हैं जिसकी वजह से जनता की कमर टूट गई है। हां, कर लगाये, जब सदन में कर लगाने की बात आती है, हम अदब के साथ विरोधियों को कहा करते हैं कि राज्य जिनको चलाना है उनको पैसा चाहिए, पैसा प्राप्ति के साधन चाहिए। जो आय के साधन, टैक्स लगाने के साधन हैं उनको काम में लाया जायगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कई पंचायत समितियों ने टैक्स लगाये, डेढ़ वर्ष में यह परिस्थिति जनता के सामने आ गई कि यदि हमें विकास करना है तो वह राज्य की मदद से हो सकता है। लेकिन राज्य हमें रुपये में से आठ आना मदद दे सकता है, इसलिए जनता को स्वयं मदद करनी है। आज श्रमदान के द्वारा, टैक्स के द्वारा, निरन्तर रूप में जनता के विकास का काम निपट रहा है। स्वयं वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में स्वीकार किया है कि जितना श्रमदान से पंचायत क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्र में, जन-पदीय क्षेत्र में आर्थिक लाभ हुआ है, आर्थिक शक्ति बढ़ी है वह ऐसा है कि राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था में एक प्रकार की सेफ्टी वाल्व है।

मैं कहूँना चाहूँगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने टैक्स लगाने प्रारम्भ किये, जब पंचवर्षीय आयोजन की गुंजाइश नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी योजनाओं में लोग लेने की बात कहते हैं, मैं तो कहता हूँ सही मायने में हमने द्वितीय पंचवर्षीय

(श्री जनार्दनराय नागर)

आयोजन में काम शुरू किया है । मैं मानता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना में काम शुरू किया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में टैक्स लगाया, उस वक्त कहा गया था, उस वक्त यही मेरे माननीय मित्र कहने वाले थे कि इससे जनता की कमर टूट जायगी, जनता में असंतोष फैल जायगा, एक बगावत हो जायगी। मैं समझता हूँ कि न तो जनता में असंतोष फैला है और न ही बगावत के चिन्ह नजर आये हैं, बल्कि जो ११ करोड़ के टैक्स लगाये थे उनके बजाय टैक्स से आमदनी १३ करोड़ की हुई है; यह प्रमाण है, यह साबित करता है कि जनता विकास के कामों के लिए टैक्स लगाना पसन्द करती है, रजामन्द है, इसलिए ११ करोड़ के बजाय १३ करोड़ की आमदनी दी है । यह वह राज्य सरकार ही कर सकती है, वह दल ही कर सकता है जो राजस्थान की जनता के साथ सम्पर्क रखता हो । यह कह देना कि यह सरकार और इस सरकार के साथ बैठने वाले जनता से सम्पर्क नहीं रखते । मैं उनसे नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ कि अगर सरकार का और हमारा जनता से सम्पर्क नहीं था तो बगावत क्यों नहीं फैली ? आपने सरकार को सावधान किया था, आपकी बात को सरकार ने नहीं माना तो आपने कहा था कि सरकार गिर पड़ेगी, लड़खड़ा जायेगी, उपाध्यक्ष महोदय, वैसी तो कोई बात नहीं हुई, उल्टे साढ़े तेरह करोड़ की प्राप्ति पंचवर्षीय योजना में टैक्सों के जरिये से हुई है ।

मैं एक बात और रखना चाहता हूँ, अफसोस तो इस बात का है कि वे उसे सुनने के लिए नहीं हैं, केवल खाली कुर्सी, जो जड़ हैं, सुना करती है, वे उन कुर्सियों पर नहीं रहे, लेकिन इन कुर्सियों के सुनने पर वे स्वयं सुन लेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, सही बात है जब पहली बार राजस्थान के इतिहास में सरकार ने सार्वजनिक लोन लेने का फैसला किया, मैं समझता हूँ कि जब सरकार सार्वजनिक लोन लेती है तो वह सरकार के लिए एक कसौटी हुआ करती है । मैं जानता हूँ कि १९५० से पहले बराबर राजस्थान को तत्कालीन हुकूमत को कहा करते थे कि राजस्थान के विकास के काम के लिए ऋण लीजिये, लेकिन जो हुकूमत करने वाले थे उनमें हौसला कम था, इसलिए सार्वजनिक लोन नहीं लिया । उपाध्यक्ष महोदय, हमने सार्वजनिक लोन तीन बार लिया । मैं अदब के साथ माननीय विरोधी कुर्सियों को कहना चाहता हूँ कि १५ करोड़ का सार्वजनिक कर्जा लिया, यह सरकार के अन्दर जनता के विश्वास का प्रमाण है, इस सरकार के स्थायित्व का आधार है । यह इस बात का प्रमाण है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के पांच साल के काल में किये कामों को जनता ने पसन्द किया है, यह पंचवर्षीय आयोजन सफल हुआ है और आज इस परिस्थिति में हैं कि हम दावे के साथ, आत्म-विश्वास के साथ कह सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में २३१ करोड़ रुपये का प्लान प्रस्तुत किया है, उसमें ८० करोड़ के साधन हमें जुटाने पड़ेंगे । इस ८० करोड़ के साधन जुटाने में हमें ३२ करोड़ के कर लगाने पड़ेंगे । दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल में, उपाध्यक्ष महोदय, हमें ११ करोड़ के टैक्स लगाने की जरूरत पड़ी, आज ३२ करोड़ के टैक्स लगाने की आवश्यकता है । ये टैक्स हमें लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमें पंच

(श्री जनार्दनराय नागर)

वर्षीय योजना को चलाना है। यह ठीक है कि जो साधन जुटाने हैं वे ३२ करोड़ की प्राप्ति के लिए हैं, यह राशि केवल टैक्सों के द्वारा ही वसूल की जाय। मैं इसे गलत मानता हूँ, मैं यह मानता हूँ कि हर राज्य टैक्सों के ऊपर ही चलता है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि टैक्स पर सरकार चला करती है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सरकार टैक्स पर चलती है, जन-सहयोग पर चलती है, ऋण लेकर चलती है, जनता को उपदेश दे देकर जन सरकार चलती है और एक समय आता है जब जनता को कष्ट देकर, जनता से त्याग करा कर सरकार चलती है। जब सरकार के सामने अकाल की स्थिति हो, सरकार के सामने संक्रमण काल हो और सरकार के सामने युद्ध हो! तब जनता को देश के लिए कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। उसी तरह एक गरीबी और अज्ञान के खिलाफ लड़ने का युद्ध होता है, एक पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। यह लड़ाई आम जनता की गरीबी, अज्ञान, दुःख के खिलाफ, जीवन की समस्याओं के खिलाफ लड़ने की लड़ाई है। इसका मुकाबला उस लड़ाई से नहीं है जो मानव सभ्यता में युद्ध स्मरणीय हैं। इस तरह की लड़ाई कई देशों की जनता ने लड़ी है और एक मशाल उठाई है। वहां युद्ध शुरू हुआ है और कल्पना, कामना और भावना के साथ लोग मार्च पर रहे हैं। यह केवल राजस्थान में ही नहीं, समस्त हिन्दुस्तान की जनता सघन अन्धकार के खिलाफ दो लड़ाई खत्म कर चुकी है और तृतीय पंचवर्षीय आयोजन में तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। इसमें राजस्थान की जनता को खून और पसीना देना पड़ेगा। हो सकता है उन लोगों के खून और पसीने से देश में समन्दर लहलहा उठे लेकिन हमारे राजस्थान की जनता इस बात के लिए तैयार है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए, चौथे आयोजन के लिए, पांचवे आयोजन के लिए, आज की संतति के लिए और कल आने-वाली संतति के लिए, उनके वर्तमान और भविष्य के लिए वह खून और पसीने से सरकार को योग देने वाली है। यह तो राजस्थान की प्रगति का बजट है जिसके पीछे समाजवादी समाज बनाने का हमारा संकल्प है। इसमें जो रुकावट डालना चाहते हैं उनको यह चुनौती है। यह एक ताकत है जो हमारे इन कमरों से निकल कर प्रतिक्रियावादी ताकतों को चुनावों में हराने के लिये, पछाड़ने के लिये तिलमिला रही है। यह बजट इस बात की शंख-ध्वनि है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना से समाजवादी समाज की ओर जा रहे हैं। हम उसके दरवाजे पर आ कर इस प्रकार की कायरता की बातें नहीं सुनना चाहते थे। हम विरोधी पक्ष से सुनना चाहते थे कि इस प्रकार के कार्यों में और प्रगति की जाय, जो प्रगति की गई है कम है और की जाय, और आगे बढ़ा जाय, इतनी धन-राशि तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिये अपर्याप्त है, अतः और धन-राशि जुटाई जाय। हम यह नहीं सुनना चाहते थे कि यह भी ठीक नहीं, वह भी ठीक नहीं। यदि वे चाहते हैं कि कांग्रेस को हरायें, चुनावों में जीतें तो मैं उनको सकाम रूप से सहयोग देने को तैयार हूँ, अकाम रूप से नहीं। पर क्या आप तीसरे आयोजन के बाद चौथा आयोजन करने को तैयार हैं? इसके लिये रुपया जुटाने की क्षमता है आप में? यदि

(श्री जनार्दनराय नागर)

तीसरे आयोजन के बाद चौथा आयोजन नहीं करना चाहेंगे तो राजस्थान की जनता आपको कभी साथ देने वाली नहीं है क्योंकि राजस्थान की जनता चाहती है कि उसे तीसरे आयोजन से चौथे आयोजन में ले जाया जाय, चौथे आयोजन से पांचवें आयोजन में ले जाया जाय। तीसरी पंचवर्षीय योजना से चौथी पंचवर्षीय योजना का आयोजन और बड़ा होगा और चौथी पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना का आयोजन और अधिक बड़ा होगा, इनमें और अधिकाधिक धन राशि लगानी पड़ेगी और इनके बाद छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं से कर-भार में कमी होगी। यह व्यक्तिगत मामला नहीं है, समाजवाद का मामला है, समाजवादी समाज का मामला है।

तो मैं कह रहा था कि यदि आप अपने आपको प्रगतिशील कहलाना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में जनता का भला करना चाहते हैं तो आप जुटाइयें ४५ करोड़ रुपया, राजस्थान की विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये, राजस्थान को निरन्तर प्रगति-पथ अग्रसर करने के लिये....

श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, यह कौनसा भाषण है ? यह जनता के प्लेटफॉर्म पर दिया जाने वाला भाषण है; यह जनता का प्लेटफॉर्म नहीं, विधान सभा है, यहां बातें तथ्य की करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कहना चाहिये था, पर क्या कहूँ, भाषण तो ठीक हो रहा है।

श्री जनार्दनराय नागर : राजस्थान की विकास योजनाओं को प्रगति देने के लिये १.३५ लाख के टैक्स ६१-६२ में लगाये गये हैं तो कहना कि गजब हो गया, मैं तो कहता हूँ अभी हुआ क्या है, यह तो शुरुआत है :—

"इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या,
आगे आगे देखना होता है क्या"

जब हम राजस्थान को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिये, विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिये, हमारे आर्थिक श्रोतों को विकसित करने के लिये धन-राशि जुटाना चाहते हैं तो जनता से कहा कि डीज़ल पर थोड़ा टैक्स दो, एन्टर्टेनमेंट टैक्स पर ज्यादा पैसा दो, ७ की जगह १० दो, तो आपको बड़ी गड़बड़ाहट हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आ रहे हैं। यदि आप कहें कि टैक्स लगाने में हम साथ में हैं तो लोग आपको वोट नहीं देंगे। पर दूसरी तरफ हम हैं जो जानते हैं कि चुनाव होने वाले हैं फिर भी हम टैक्स लगा रहे हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जावेंगे, जनता को समझावेंगे कि विकास कार्यों के लिये, हमारे राजस्थान के आर्थिक श्रोतों को विकसित करने के लिये हमने ये टैक्स लगाये हैं। हमें इन पांच सालों में ३०-३५ करोड़ के टैक्स लगाने हैं, हमें ऋण भी लेना है विकास की योजनाओं के लिये। राजस्थान की प्रगति के लिये टैक्स भी लगाने पड़ते हैं। जनता कुछ नाराज़ भी होती है, पर इस आशा से चलती है कि विकास कार्यों की वृद्धि होगी और इससे हमारा प्रान्त आगे

(श्री जनार्दनराय नागर)

बढ़ेगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना में दस-ग्यारह करोड़ के सार्वजनिक ऋण लेने जा रहे हैं, वहां हमारी दूसरी प्लानें हैं ।

इन तमाम प्रमाणों से एक बात साबित होती है और वह यह है कि हमारे राज्य ने यह नया प्रबन्ध जारी किया है, जिसके लिए वित्त मंत्री कहते हैं कि यह एक सुन्दर बालक है, इसका विकास होता रहेगा । तो मैं समझता हूँ इन तमाम बारीक बातों को समझने की हमारे मित्रों को कोशिश करनी चाहिये । पर जहां वित्त मंत्री ने कहा कि परिगणित जाति के लोगों के उत्थान के लिए इतनी धन-राशि रखी गई है तो कहा गया कि यह उसूलन गलत है, गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप देने की बात कही गई तो कह दिया गया कि यह उसूलन गलत है, अच्छे छात्रों को स्कॉलर-शिप देने की बात कही गई तो हमारे मित्र इसको मामूली बात मानते हैं । आज राजस्थान जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति में से गुजर रहा है उस आर्थिक स्थिति में से गुजरते हुए भी निर्धन विद्यार्थियों को राज्य स्कॉलरशिप देकर मदद कर रहा है तो इसकी सराहना की जानी चाहिये थी, पर हमारे मित्र इन सब बातों को मामूली बात मानते हैं ।

दूसरा विश्व विद्यालय खोलने की बात और सैनिक स्कूल खोलने की बात इस बजट में कही गई है । राजस्थान में इस वित्तीय भाषण में तीन बड़े कार्यों की घोषणा की गई है । पहली बात है राजस्थान में दूसरा विश्व विद्यालय खोलने की, दूसरी बात है सैनिक स्कूल खोलने की और तीसरी बात है तीसरी मेडिकल कॉलेज और एक और इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने की । ये तीन बड़ी बातें हैं जो राजस्थान के विकास की शृंखला में कड़ियें हैं । इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं वित्त मंत्री । आज के युग में सैनिक स्कूल की बड़ी आवश्यकता है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि क्या ही अच्छा होता कि इस सैनिक स्कूल के स्थान पर एक बहुत ही उच्च कोटि का सैनिक प्रशिक्षणालय खोला जाता और राजस्थान के हर युवक को सैनिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाती । दूसरा विश्व विद्यालय जो खोला जायगा वह कैसा खोला जायगा, यह मैं नहीं जानता । आज राजस्थान में जो विश्व विद्यालय है उस तरह का विश्व विद्यालय खोल कर राजस्थान में क्षेत्रीय विश्व विद्यालय खोलने की मनोवृत्ति अपनाई जाकर उस तरह का विश्व विद्यालय यदि खोलना चाहते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में धीरे धीरे विश्व विद्यालय खोलने का आयोजन होगा, क्षेत्रीय विश्व विद्यालय खोलने के पीछे राज्य सरकार की क्या नीति है, मैं नहीं कह सकता । जयपुर में विश्व विद्यालय है उसके समान ही विश्व विद्यालय खोला जायगा या अन्य प्रकार का ? मेरी सूचना यह है कि राजस्थान में टैक्निक का विश्व विद्यालय होना चाहिये । दूसरे विश्व विद्यालय से राजस्थान सरकार का यह इंगित है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ ।

तीसरा मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है उसका भी मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि राजस्थान में डॉक्टरों की बहुत कमी है ।

खादी के बारे में बहुत बातें कही गईं ।

(श्री जनार्दनराय नागर)

एक माननीय सदस्य ने एक मुकदमा ही हमारे सामने पेश किया। मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्य को अधिकार है कि मुकदमे ही सदन में पेश कर दें। हम निरन्तर कहा करते हैं कि अमुक प्रकार के आवेदन रखने चाहिये। तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के राज्य के कागजों को सदन में रखना अच्छी परम्परा मैं नहीं मानता।

खादी के मामले में स्थिति अच्छी नहीं है तो दूसरे तरीके हैं, जांच कर सकते हैं; पर सदन में जब कि राजस्थान के आर्थिक और सामाजिक विकास की बात करते हैं उस वक्त कहना कि खादी में मिल का सूत मिला था, यह बजट के प्रतिकूल पड़ता है। खादी के प्रतिष्ठान हैं उनको चलाने वाले बोर्ड के मेम्बर हैं तो वे लोग उन प्रतिष्ठानों के लिये बोर्ड से क्यों नहीं कर्जा लें? मेरी समझ में नहीं आता कि वे क्यों नहीं अपने प्रतिष्ठानों के लिये कर्जा ले सकते। उस बोर्ड का मन्त्री है तो वह अपने प्रतिष्ठान के लिये कर्जा ले सकता है। इसमें मैं समझता हूँ किसी तरह की रुकावट नहीं है और न होनी ही चाहिये। हां, व्यक्तिगत रूप से अपना मकान बनाने के लिये या अपनी जायदाद बनाने के लिये कर्ज लिया हो तो आपत्तिजनक हो सकता है; पर वे उस प्रतिष्टान के मन्त्री हैं और उस प्रतिष्टान के लिये कर्ज लेते हैं तो क्या बुरा किया? खादी में काम करने वाले, खादी की संस्थाएं, यदि खादी बोर्ड से कर्जा प्राप्त नहीं करेंगी तो कहां से प्राप्त करेंगी? मगर जैसा कहा जाता है कि एक्ट में मुमानियत है, मैंने कोई एक्ट देखा नहीं है, अगर एक्ट में इसके लिये किसी प्रकार की बाधाएं और मुमानियतें हों तो उनको किसी दूसरे प्रकार से दूर किया जाना चाहिये था। उसके लिये सारे मामले को भ्रष्टाचार का रूप देकर इस तरह से सदन में नहीं रखना चाहिये। इसके लिये और भी बहुत से तरीके हैं जो काम में लिये जा सकते थे। मगर समझ में नहीं आया कि यह मामला यहां सदन में क्यों रखा गया। इन मामलों को भी अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की तरह से ही समझा जाना चाहिये और इनको सदन में रखे गये नहीं समझा जाना चाहिये। इसके लिये दूसरे प्रकार से कार्यवाही हो सकती थी। राजस्थान में आज कोई भी सदस्य खादी बोर्ड का होगा वह वही व्यक्ति होगा जो या तो खादी का काम करने वाला होगा या खादी में दिलचस्पी लेता होगा या महात्मा गांधी के साथ काम करने वाले होंगे या उनके समर्थक होंगे। हम भी इसके समर्थक हैं। दूसरा कौन सदस्य बनेगा? इसमें वही व्यक्ति आयेंगे जो इसमें दिलचस्पी लेते हों और जो सदस्य होंगे उनको ही निश्चित रूप से ज्यादा लोन दिया जा सकता है। अगर उनको खादी के काम के लिये लोन के रूप में या सब्सिडी के रूप में रुपया दिया जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उसको आप भ्रष्टाचार नहीं कह सकते। अगर एक्ट में इसके लिये कोई मुमानियत हो तो मैं नहीं कह सकता। अगर किसी ने खादी की उपयोगिता के लिये कर्जा लिया है तो उसको आप भ्रष्टाचार नहीं कह सकते और इस कार्य के लिये उसको रुपया मिलना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा समय दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : You will please now wind up the debate.

श्री जनार्दनराय नागर : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ा समय दिया गया है। दूसरे लोगों को तो आपने बोलने के लिये १॥ घन्टा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : लगभग पौन घन्टा तो आप भी बोल चुके हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे इतना समय नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : There are many other members. It is a question of convenience of other members as well. You have already taken 45 minutes.

श्री जनार्दनराय नागर : मैं यह कहूँगा कि खादी की उन्नति करने के लिए अगर कोई लोन लिया जाता है तो उसमें भ्रष्टाचार नहीं है।

अब यह कहा जाता है कि खादी में मिल के सूत की मिलावट होती है। इसके लिए मैं यह कहूँगा कि सिद्धान्ततः तो किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिये।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मिलावट है।

श्री उपाध्यक्ष : Will not disturb please.

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे ऐसा भान होता है कि आप भी मिलावट के हैं। खादी उद्योग की तरक्की के लिए कार्य होता है और उस कार्य के लिए अगर लोन लिया जाता है तो इससे आपको दर्द क्यों होता है? मुझे समझ में नहीं आया। अगर खादी के विकास की गतिविधियों में किस प्रकार की यदि कोई कमी आ गई है तो उसको दूर करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में दो-तीन बातें नई कही गई हैं। एक बात तो वित्त मन्त्री महोदय ने बताई कि हमारे यहां की शिक्षण संस्थाओं में गरीब बच्चों को मिड डे मील देने का प्रावधान किया है। मैं यह वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि आपने अमीर और गरीब का भेद कर दिया है। आज जिन बच्चों के पिता की आमदनी कम होगी उनके बच्चे मिड डे मील नहीं ले सकेंगे। अर्थाभाव वाले लोगों को आप गरीब कहते हैं और जिनके पास अर्थ है, पैसा है उनको अमीर माना है। इससे बच्चों में आपस में ऊंच-नीच का भेद पैदा होगा। हुजूर को यह मालूम नहीं है कि....

श्री उपाध्यक्ष : "Huzur" is not a parliamentary expression and I will request you to use a common word which is always used in the House.

श्री जनार्दनराय नागर : लेकिन 'हजूर' तो हुजूर ही है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : It is a Ruling from the Chair. You should withdraw it.

श्री जनार्दनराय नागर : हमारे यहां पर कोई ऐसा सोचने का कारण नहीं। प्रजा-

(श्री जनार्दनराय नागर)

तन्त्र में मैं मानता हूँ कि हमारे आम जनता के बच्चे हैं उनको गरीब कहना एक प्रकार से उनका अपमान करना है। उनको हम गरीब नहीं कह सकते । ठीक है, उनके पैरेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है मगर उनका दिमाग, उनका मन, उनकी ताकत बड़ी अमीर है और आज हम राजस्थान में देखते हैं कि सबसे बड़ी हुई चीज है वह ग्राम बच्चों की योग्यता है, उनका मस्तिष्क है। उनको गरीब और अमीर के भेद की बात कहना, मेरी समझ में नहीं आता कि वे किसको अमीर और किसको गरीब मानेंगे। इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री ने हमें कुछ हिन्ट नहीं दिया। इसके अलावा हमारे यहां शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी संख्या ५०० है। मगर उनकी हालत अच्छी नहीं है। आज सरकार द्वारा इनके लिये नियम बने हैं वे कंजूस बनियों के नियमों से भी कठोर हैं और वे किसी काम के नहीं हैं। मैं यह कहूँगा कि इस सम्बन्ध में सदन में एक कमेटी की घोषणा की गई थी। मैं जानना चाहूँगा कि उसके लिये क्या किया ढिलाई का प्रयत्न क्यों है? मैं आपके जरिये उसकी याद सरकार को दिलाना चाहता हूँ।

मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में जो कमेटी बैठी उसको, और हुकूमत से भी कहा कि जिस प्रकार इन्डस्ट्रीज़ के लिये दो अलग अलग सेक्टर्स हैं—पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर उसी प्रकार शिक्षा में भी बनाये जावें। तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपको इनको किसी न किसी सेट-अप में लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य की नीति इसे सार्वजनिक संस्थाओं के हाथ में देने की है। जब मैंने ऐसा सुना तो मुझे खुशी हुई पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट को छोड़ कर मध्य स्तर की शिक्षण व्यवस्था हमारे जिला बोर्ड को सौंप दी जानी चाहिये। यह बहुत अच्छा होगा कि शिक्षा का काम धीरे धीरे जन-मत के हाथ में दे दिया जावे। मैं जानना चाहूँगा कि उनके लिये क्या हो रहा है? समय नजदीक आ रहा है कि या तो इन शिक्षण संस्थाओं को हमें बन्द करना होगा या सरकार को सौंप देना होगा। जब हिन्दुस्तान गुलाम था तो राजस्थान के लोग भी ज्यादा गुलाम थे। मगर जब भारत आजाद हुआ तो सभी लोग गुलामी से आजाद हुए। आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ काल में यदि इन शिक्षण संस्थाओं के लिए कुछ निश्चित नहीं करते हैं तो यह बड़े असन्तोष की बात है।

(समयस-मासि-सूचक घंटी)

फिर इन संस्थाओं के सिर पर आर्थिक अभाव का चक्र घूम रहा है जो बहुत ही भयानक है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कमेटी के रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं माननीय उपाध्यक्ष कहना चाहता हूँ कि वह यह है कि बेसिक शिक्षण की क्या स्थिति है। आपने इसके बारे में क्या कदम उठाये हैं? मैं जानना चाहता हूँ। ५१, ५२, ५३, ५४, ५५ तक तो सरकार की राय बेसिक एजुकेशन के सम्बन्ध में मालूम होती है। आज केवल आंकड़ों में यह कहा जाता है कि शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ है। मैं इस बात को मानता हूँ और इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा का विस्तार हुआ है; लेकिन

Page No.86

(श्री जनार्दनराय नागर)

मैं यह जानना चाहूँगा कि बेसिक एजुकेशन की क्या हालत है ? मैं यह कहूँगा कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि जहां कहीं भी बेसिक एजुकेशन की स्टडी है वह धीरे धीरे बदलती जा रही है। मैं शिक्षा के मामलों में यह मानता हूँ कि हमारी कमेटी बनी हुई है।

(घंटी)

अब मैं एक बात संक्षेप में कह कर यह बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार बहुत से लोगों को बाहर ट्रेनिंग के लिये भेजती है, उसके लिये भारत सरकार की कमेटी बनी हुई है। आज राजस्थान के इतनी कॉलेजेज़ और संस्थाओं में से बहुत कम लोग भेजे गये हैं....

(घंटी)

अन्त में, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का द्वार खुलने को है। यह बजट हमारी तपस्या की जांच और आशा का बजट है जो इस बात को स्पष्ट बताता है कि हम समाजवादी समाज की ओर जा रहे हैं। यह मैं मानता हूँ कि हम अभी चौराहे पर हैं जहां तूफान आते हैं, आंधियें चलती हैं; उनके लिये कोई सहारा नहीं। लेकिन हमें धूप और आंधियों व तूफानों का हिम्मत के साथ सामना करके आगे बढ़ना है और दिखाना है कि यह बजट हमारे नये प्रभात का बजट है।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस समय में हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्री का एक शिष्टाचार के नाते नहीं, बल्कि हृदय से आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और मेरा आभार केवल वैसे ही नहीं बल्कि कुछ भावना लिये हुये है। चाहे हमारे वित्त मन्त्री के लिये किसी भी कोर्नर से किसी प्रकार की कोई आवाज आवे मगर हमको तो इस समय उन्हें वित्त मन्त्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय को

(३. १० म० प०)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति, पदासीन)

बतौर वित्त मन्त्री के रूप में ही देखना चाहिये। इन पांच वर्षों में राजस्थान सरकार ने आपके सुपुर्द काम किये उनको आपने कितनी खूबी और जिम्मेदारी के साथ निभाया, इस बात को देख कर आज हमें बोलना चाहिये। चाहे क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर और चाहे किसी वजह से आपके प्रति कोई शब्द कहा जाय उसका आज के बजट विवाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं नवयुवकों से कहना चाहता हूँ जो प्रायः इस बात के लिए बराबर आवाज़ उठाते हैं कि राजस्थान का वित्तीय भार, राजस्थान का लेखा-जोखा चलाने के लिये किसी युवक को यह भार सम्भलाया जाता तो बहतर होता। सभापति महोदय, मैं आपको इस बात के विरोध में कुछ कहने के लिये कोई, दूर की मिसाल नहीं दे रहा हूँ, आप अपने घर की ही हालत को देख लीजिये। आपके घर की आमद और खर्च का जिम्मा किसके ऊपर होता है। क्या उस नवयुवक पर होता है जो कमा कर लाता है ? कमाना और चीज़ है और कमाई हुई चीज़ को खर्च करना दूसरी चीज़ है। कमाना आसान है, लेकिन खर्च करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए खर्च करने की जिम्मेदारी है

(श्री रामचन्द्र)

यह या तो घर के जो वयोवृद्ध होते हैं उन पर होती है या घर की स्त्रियां होती हैं उन पर होती है। घर को सुचारु रूप से, ढंग से चलाने का जिम्मा उन पर ही होता है और यह श्रेय उनको है। सभापति महोदय, मैं नवयुवकों की बड़ी नम्रता पूर्वक इस बात की सराहना करता हूँ कि राजस्थान बनाने में और भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त कराने में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, उसको कम नहीं समझा जाता। यह उन्हीं का बलिदान और उन्हीं का त्याग है कि आज राजस्थान एक राज्य बन सकता, लेकिन इसके साथ साथ मैं यह कहूँगा कि एनर्जी उनकी थी लेकिन गाइड करने वाले दूसरे थे। उनको गाइड करने वाले थे महात्मा गांधी और सरदार पटेल, और इस समय भी हमारे सामने हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलालजी नेहरू और स्वर्गीय पं० पंतजी ने भारत के राज्य को चलाने का भार ले रखा है और आज भारत की विदेशों में जो मान्यता है उसको आप देख सकते हैं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : यह कार्य का (किसका) आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र : मैं एक भ्रम मिटाने के लिये कह रहा हूँ और बजट पर आ रहा हूँ। मुझे मेरा सेन्टेन्स खत्म कर लेने दीजिये।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : विदेशी नीति का सवाल नहीं है।

श्री रामचन्द्र : भारत का आज जो विदेशों में ऊंचा मस्तक है उसका कारण यही है कि हमारे आज वयोवृद्ध पं० जवाहरलाल नेहरू हमारे नेता हैं और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ थे।

हमारे वित्त मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बड़ा महत्व लिये हुए बजट है। बजट की महत्वता आंकड़ों से नहीं आंकी जाती है। बजट की महत्वता उस समय से आंकी जाती है जिस समय के लिये बजट बनाया गया है। यह हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है और कुछ दिनों के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना हमको प्रारम्भ करनी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखिरी साल में जो हमारी जिम्मेदारियां रहती हैं उनको पूरा करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि हर एक कारण के पीछे कोई बात होती है उसको निपटाना मुश्किल होता है। अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में ३४ करोड़ रुपयों का प्रावधान कर लिया गया है; यह बजट की विशेषता है। वित्त मन्त्री महोदय ने बजट का निर्माण इस प्रकार से किया है कि वह आपकी बुजुर्गी और अनुभव का नमूना है। यद्यपि ऐसे कठोर समय में जब कि राजस्थान को एक एक पैसे की आवश्यकता है, और हम तो इस बात के ख्याल में थे कि हमारे राजस्थान का बजट अधिक घाटे में होगा, लेकिन उसके विपरीत हमने देखा कि हमारा बजट कोई अधिक घाटे का नहीं है। केवल ३२७ लाख रुपये घाटे के रूप में हमको दिखलाये गये हैं। सभापति महोदय, मैं तो इसको घाटा नहीं मानता। क्यों ? प्रायः पिछले चार वर्षों से ऐसे घाटे के बजट दिखलाये गये हैं और हमारे मन्त्री महोदय के प्रयास से और हमारे राज्य कर्मचारियों के

(श्री रामचन्द्र)

प्रयत्न से ये सारे घाटे के बजट साल के आखिर में नफे के बजट साबित हुए हैं। इसलिए मैं इस बात को पूरी आशा लेकर चलता हूँ कि जो आज यह घाटे का बजट हमारे सामने है वह घाटे का बजट अगले साल घाटे का नहीं रहेगा, लेकिन इस समय भी घाटे का संतुलन करने के लिये आपने जो जो कदम उठाये हैं वे ऐसे कदम हैं जिनसे विशेष चिन्ता का कारण नहीं हैं।

टैक्सेशन के जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किये वे ऐसे आंकड़े हैं जिनका राजस्थान के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जो टैक्स हम देते थे उन्हीं टैक्सों में थोड़ी २ वृद्धि कर दी गई है। नये टैक्स हमारे ऊपर नहीं लादे गये हैं। इस प्रकार टैक्सेज़ में करीब १०५ लाख रुपये की वृद्धि की है। यही नहीं; हमारे राज्य की जो रचना है उसमें भी जो विभाग आपको आवश्यक नजर आये उनको भी कम करके इस प्रकार करीब २८ लाख की और बचत की है। वैसे आपने इस रिट्रेन्चमेन्ट के द्वारा जो कमी बतायी है, जो बचत हो जावेगी, उसमें एक यह है कि हमारे डिविज़न स्ट्रेक्चर को आपने हटा दिया है। इस सदन के प्रत्येक मेम्बर ने इसका हृदय से बड़ा स्वागत किया है और आज ही नहीं; बल्कि इस सदन की पिछली मीटिंगों में भी कई बार यह आवाज उठाई गई थी कि डिवीजनल स्ट्रक्चर जो है वह अन्नेसेसरी है और इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। उस आवाज़ से प्रेरित होकर और आज इस समय जब कि राजस्थान को एक एक पैसे की जरूरत है एक आइडिया से प्रेरित होकर हमारी केबिनेट ने यह निर्णय लिया है, चाहे खुशी से लिया हो या वैसे ही प्रेरित होकर लिया हो कि डिविजनल स्ट्रक्चर को हटाना चाहिये। लेकिन सभापति महोदय, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि वैधानिक दृष्टि से इस स्ट्रक्चर को मान रखा था। यदि इस स्ट्रक्चर को हटा दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट और सेक्रेटेरियेट के लेवल के बीच में एक वैक्यूम पैदा हो जावेगा और उसकी वजह से हमारे सेक्रेटेरियेट और जिले के ऊपर जो सुपरविज़न होना चाहिये उसमें कितनी ढिलाई आ जावेगी; इसके लिए मैं नहीं कह सकता। इसलिए निवेदन करूंगा कि यदि डिवीज़नल स्ट्रक्चर को हटाना ही है तो सेक्रेटेरियेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बीच में ऐसा मजबूत संगठन कायम किया जाय कि आपको छः लाख की बचत के पीछे कहीं करोड़ों रुपयों का नुकसान न हो जाय और जनता जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने दुखों को इस समय भी रोया करती है उसके वे दुख कहीं अधिक मात्रा में न बढ़ जायं।

सभापति महोदय, इस प्रकार से इस बजट को सन्तुलित करने के लिए जो जो कदम उठाये गये हैं मैं आशा करता हूँ वे वाइज़ कदम हैं, उनमें जरूर कामयाब होंगे।

इसके साथ साथ आपने इस बात का भी निर्णय लिया है कि हमारे जो बकायात हैं उनको वसूल करके हम बजट में बचत कर लेंगे। मैं इस बारे में नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि रकम को वसूल करने के लिए आपके कर्मचारी पिछले कई वर्षों से निरन्तर प्रयास कर रहे हैं। इतना प्रयास करते हुए भी क्या वजह है कि वह रकम अभी तक वसूल नहीं हो पाई ? इसको आप नहीं जान सकते

(श्री रामचन्द्र)

इसके लिए उन लोगों को पूछा जाय जो पब्लिक में घूमते हैं और आपके छोटे छोटे दफ्तरों की खाक छानते हैं और चक्कर लगाते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार की मशीनरी में किस जगह लूप-होल है कहां किस चीज की कमी है। आपके रकम वसूल न होने का कारण है आपके दफ्तरों के चन्द लोग जो इस काम के लिये रखे जाते हैं, उनका एक पर्सनल ग्रेटीफिकेशन का जो आइडिया बना हुआ है उसके कारण यह वसूली में बहुत रुकावट डालती है। रुपया लेने के लिए तकाजा कर देते हैं, लेकिन जहां रुपया लेने का सवाल आता है उस समय क्योंकि वसूल करने वालों को खुश कर दिया है जाता उस वसूली को वे डेफर कर देते हैं। इस तरह से आपका रुपया उलझन में पड़ जाता है। आपको इस बात के लिए ध्यान रखना होगा। आपका रुपया वसूल कराने के लिए जिसको अधिकार दें वे ऐसे सोलिड इन्टीग्रिटी के आदमी होने चाहिये जो अपने थोड़े स्वार्थ के पीछे अधिकसे अधिक हित का बलिदान न कर सकें। इसके लिए आपको विशेष कदम उठाना चाहिये।

वैसे तो यह बजट बहुत मोटा सा पोथा है, जिस सारे को पढ़ना और उसके लिए सदन में निवेदन करना न सदन के किसी सदस्य की शक्ति और न मेरी ही शक्ति है। फिर भी मैं अपने हिम्मत से ज्यादा कुछ कह रहा हूँ।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सू०) : आप वृद्ध जो हैं।

श्री रामचन्द्र : आपको यह कहने की जरूरत नहीं, जो मैं अपनी इस अवस्था में कह दूंगा उतना तो आप अपनी उमर भर में नहीं कह सकते।

श्री लादूराम सुलाणिया : पर उनकी कीमत नहीं।

श्री रामचन्द्र : सभापति महोदय, इस राजस्थान के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनायें बना रहे हैं। द्वितीय योजना का यह अन्तिम वर्ष है और इसी वर्ष में हम तीसरी योजना को चालू कर रहे हैं। इसके फल-स्वरूप जो लाभ हो रहा है वह हमें अखबारों के जरिये सरकारी कागजातों से और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से जानने को मिलता है कि हमारा राजस्थान कितना आगे बढ़ गया है। अब हमको देखना चाहिये कि राजस्थान के विकास में किस किस ने सहयोग दिया है, राजस्थान के विकास में किस किस ने भाग लिया है और जिस जिस ने भाग लिया है उसको यथायोग्य पुरस्कार मिला है या नहीं। आज स्थिति यह हो रही है कि कमाने वाले भूखों मरते हैं और बैठे रहने वाले मौज कर रहे है आपके कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। आपके बिजली वगैरह के काम में बढ़ोतरी हुई है नहरें खोदने आदि में जो भी मेहनत के काम हैं उनमें किसका सहयोग मिला है ? आप जो यह वृद्धि कर पाये हैं गरीबों की मदद से यह सब कुछ हुआ है। जिनको कुछ सेक्शन्स में विभाजित कर दिया गया है। किसी को पिछड़ी जाति का कह कर पुकारते हैं। इस प्रकार से मन-गढ़न्त नाम रख रखे हैं। किसी को आदिवासी कह दिया, किसी को हरिजन, किसी को नीओमेडिक ट्राइब्ज, किसी को क्रिमिनल ट्राइब्ज, इस तरह से पांच छः सेक्शन्स बना रखे हैं। जब काम का मौका आता है, मजदूरी

(श्री रामचन्द्र)

करने का मौका आता है गड्ढे खोदने की जरूरत आती है उस समय आप इनका ख्याल करते हैं, उस समय आपको यह ख्याल नहीं रहता कि यह आदिवासी हरिजन है या क्रिमिनल या क्रिमिनल ट्राइब्स के आदमी है क्योंकि उस समय तो आपको काम लेना है। लेकिन जब जीमने का वक्त आता है तो यह तो हरिजन है, यह आदिवासी है, तुमको तो आधी-रोटी मिलेगी। तुम हरिजन हो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार से अधिक से अधिक सहयोग देने वाले वफादार नौकर बनकर काम करते हैं। उनको जब खिलाने का मौका आता है, किसी को एक टुकड़ा और किसी को हरिजन कह कर अलग रख दिया गया।

एक माननीय सदस्य : आपको सन्तोष नहीं है क्या ?

श्री रामचन्द्र : मुझे तो सन्तोष है। थोड़ी शान्ति रखिये। मुझे सन्तोष है या नहीं यह मैं अभी बता रहा हूँ। मैं तो समाज का जो एक नकशा है वह आपके सामने रख रहा हूँ।

तो इस प्रकार से गरीब लोगों की काम के वक्त तो आप गरज करते हैं, लेकिन जब कुछ उनको देने की बात होती है तब उनको अलग रख दिया जाता है। आज किसी के घर में कुत्ता या बिल्ली मर जाती है तो भंगण को कहा जाता है इसको फेंक दो। उस समय तो उसको घर में घुसने दिया जाता है। लेकिन उसके बाद यदि वह जाना चाहती है तो आप कह देते हैं, तू तो भंगण है। यह हालत हम देखते हैं। जब आपको मजदूरी लेनी होती है उस समय न आदिवासी का ख्याल होता है और न हरिजन का; न क्रिमिनल ट्राइब्ज़ का और न घुमक्कड़ जाति का, पर जब परोसने का समय आता है तो किसी को एक टुकड़ा डाल दिया किसी को आधा टुकड़ा डाल दिया। यह तो मैंने बजट देखा है बिल्कुल उसमें यही है। आपको मालूम है कि राजस्थान की जनसंख्या १.५५ लाख थी। रात्रि को मालूम हुआ कि वह जन-संख्या २ करोड़ १ लाख है। २ करोड़ की जहां जन संख्या है उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ माली, कोली नाई आदि अदर बैकवर्ड क्लासेज़ में आते हैं। आदिवासी, भील, मीणा, सांसी, कन्जर, क्रिमिनल ट्राइब्ज़ में आते हैं इन सब की संख्या मिला कर देखा जाय तो राजस्थान में इनकी जनसंख्या करीब ७० लाख के है।

एक माननीय सदस्य : एक करोड़ है।

श्री रामचन्द्र : मैं तो ७० लाख ही मानकर चलता हूँ। यह मिनिमम फीगर्स मैं मानता हूँ। इन ७० लाख लोगों के वास्ते हमारा जो बजट बना है वह १.२०लाख का है। यह भी मैं समझता हूँ कि इतना रुपया भी राजस्थान सरकार निकालती नहीं अगर आधी मदद सेन्ट्रल देता। तो इस हिसाब से ६० लाख रुपया राजस्थान का रखा है और ६० लाख रुपया हमें केन्द्र से मिला है। अब देखने की बात यह है कि यह मेचिंग ग्रान्ट जो है वह हमें हर जगह तंग कर रही है। राजस्थान लेवल पर देखते हैं या म्युनिसिपल लेवल पर देखते हैं तो यही हमारे सामने आता है। यदि राजस्थान मेचिंग ग्रान्ट नहीं देता है तो वह सेन्टर से भी बन्द हो जाती है।

पिछले चार-पांच सालों का तजुर्बा यह है कि इसमें राज्य सरकार पीछे

(श्री रामचन्द्र)

है । जितना सेन्ट्रल सरकार रुपया देने को तैयार थी राजस्थान सरकार ने उसके मुकाबले में रुपया कभी नहीं दिया । इसके लिये मैं एक अभी अभी की मिसाल देता हूँ । ६० में श्रद्धेय पं० पन्तजी जो हमारे हरिजनों के सच्चे हितैषी थे, भारत सरकार के जो गृह मन्त्री भी थे उन्होंने दो बार कॉन्फ्रेन्स करके समाज कल्याण के मन्त्रियों को कहा था कि आपकी तरफ से इस मामले में ढिलाई हो रही है, आप मैचिंग ग्रान्ट नहीं देते । इस चीज की तरफ आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिये । यह राष्ट्र की जिम्मेदारी है और इसको निभाना हमारा कर्त्तव्य है । यदि आप लोगों को यह बात देखनी हो तो हमारे शिड्यूल कास्ट और ट्राइब की रिपोर्ट आती है उसके सफाओं में जिक्र किया है । तो यह मैचिंग ग्रान्ट हम खत्म करते हैं ।

अब मैं म्युनिसिपैलिटी पर आता हूं । राजस्थान सरकार का समाज कल्याण विभाग कहता है, हरिजनों के लिये पानी की व्यवस्था करनी चाहिये और इसके लिये सरकार तैयार है, बशर्ते कि आधा पैसा म्युनिसिपैलिटी दे । म्युनिसिपैलिटी कहती है, उसके पास फण्ड नहीं है । लिहाजा समाज कल्याण विभाग ही यह सब करें ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : समाज कल्याण मन्त्री सुनने को तैयार नहीं हैं ।

श्री रामचन्द्र : यह तो हमारा दुर्भाग्य है । मैं अपने को धन्य-धन्य समझता अगर वे सुनते तो ।

तो सभापति महोदय, यह जो मैचिंग ग्रान्ट है, इसके लिये हमारे वित्त मन्त्रीजी को बड़ी नम्रता के साथ, आदर के साथ और अपने अधिकार जमाने के साथ, अधिकार यों जमाना चाहता हूं, कि आप महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको वे एक धरोहर सौंप कर गये हैं, आपने इस धरोहर को सम्भालने में किसी तरह की गलती की तो याद रखना कि उनके साथ आपने वादा किया है, इसलिये निवेदन है कि इस साल हमें मैचिंग ग्रान्ट सेन्ट परसेन्ट मिल जानी चाहिये ।

सभापति महोदय, पिछले साल इस बजट अधिवेशन के समय मैंने एक आवाज़ उठाई थी, मैंने ही नहीं विधान सभाइयों की ओर से आवाज उठी थी कि दस वर्ष तक निरन्तर प्रयत्न करने के बाद, राजस्थान का करोड़ों रुपया खर्च हो जाने के बाद आज इस बात का अनुभव करते हैं कि हमारी आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में जितना परिवर्तन आना चाहिये वह नहीं आया है । इसलिये सरकार से हम नम्र निवेदन करते हैं कि वह एक कमीशन मुकर्रर करके इस बात का पता लगावे कि इतना कन्सेशन देते हुए, संविधान के द्वारा इतनी सुरक्षा मिलते हुए और करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी हरिजनों का विकास उस स्तर पर क्यों नहीं हुआ जिस स्तर पर हो जाना चाहिये था । इसके क्या कारण हैं ? उसके आधार पर अगली योजना में योजनाबद्ध स्कीम बने और उसके अनुसार काम हो ।

जैसे भगवान् के हजारों नाम हैं, वैसे हमारे भी अनेकों नाम हैं । अब जिस विभाग

(श्री रामचन्द्र)

के द्वारा सरकार हमारा विकास करना चाहती है उस विभाग का खर्चा टॉप हैवी है उसको कम किया जावे और जो खर्चा बचे उसे हमारे विकास पर लगाया जावे। पिछले साल इस विभाग का बजट ५७६ हजार का था पर इसका आज वही बजट ८७६ हजार का हो गया। इस तरफ सरकार और विभागों में रिट्रेन्चमैंट कर रही है पर इधर बढ़ा रही है। अगर यही होता तो भी सब्र थी, पर आप बजट तो उठा कर देखिये प्लान्ड स्कीम में। यहां हमारे साथ तो कई मर्ज लगे हैं। रिहैबिलिटेशन, हाउसिंग प्रोब्लेम वगैरह वगैरह कई बीमारियां हैं। उनको दूर करने के लिये हर बीमारी का एक एक दफ्तर मुकर्रर है। अब पता नहीं लगता कि वह दफ्तर कहां है? इसके लिये फिर एस्टेब्लिशमेंट का खर्च रखा है। इन सब खर्चों को जोड़ा जावे तो तीन-चार लाख से यह कम नहीं होगा। तो हमारा यह सारा बजट मिला कर करीब ग्यारह-बारह लाख का पड़ता है। अब १२० लाख का हमारा कुल बजट है। इस धन-राशि को खर्च करने के लिये कइयों को अधिकार दे रखे हैं। इसमें से ३५ लाख तो खर्च करने का अधिकार है पंचायत समितियों का, जो विकास मण्डलों द्वारा किया जावेगा। इसके लिये एस्टेब्लिशमेन्ट की कोई आवश्यकता नहीं। बी० डी० ओ० और एक्सटेन्शन ऑफिसर मिल कर करेंगे। अब बारह लाख खर्च करने के बाद भी समाज कल्याण विभाग इतना ओवर बर्डन्ड है कि हमारी बाकी रकम बचती है ८०-८५ लाख के करीब। उसे वह खर्च नहीं कर सकता। तो उन्होंने एजेन्ट्स कायम किये। एजेन्टों के नाम क्या रखे? वॉलन्टरी एजेन्सियां। आदिवासी के लिये, हरिजनों के लिये, क्रिमिनल ट्राइब के लिये, अदर बैकवर्ड क्लासेज़ के लिये अलग अलग एजेन्सियां बनाईं। इस प्रकार १३॥ लाख रुपया इन एजेन्सियों को दे दिया।

सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि वे वॉलन्टियर एजेन्सियां कौन सी हैं और उनके जिम्मे क्या क्या काम दिये हैं और पिछले दस वर्षों में उन्होंने क्या क्या काम किया? इसके अलावा कम से कम यह चाहूंगा कि ५६-६० में किस किस को कितना कितना रुपया दिया, इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट सदन के सामने पेश होनी चाहिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : उनमें अपने ही आदमी तो हैं।

श्री रामचन्द्र : मैं हूँ तो मैं, कोई और हो तो और। तो सभापति महोदय, अब मेरे भाषण का अन्त तो नहीं, पर समय को देखते हुए समाप्त करना चाहता तो हूं, इस तरह अलग अलग रकम बांट देने के बाद अन्दाज तो लगाइये कि एस्टेब्लिशमैन्ट पर कितना खर्च होता है।

मैं तो यह कहूंगा कि जितने राजस्थान के अन्य विभाग हैं चाहे इन्जीनीअरिंग का हो, इरिगेशन का हो, एग्रीकल्चर का हो, सब में एस्टेब्लिशमेन्ट के खर्च का जो पर्सेन्टेज आता है, समाज कल्याण विभाग का, उससे अधिक नहीं हो सकता। अगर इसमें डाउट हो तो यह आपका बजट रखा है।

तो वैसे मैंने आपको अभी बताया कि

(श्री रामचन्द्र)

राजस्थान सरकार पैसा खर्च करने में कोई कसर नहीं रखती है। ठीक है, यह हमारा राज्य है कभी मैचिंग ग्रान्ट मिली नहीं मिली, लेकिन मैं कहता हूँ कि हरिजन विकास का जो बजट बनाया है यह जड़ वस्तु हैं, इसके साथ जाग्रत भावना नहीं है। अगर हमारा विकास होता है तो जाग्रत भावना से ही होगा। महात्मा गांधी के पास पैसा नहीं था, जाग्रत भावना थी और सरदार पटेल के पास पैसा नही था, जाग्रत भावना थी। इसलिए जब तक इस फाइनेन्शियल बजट के साथ राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की भावना नहीं बदलेगी मुझे विश्वास है कि हमारा विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा, रुपया तो है लेकिन भावना नहीं है और यह भावना की कमी नीचे से लेकर ऊपर के स्तर तक मैं देख रहा हूँ। दु:ख की बात है कि मैं किसी से कहना नहीं चाहता कि जो हमारे हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हरिजनों का विकास करेंगे वह खुद अस्पृश्यता में विश्वास रखते हैं। वह तो क्या उनकी फैमिली वाले अस्पृश्यता में विश्वास रखते हैं........

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : जुल्म हो रहा है।

श्री रामचन्द्र : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे विकास का काम राष्ट्रीय दृष्टि से किया जाये। यह बीमारी आदिवासी और हरिजनों के पिछड़ेपन की है। यह राष्ट्र में बीमारी है और यह वह बीमारी है जो आपने नहीं निकाली। अगर आपने यह निकाली तो किसी दिन टाक्सीन बन कर आपके शरीर को गला देगी और आपको लूला लंगड़ा बना देगी और राज्य को नष्ट कर देगी। यह आपका कर्त्तव्य है और राष्ट्र को बचाने का मौका है। वह आदमी जिसके शरीर में फोड़ा है, वह उसका इलाज करता है और कहता है कि फोड़े के साथ मेहरबानी कर रहा हूँ। यही दशा हमारे साथ हो रही है। इस राष्ट्र रूपी शरीर में हम हरिजन लोग एक फोड़े हैं और उसको मिटाने के लिए लोगों की भावना है और कहते हैं कि हम बीमारी मिटा रहे हैं। आप तो फोड़े का इलाज नहीं कर रहे हैं शरीर का इलाज कर रहे हैं। अगर आप शरीर के वास्ते फोड़े का इलाज नहीं करेंगे तो आपका शरीर टाक्सीन के द्वारा विषमय हो जायेगा और फिर मैं कहता हूँ कि इसका क्या परिणाम हो सकता है वह आप स्वयं सोच सकते हैं।

सभापति महोदय, अन्त में एक बात और कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और वह यह है कि इधर हमारे साथ क्या व्यवहार हो रहा है, किन दिक्कतों से हम गुजर रहे हैं। आज आम तौर पर अपर क्लास जिसके हाथ में हमारे उत्थान का कार्य है उनके मस्तिष्क में कुछ विकार पैदा हो रहा है और वह विकार यह पैदा हो रहा है कि जब कभी हम देखते हैं यह बात नहीं है कि अब हम इतने बेवकूफ हैं, कोई जमाना था जब हम अन्धे थे। मगर आज ये नारे हमारे लिए कसे जाते हैं कि राजस्थान के लाड़ले बेटे हैं, इन पर लाखों रुपया खर्च किया जाता है। तो ये नारे हमारे लिए कसे जा रहे हैं। इधर तो हम यों पिस रहे हैं और इधर जो राष्ट्र के लोग हैं उनके हृदय में विकार पैदा हो रहा है। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो विकास की

(श्री रामचन्द्र)

भावना इधर पैदा हो रही है यह ठीक नहीं है। आज हमारी दशा कमजोर है। वह किस के कारण? आपके कारण। हमारे हरिजन विद्यार्थी पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने पेश होते हैं, रिटन इम्तिहान में पास हो जाते हैं पर इन्टरव्यू में फैल होते हैं इसलिए कि उनको कहा जाता है, तुम्हारी पर्सनेलेटी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी पर्सनेलेटी किसने बिगाड़ी। यह पर्सनेलेटी बिगाड़ने वाले आप हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी आपकी है। मैं कहता हूँ कि आप हमारी पर्सनेलेटी मत देखो। हमारे ईमान और इन्टिग्रिटी को देखो कि हिन्दू समाज में इतने दुःख भुगतते हुए भी हम आपके साथ रहे, सब तरह के काम किये, भूंठन खाकर रहे। फिर भी हमने हिन्दू समाज को कुछ नहीं कहा। यही हमारी इन्टिग्रिटी है और यही हमारी पर्सनेलेटी का सुबूत है। इसके साथ ही साथ मैं यह कह देता हूँ कि कांग्रेस में हरिजन भी हैं और सवर्ण भी। लेकिन मैं देखता हूँ कि पिछले चुनावों में जितनी ईमानदारी और वफादारी से हरिजनों ने वोट कांग्रेस को दिये, उतने किसी ने नहीं दिए। आज लाखों और करोड़ों रुपये कांग्रेस इन पर खर्च करने को कहती है, लेकिन वक्त के ऊपर आकर अंगूठा बता देते हैं। हमने ईमानदारी से कांग्रेस का साथ दिया और साथ देंगे। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है वह स्वागत योग्य है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बजट बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमको सार्वजनिक कार्यों के लिए और प्रशासन का खर्चा चलाने के लिए कितनी आवश्यकता है और उसको हम किस तरह से मीट कर सकते हैं। यह कोई गृहस्थ का बजट नहीं कि जिसके ऊपर यह सोचा जाये कि हमारी आमदनी क्या है और हम कितना खर्च करें। यहां यही सोचा जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य के लिये कितनी आवश्यकता है और उनकी किस तरह से पूर्ति की जा सकती है। तो जो बजट बनाया जाता है उसमें कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च किया जाता है उसी रूप में उसे देखा जाना चाहिए। यह नहीं देखा जाता है कि उसके ऊपर किस प्रकार के टैक्स लग रहे हैं। टैक्सों पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक हो जाता है कि ये टैक्स ऐसे लोगों पर तो कहीं भार नहीं डालते जो कि इसको सहन नहीं कर सकें या जो हमारी समाजवादी व्यवस्था का अंग हैं उसकी पूर्ति के खिलाफ तो कहीं ये नहीं जा रहे हैं। तो इन बातों को सोच कर ही बजट तैयार किया जाता है। मैं निवेदन करूं कि राजस्थान सरकार ने जो मितव्ययता के नाम पर कमिश्नरियों को तोड़ा है और अधिकारी वर्ग को तोड़ने का प्रयत्न किया है, वह सराहनीय है और इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि पिछले असेम्बली के अधिवेशनों में इस बात पर जोर दिया गया था कि जो कमिश्नरीज़ हैं वे कोई काम नहीं करती हैं, लेकिन सरकार ने अब इस बात पर सोचा और इसे हटाने के लिए जो विचार किया है उसके लिए वह स्वागत योग्य है। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि यह

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

खाली विचार ही विचार रह जाये और कमिश्नर्स यों के यों सालभर तक तनख्वाह लेते रहें और हमारे बजट में सन्तुलन लाने के लिए दूसरी मदों में कटौती करनी पड़े। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कमिश्नर्स जितना जल्दी से जल्दी हो इनको हटा देना चाहिए और मितव्ययता के नाम पर मैं और यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो डिवीज़नल लेवल पर पद हैं जैसे डी० आई० जी० पी० हैडक्वार्टर्स; यह पद भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से कमिश्नर्स खाली कागज इधर से उधर पहुंचाने का काम करते थे उसी तरह से डी० आई० जी० पी० हैडक्वार्टर्स का भी काम है। इसके सिवाय वे कुछ नहीं करते कि इधर से उधर कागज़ पहुंचायें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से कमिश्नरीज़ को तोड़ने का साहस किया है उसी प्रकार से डी. आई. जी. पी. का पद भी तोड़ कर रुपयों की बचत करके डेवलपमेंट के कार्य में लगाते हैं तो उचित होगा। मैं यह उचित समझता हूँ कि डी. आई. जी. पी. का पद समाप्त करके ५०० कांस्टेबल और रखे जायेंगे तो ५०० घरों में खाने-पीने की व्यवस्था ज्यादा होगी, बनिस्पत एक घर के।

इसी प्रकार और भी है; जैसे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस है। जिस जगह डिप्टी है उसी जगह सर्कल इन्सपेक्टर भी है। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट को पॉवर्स कुछ भी नहीं हैं। वह सिर्फ इसलिये है कि नीचे से कागज उसके पास आवें तो उनको सुपरिन्टेन्डेन्ट्स के पास भेज दें। जब आप सर्कल इन्सपेक्टर रखते हैं तो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रखने की क्या जरूरत है ? या तो सर्कल इन्सपेक्टर रखिये या डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रखिये। आप डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रखते है, सुपरिन्टेन्डेन्ट रखते हैं, डी. आई. जी. पी. रखते है, डी. आई. जी. हैड क्वार्टर्स रखते हैं, एडीशनल आई. जी. पी. रखते है। आपको इतने अफसरों की क्या आवश्यकता है ? आप लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करना चाहते हैं तो एक आई. जी. पी. और एक एडीशनल आई. जी. पी. रख दीजिये, बहुत हो तो एक डी. आई. जी. पी. हैड क्वार्टर पर रख लीजिये। लेकिन आपने हर जगह एस. पी. और डी-वाइ. एस. पी. रखे है। डी-वाइ. एस. पी. को इतना भी पॉवर नहीं है कि वह एक सब-इन्सपेक्टर पर फाइन कर सके। इनके बजाय अधिक कांस्टेबल्स रखे जायेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उनको कम करने की व्यवस्था करें और यदि उनको रखना ही है तो उनको पॉवर्स देनी चाहिये, कम से कम इतनी कि वे सब इन्सपेक्टर के खिलाफ कार्यवाही कर सकें। नहीं तो आज कल सब इन्सपेक्टर्स उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते है और सीधे एस. पी. के पास पहुंच कर ट्रान्सफर आदि करवा लेते हैं।

इसी प्रकार से डिप्टी इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स है। उनको भी पॉवर्स नहीं हैं। भ्रष्टाचार जो हाथ-पांव फैला रहा है उसको मिटाने के लिये इन लोगों को पॉवर्स देनी चाहिये। हम जब जनतान्त्रिक युग में से गुजर रहे हैं तो हमें अपने प्रशासनिक ढांचे को ठीक करना चाहिये।

मितव्ययता के नाम पर आप मामूली मामूली बातों में मितव्ययता करने की कोशिश

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

करते हैं चाहे वे कितनी ही जरूरी चीजें हों। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस कोतवालियों में इन्सपेक्टर्स वगैरह के पास जो टेलीफोन कनेक्शन्स थे उनको काट दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऑफिसर जो जनता में शांति और सुव्यवस्था रखने के लिये है तो उसके पास टेलीफोन का होना बहुत आवश्यक है जिसके जरिये उसको पता चल सके कि फलां जगह चोरी हुई है या कोई वारदात हुई है। किशनगढ़ और मदनगंज के बीच में तीन माइल का अन्तर है। पहले थाने में टेलीफोन था पर अब काट दिया गया है, अब वहां से कांस्टेबल जाता है तब किसी बात की इत्तला होती है। पुलिस का टेलीफोन तोड़ कर आपने क्या मितव्ययता की है। पुलिस के लिये टेलीफोन तो आवश्यक चीज़ थी। इसलिये आवश्यक वस्तुओं को तो कम नहीं करना चाहिये। वहां पर कागज़ की भी कमी है। कोर्ट इन्सपेक्टर दूसरों से कागज मांगता है, कागज देना ४० नकलें करनी हैं, थानेदार कहते है कि कागज कहां से दें हमारे पास कागज नहीं है। मजिस्ट्रेट कहते है कि ४० मुलजिम हैं तो ४० नकलें लाओ। जहां काम करना है तो स्टेशनरी आदि चीजों का बजट रखना चाहिये। नहीं तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वे मुलजिमों से कहते है चार आने लाओ नकले पेश करेंगे। चार आने मांगना भी करप्शन है क्योंकि कानून में रखा गया है कि फ्री नकल दी जायगी और उधर पैसे मांगते है तो चार आने के बारे में भी लोग अफवाहें उड़ाते हैं। इसमें बेचारे पुलिस वालों ने क्या ले लिया, कागज नहीं था इसलिये कागज के लिये पैसे लिये।

यह निश्चित बात है कि कृषि का उत्पादन बढ़ा है और निश्चित तौर से बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग कहते है कि राजस्थान में कृषि से उत्पादन कम हुआ है, मैं कहता हूँ कि यह गलत बात है। ८ लाख टन से १२ लाख टन हुआ है। यह सही बात है कि ज्यादा जमीन काश्त होने से उत्पादन भी बढ़ा है। लेकिन हमें यह देखना चाहिये कि जिन इलाकों में सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां छोटे छोटे सिंचाई के साधन रखें तो उत्पादन बढ़ सकता है। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां छोटे छोटे तालाब पहले से बने हुए हैं लेकिन उनकी मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। नये बांध के लिये ५ लाख या १० लाख रुपये खर्च करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन जो गांवों में पुराने तालाब हैं उनको दुरुस्ती के लिये कोई ध्यान नहीं देता है। अब कहते हैं कि हमने तालाब पंचायतों के अधिकार में दे दिये हैं। मैं मेरे सब डिविज़न के बारे में कह सकता हूं कि वहां पर हालत ऐसी है जो तालाब सरकार के कब्जे में हैं उनको सुधराया नहीं गया है। अगर उनको नहीं सुधरायेंगे तो उनसे आधी आमदनी भी नहीं होगी। जो तालाब पंचायत समितियों को दिये हैं उनके बारे में कहते हैं कि आधा पब्लिक से कन्ट्रीब्यूशन कीजियेगा तब सुधरा सकते है। पब्लिक का कन्ट्रीब्यूशन नहीं आता है तो तालाब टूटे ही रह जाते हैं और यदि तालाब टूटे हुए ही रहते हैं तो इससे राष्ट्र का नुकसान होता है। राष्ट्र की उन्नति के कार्य में लेने के लिये आप स्पष्ट कहिये कि तालाबों की मरम्मत कराई जायगी। जहां लाखों रुपये नये बांधों के लिये लगते है वहां क्या आप पुराने बांधों को ठीक नहीं करा सकते ? तालाब ठीक नहीं करा सकते हैं

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

यह शर्म की बात है; पंचायत समितियां को कहते हैं कि पब्लिक से फंड रेज़ करिये वर्ना टैक्स लगा दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : पंचायत समिति करा नहीं सकती होगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब जहां नये बांध बनाये जाते हैं वहां यह नहीं देखा जाता है कि रपट बनती है उससे पानी रुकता है या नहीं । मेरे यहां कायरका बांध बनाया, सलीमाबाद और आसपास के ५०० कुंए सूख गये । इसी तरह से होपड़ बांध बना उस समय हमने कहा था कि रूपनगढ़ का इलाका भुखमरी में आ जायगा लेकिन इंजीनियरों ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं होगा लेकिन उसका फल आज वहां के लोग भोग रहे हैं । आपके डिपार्टमेन्ट्स की यह क्या नीति है कि एक इलाके को आबाद करते हैं तो दूसरे को बर्बाद करते हैं ? यह उन्नति का साधन नहीं है । उन्नति का साधन यह है कि सभी इलाकों में एक सी तरक्की हो । उस बांध से रूपनगढ़ का इलाका सूख गया । वहां के लोग पीने के पानी के लिये मारे मारे फिरते हैं । आप उनको सब्सिडी दीजिये ५०,००० रुपये सालाना मिल सकते हैं क्योंकि वहां बांध नहीं बन सकता, सॉल्ट एरिया आ जाता है । वहां सब्सिडी कुओं के लिये दीजिये ताकि पीने का पानी तो उनको मिल सके, आपके नाम पर । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे इलाकों को दीजिये जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो और प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा उन्नति हो ।

इसके साथ साथ हमारे यहां के उद्योगों के लिये कहा गया कि उद्योग की तरक्की नहीं हो रही है । मैं निश्चय रूप से कह सकता हूँ कि हमारे प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में काफी तरक्की हो रही है । यह अलग बात है कि फलां मिल चालू नहीं हुई है, हालांकि लाइसेन्स मिल गया है । आज गवर्नमेंट पैसा नहीं लगाती है उद्योगों के लिये, पैसा लगाने वाले लगाते हैं, गवर्नमेंट उनको लाइसेन्स देती है । आप गवर्नमेंट पर यह लांछन नहीं लगा सकते कि पैसा लगाने वाले धीरे धीरे लगा रहे हैं । आज चार-पांच कपड़े की मिलें चालू होने को हैं, काम शुरू हो गया है । हमारे देश के साथ साथ हमारे प्रदेश की भी इस ओर उन्नति हो रही है । आज बहुत से राजस्थानी जो कलकत्ता और दूसरी जगहों पर हैं; वे बाहर से यहां आ रहे हैं और राजस्थान में इन्डस्ट्री लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि उन प्रान्तों के लोगों में यह भावना घर करने लगी है कि हमारे यहां पर मारवाड़ी नहीं रहने चाहिये, उनके दिमाग में यह चीज़ आने लगी है । इसलिए वे राजस्थान में आना चाहते हैं । मैं इन्डस्ट्रीज़ मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे राजस्थानियों को पनाह दें और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें जिससे वे देश के, राष्ट्र के निर्माण के लिए, प्रान्त की तरक्की के लिए, दोनों के लिए, व्यवस्था करें जिससे हमारा प्रान्त दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में बराबर आवे ।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ शिक्षा के मामले में । इस मामले में हमारे प्रदेश ने कम उन्नति नहीं की, काफी उन्नति की है। आज गांव गांव में स्कूल खोले

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन हम इन स्कूलों की व्यवस्था की ओर भी ध्यान रखें। काफी मास्टर मुकर्रर करने से ही कर्त्तव्य की पूर्ति नहीं हो जाती। अब जो बेसिक स्कूल खोले हैं वहां सिर्फ तकली देते हैं, रूई देते हैं, उससे बेसिक स्कूल की पूर्ति नहीं हो सकती। जब कि वहां आप योग्य, अच्छे वेतन भोगी, अच्छे कैरेक्टर वाले अध्यापक मुकर्रर नहीं करते तब तक हमारा प्रदेश उन्नति करके अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकेगा। इसलिए एजुकेशन में सबसे योग्य व्यक्तियों को मुकर्रर करें और उनको साधन दें, ताकि हमारा प्रदेश और देश उन्नति कर सके। इसके साथ ही बहुत से स्कूल्स हैं, जहां मास्टरों की कमी है, जहां पर अध्यापिकाओं की कमी है उसको पूरा करने के लिए और जहां जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे।

हमने देश में प्रजातंत्र कायम किया। उसकी नींव को पक्का करने के लिए हमने पंचायत राज्य का निर्माण किया। पंचायत राज्य का निर्माण करने से राजस्थान को सारे देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ऊंचा उठाया है और विदेशों के लोग हमारे पंचायत राज्य की कार्य-प्रणाली को देखने आते हैं और सबक लेते हैं। हमने पंचायत राज्य कायम किया, उसमें हमने क्या क्या गलतियां कीं, यह हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत राज्य की नींव गांधीजी के आदेश के माफिक ठीक है। लेकिन हमने जो गलतियां की हैं, वे मैं बताना चाहता हूँ। वह है हमने कोऑप्शन की व्यवस्था की है, यह गलत है, गलत है, गलत है। आप पंचायत में कोऑप्शन की व्यवस्था को रखेंगे तो उनमें भ्रष्टाचार बढ़ायेंगे और पंचायत में झगड़ा करायेंगे। शहरवासियों को वहां ले जाकर पंचायत समितियों के प्रधान बनाने के लिए कोशिश करते हैं और वे वहां जाकर बैठते हैं। अगर कोऑप्शन के क्लॉज़ को हटा देंगे तो गांव-वाले अपनी उन्नति करने का प्रयत्न करेंगे। मैं पक्की तौर पर कहता हूँ कि शहर वाले वहां हजारों रुपये खर्च करते हैं और प्रधान बनने के लिए अग्रसर होते हैं, वे लोगों को उठा कर ले जाते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु) : सभापति महोदय, अगर कोऑप्शन नहीं होगा....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! बैठिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : हरिजनों और अनुसूचित जातियों को प्राथमिकता कैसे मिलेगी। मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कोऑप्शन के लिए क्या किया है, प्रशासनिक व्यवस्था में ठीक हो। अब उसको क्या ज्ञान होगा? हर आदमी कहता है, मैं प्रशासन में होशियार हूँ। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर कुछ भी इन्टरप्रिटेशन कर देता है। इसके साथ ही साथ पंचायत समिति के प्रधान के चुनाव के लिए रखा है, वह

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

सरपंचों के जरिये नहीं होना चाहिये, मैं कहना चाहता हूँ कि वह पंचों के जरिये चुनाव होना चाहिये क्योंकि दस आदमियों को, बीस आदमियों को कोई आदमी केप्चर करके ले जा सकता है, लेकिन पांच सौ आदमियों को नहीं ले जा सकते, तीन सौ आदमियों को नहीं ले जा सकते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत मिनिस्टर इस बात को सोचें क्योंकि अगर गांधीजी के सिद्धान्त को लागू करना है तो जो प्रधान का चुनाव हो, वह पंचायतों के पंचों के जरिये होना चाहिए न कि सरपंचों के जरिये। इसी तरह से जिला परिषदों के चुनाव हैं, वहां कोआॅप्शन को मिटाना चाहिए, क्योंकि कोआॅप्शन ऐसी जड़ है, जिससे आज इधर उधर के चट्टे_मुट्टे आकर बैठते हैं, अपने पांवों के बल हाथों के बल बैठते हैं। यह नहीं होना चाहिए। तो प्रमुख का चुनाव पंचायत के सरपंच के द्वारा नहीं, पंचों के द्वारा होना चाहिए और प्रधान एम० एल० ए० और एम० पी० को करना चाहिए, यह नहीं कि पांच–सरपंच आकर प्रमुख को बैठा गये, यह गलत है। क्या होता है चार आदमियों को अपने साथ मिलाया और वोट हासिल कर लिया और कुर्सी पर बैठ गये, जहां पर लाखों रुपयों का बजट होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पंचायत राज्य उपयुक्त है, होना चाहिए और रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ न्याय पंचायतों के चुनाव की व्यवस्था रखी है, वह गलत है, गलत है, गलत है। अगर न्याय पंचायतों में पंचायत का झगड़ा, वोट का झगड़ा रख देंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। हमने चुनावों में देखा है, दो पंचायतों को मिलाया और न्याय पंचायत की कुर्सी पर बैठ गये, जिसका उनको ज्ञान नहीं, करप्शन में नम्बर एक हैं। ऐसी स्थिति न्याय पंचायतों की है। इसलिए जो न्याय पंचायतों में चुनाव की व्यवस्था रखी गई है, यह गलत है: इसमें नॉमीनेट होने चाहिए, जो योग्य व्यक्ति हैं उनको नॉमीनेट करना चाहिए जिससे निष्पक्षता से न्याय दे सकें। यह व्यवस्था नहीं हो सकती, यह खतरनाक है और पंचायत राज्य में कीड़ा लग जायगा, जिसका फल आगे भुगताना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश ने ऊंचा नाम उठाया है पंचायत राज्य कायम करके और हमारे चीफ सेक्रेटरी को इस बारे में मिला है....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : पदम श्री।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : पदम श्री का खिताब मिला है, यह प्रशासनिक व्यक्तियों की इज्जत है। यह बताता है कि वे प्रशासन के योग्य हैं। राजस्थान के लोगों के लिए यह गर्व की बात होनी चाहिए कि राजस्थान का प्रशासन राजस्थानियों के हाथ में होने से कितनी तरक्की कर सके। आज हमारे आई० जी० पी० हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वे राजस्थानी हैं, और हमारे प्रदेश के बीच जो काम हो रहा है, उसको पूरा निभाने के लिए पूरा पूरा काम किया है। हम देखते हैं कि पहले बाहर के आई० जी० पी० और चीफ सेक्रेटरी होते थे, वे मिनिस्टरों की बात नहीं मानते थे, उनकी पॉलिसी से मिनिस्टर चलते थे। आज

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

हमारी सरकार की पॉलिसी ठीक चल रही है, इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो वतीरा अपनाया है राजस्थानियों को प्रोत्साहन देने का, यह बहुत अच्छा है; लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी निगाह रखें कि जो भ्रष्टाचारी ऑफिसर हैं उनको तत्काल हटाने का प्रयत्न करें, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें....

डॉ० बहादुरसिंह : एन्टी करप्शन के आई० जी० पी० हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वे हैं। वे भी राजस्थान के हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं इस सदन में, उनकी जांच शीघ्रातिशीघ्र करनी चाहिए। यह नहीं देखना चाहिए कि हम पर आरोप क्यों लगाते हैं, कांग्रेस मैन पर आरोप क्यों लगाते हैं? यह ठीक है कि अगर सच्चा आरोप है तो उसको दूर करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए और कभी फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमने कसूर किया है, कोई चीज की है तो इसके लिए घबरायें नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेस सत्ता कभी नहीं हट सकती, कांग्रेस सत्ता कभी नहीं हट सकती, कांग्रेस २० साल तक और राज्य करेगी, इसलिए विरोधी दल हजार आरोप-प्रत्यारोप लगायें, हमें सचेत रहना चाहिए; आरोप प्रत्यारोप से घबराना नहीं चाहिए बल्कि कदम बढ़ाते रहें और गलतियों को दुरुस्त करते रहें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है और इसमें जो कमियें हैं, उनको दूर करें तो राजस्थान और आगे बढ़ेगा। हमारा जो बजट पेश हुआ है, वह उन्नति कारक है और उन्नति देने वाला है।

श्री सभापति : श्री लादूराम।

श्री लादूराम मुलाणिया (दूदू-सु०) : माननीय सभापति महोदय, आज हमारे बजट के ऊपर विचार होते दूसरा दिन चल रहा है। इसके ऊपर विचार रखने का

(४. १० म. प)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मौका मिला है, मैं भी हमारे राजस्थान में जिन चीजों की कमियां रह गई हैं, उनकी सरकार द्वारा पूर्ति होनी चाहिए, उन सारी चीजों के ऊपर, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के समक्ष कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे प्यारा, सबसे उत्तम और सबसे अच्छा हमारा भारत का संविधान हमारे देश को आजादी मिलने के बाद बना जो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। उसकी कुछ धारायें ऐसी हैं जिनसे हमारे देश में बसने वाले लोगों को अधिकार मिले हैं और उन अधिकारों से अपने हकों को प्राप्त करते हैं। मैं....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बजट नहीं है।

श्री लादूराम सुलाणियां : बजट नहीं है। बजट के कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूँगा-विशेषकर इसके अन्दर कई चीजों की उन्होंने व्याख्या की है और उसके साथ ही साथ यह बताया है कि हमारा बजट सब बजटों से महत्वपूर्ण बजट है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाला कोई बजट महत्वपूर्ण नहीं है या इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह मैं नहीं कह सकता; पर यह मैं अवश्य कहूँगा कि इसमें जितने आंकड़े दिये हैं वे संतोषजनक नहीं हैं। आय-व्यय के आंकड़े बताये हैं, इससे अनुभव होता है कि आय से ज्यादा खर्चा जिस घर में होता है उस घर के परिवार के लोग सुखी नहीं हो सकते, जिस घर में खर्चा कम और आय अधिक हो तो उस घर के परिवार के लोग आराम से जीवन बिता सकते हैं। हमारे इस बजट में घाटा बताया है और इस घाटे की पूर्ति के लिये कुछ ऐसे टैक्स और दूसरे अंश निर्धारित किये गये हैं और उनसे उस घाटे की पूर्ति करने की कोशिश की गई है, हालांकि उन पूर्तियों से यह घाटा पूरा होगा कि नहीं, यह निश्चित नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा बजट जिसमें हमें काफी घाटा है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और लगातार करते आये हैं, पर उसका नतीजा महत्वपूर्ण नहीं रहता है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ।

श्री लादूराम सुलाणियां : इस बजट में घाटा है उसकी पूर्ति टैक्सेज़ से करने की कोशिश की है, पर टैक्सेज़ से घाटे की पूर्ति नहीं होती क्योंकि टैक्सेज़ से जितना पैसा वसूल होता है उतना तो उस पैसे को वसूल करने में खर्च हो जाता है।

मैंने पहले निवेदन किया था कि सबसे ऊंचा भारत का संविधान है, पिछड़े हुए लोगों के अधिकार इसमें सुरक्षित हैं। पिछड़े हुए लोगों-परिगणित जाति के लोगों की तरक्की का वादा करते करते १० साल निकल गये हैं। भारत के संविधान के परिच्छेद ४५ से ४९ तक भारत सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि उनकी स्थिति को सुधारे पर इसके बावजूद होता यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे राजस्थान में जितने परिगणित जाति के लोग बसे हुए हैं उनके हितों की रक्षा के लिये, उन्नति के लिये बजट में धन-राशि रखते हैं। आये साल लोग आंकड़ों से विरोध करते हैं कि इस पैसे का सदुपयोग नहीं होता। यह पैसा किन्हीं एजेन्सियों को, पार्टियों को दे दिया जाता है और उस पैसे से हरिजनों और परिगणित जातियों का कोई हित नहीं होता।

डॉ० बहादुरसिंह : आपका दल तो विश्वास नहीं करता, इसलिये आपको दिया नहीं जाता।

श्री लादूराम सुलाणिया : वह तो हम ले लेंगे।

जो धन-राशि परिगणित जाति के नाम से निर्धारित की जाती है वह निर्धारित नहीं की जाकर आम जनता को जो दिया जाता है

(श्री लादूराम सुलाणिया)

वही हमें भी दिया जाय तो हो सकता है, इससे हमें संतोष हो सकता है। पर पूरे अधिकार तो ले लिये जाते हैं और हमें थोड़ा सा टुकड़ा देकर कह देते हैं कि इससे संतोष कर लो, उससे हमें संतोष नहीं होने वाला है। यह मैं सदन के माननीय सदस्यों को बता दूं। हमारे यहां कांग्रेस को अधिकार मिला। कांग्रेस के हाथ में राज्य की बागडोर आई। हमारे यहां समाज कल्याण विभाग की ओर से 'उत्थान' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की गई। उस पुस्तक में मिनिस्टरों के फोटो दिये गये और प्रगति बताई गई कि हमारे यहां राजस्थान में किसी हरिजन वर्ग के साथ छुआछूत नहीं बरतेंगे, उनको इतना धन देंगे कि १० साल में वे लोग दूसरी जातियों के बराबर की स्थिति में अपने जीवन को सुदृढ़ और सुखमय बना सकेंगे। ५१ में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। पृष्ठ ११ में यह साफ लिखा है कि जितने हरिजनों के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जायगी। मैंने पिछली बार भी जोरदार शिकायत राज्य सरकार को भेजी है कि परिगणित जाति के बच्चों से फीस ली जाती है, बजाय वजीफा देने के उनसे फीस ले कर दाखिला देते हैं। पर इसकी जांच किसी ने की नहीं, कोई ध्यान नहीं देता। ५१ से इस प्रकार का ऑर्डर है, उस ऑर्डर की अफसर लोग अवहेलना करते रहे हैं। एक हैड मास्टर ने तो लिखा कि ऐसे गवर्नमेंट के रूल भी हैं क्या ? मैंने उस हैड मास्टर को रूल की कॉपी भेजी है। तो इन रूल्स को बरतने में अनियमितताएं बरतते रहते हैं, निःशुल्क शिक्षा करने पर भी १० साल हुए क्या आज तक एक भी परिगणित जाति में से आर. ए. एस. या आर. पी. एस. है ? एक भी नहीं। सरकार के यहां से आया कि कितने अफसर राजस्थान में परिगणित जाति के हैं तो उसमें जीरो लिखा हुआ था। तो राजस्थान सरकार को इसके लिये शर्मिंदगी उठानी चाहिये कि करोड़ों रुपया हरिजनों की प्रगति में लगाते हैं, उसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ। आज तक एक भी परिगणित जाति में से आर. ए. एस., आर. पी. एस. नहीं है।

उस पुस्तक में नौकरी के बारे में परिशिष्ट संख्या १८ में साफ लिखा है कि नौकरियों में परिगणित जातियों को साढ़े बारह पर्सेंट और १५ पर्सेंट मिलेगा। कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं और विधान सभा में भी कहा गया कि इस बात की जांच कराई जाय कि ऑफिसों में परिगणित जाति के लोगों को साढ़े बारह पर्सेंट और १५ पर्सेंट के हिसाब से नौकरियां दी जाती हैं कि नहीं, पर वह टांग अड़ा देती है ....

श्री उपाध्यक्ष : टांग एक ही प्रकार की होती है; आपके हिसाब से कितने प्रकार की है ? मैंने बार बार कहा है कि प्रमुख मुद्दों पर आया जाय, छोटे-मोटे मुद्दे रखने के तो कई और मौके मिलेंगे।

श्री लादूराम सुलाणिया : नौकरियां निर्धारित कोटा के अनुसार नहीं मिलती हैं। यह नौकरियों का छोटा प्रश्न नहीं है, जीवन-मरण का प्रश्न है, जिससे अपने उदर की पूर्ति करते हैं।

तो नौकरियों में साढ़े बारह पर्सेंट और

(श्री लादूराम मुलाणिया)

१५ पर्सेंट परिगणित जाति के लोगों को देने को हमारी राजस्थान सरकार दुहाई करती है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सदन को बताना चाहता हूँ कि किसी भी ऑफिस में पूरे नहीं हैं, मिनिस्टर महोदय खुद जाकर देखें किसी डिपार्टमेंट में पूरे नहीं मिलेंगे। तो फिर यह दुहाई क्यों देते हैं कि हमारे यहां नौकरियों में परिगणित जाति के लोगों को साढ़े बारह पर्सेंट और १५ पर्सेंट के हिसाब से नौकरियों में रखते हैं ?

मैं इस विषय में अधिक समय नहीं लेकर यही निवेदन करूंगा कि पहले नौकरियें एम्प-लॉयमेंट एक्सचेन्ज के मार्फत मिलती थीं। उसके बाद में एक ऑर्डिनेन्स निकाला गया और सर्क्यूलर निकाले गये कि जितने भी परिगणित जाति के लोग हैं उनका सीधा अपोइन्टमेंट करना चाहिये। जब इस प्रकार के आदेश जारी हुए उससे हम को खुशी हुई और खुश होना ही चाहिये था। मगर उससे हम को कोई लाभ नहीं हुआ। पिछले समय हमारा प्रश्न था कि हमारे यहां चीफ सेक्रेट्री द्वारा कितने लोगों को नौकरियें मिलीं ? मैं यह कहूंगा कि वहां पर ८०० एप्लीकेशन्स आई जिनमें से १४८ को अपॉइन्टमेंट मिला। जब हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के पास जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि हमारे यहां तो कोई इसका ताल्लुक नहीं है; आपको सीधा एपॉ-इन्टमेंट मिलेगा। मगर जब वहां ऑफिसरों के यहां जाते हैं तो बात करने का मौका नहीं मिलता। यदि ऑफिसरों से मिलें भी तो वे कहते हैं कि इसके लिये हम सोचेंगे। अगर सरकार इस बात की दुहाई देती है कि हम १२॥ पर्सेन्ट लोगों को परिगणित जाति या शिड्यूल्ड कास्ट में से लेते हैं तो मैं यह कहूँगा कि सरकार इसकी जांच के लिये एक कमेटी बैठावे। अगर सरकार इसके लिये कमेटी बैठाएगी तो मालूम होगा कि जो कोटा मुकर्रर किया गया है उससे तादाद कम है। मैं यह कहूँगा कि आज हमारे हजारों लड़के मैट्रिक पास करके बेकार फिरते हैं और सरकार उनको नहीं लेती और सोती हुई है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे सारे भाई और कर्णधार नेता हैं वे बराबर इस बात की दुहाई देते हैं कि महात्मा गंधी ने यह किया। महात्मा गंधी की दुहाई बार बार देते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : "महात्मा गांधी" के नाम का तो शुद्ध ही उच्चारण होना चाहिये।

श्री लादूराम मुलाणिया : मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान पिछली घट-नाओं की ओर दिलाना चाहूंगा और जब तक वे दूर नहीं होंगी तब तक हमारे अधिकार मिलने में बहुत बड़ी कठिनाइयें होंगी। आज बहुत से लोग इस बात को दुहाई देते हैं कि हमारे लिये बहुत कुछ किया गया है। हमारे वित्त मंत्रीजी भी हरिजन मंत्री थे। उनके समय में भी काफी घटनाएं हुईं और हो सकता है कि उन्होंने उसमें काफी काम भी किया। मगर मैं यह कहूंगा कि मुझे भाषण को सुन कर अफसोस हुआ कि लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे अधिकारों के मूलभूत कारण क्या हैं जिससे वे लेंगे। जो लोग महात्मा गांधीजी की दुहाई भरते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको दुहाई दूंगा कि उनकी महत्ता के बारे में कोई दो राय नहीं है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे गांधीजी हैं और 'गेंधीजी' नहीं हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह कहूंगा कि वे राष्ट्रपिता हैं, उस नाते महात्मा गांधी, जितने भी मनुष्य हैं उन सबके पिता हैं। मैं यह बात नहीं कहता और न इस बात का विरोध करता हूं कि उन्होंने कोई उत्थान नहीं किया है या आजादी दिलाने में कमी रखी है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उनके उत्तराधिकारी जो उनकी दुहाई देते फिरते हैं और उनकी बागडोर को पकड़ कर चलते हैं उसको पूरा करेंगे। मैं यह बात कहूंगा कि हरिजनों का प्रश्न है महात्मा गांधी से सम्बन्धित नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने हमारे लिये बहुत कुछ किया तो मैं यह कहूंगा कि वे राष्ट्रपिता थे, मगर उन्होंने हरिजनों का कुछ नहीं किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। जिस चीज़ का आदमी विरोध करता है उसका पक्ष नहीं करता। जिस बात को लेकर उठता है उसको लेकर वह बैठता नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जिस वक्त....

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.) : महात्मा गांधी जिस बस्ती में रहते थे उसका ज्ञान माननीय सदस्य को नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ज्ञान करावें।

श्री लादूराम सुलाणिया : हमारे देश को आजाद कराने में, इस देश को आजादी दिलाने में उन्होंने प्रयत्न किया।

डॉ० बहादुरसिंह : जन-संघ के नहीं थे।

श्री लादूराम सुलाणिया : हमारा देश आजाद हुआ और उस आजादी की लड़ाई में हमारे हरिजन और परिगणित जाति के लोग और कांग्रेस के लोगों ने भाग लिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप संदर्भ पर आवें। आपका यह विषय दूसरा है। आप लड़ाई के विषय पर चले गये।

श्री लादूराम सुलाणिया : आज करोड़ों हरिजन अछूत बन कर बैठे हैं और अपने अधिकारों से हर साल वंचित रहते हैं। जब वे कमायेंगे नहीं तो खायेंगे क्या ?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

मैं दो-चार मिनट में समाप्त कर दूंगा। जिस समय आजादी की लड़ाई चल रही थी उस समय सारे लोगों ने मानपत्र प्रस्तुत किये। उस वक्त हरिजनों की तरफ से डॉ० बी. आर. अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान के बनाने वाले थे और जिनको भारत के संविधान का दाता कहना चाहिये उन्होंने हरिजनों के १० करोड़ लोगों की आवाज कांग्रेस के सामने रखी। मैं यह कहूँगा कि उस समय यदि किसी ने उस मांग को ठुकराया तो महात्मा गांधी ने, किसी दूसरे बैरिस्टरों ने नहीं ठुकराया। मगर महात्मा गांधी ने इस मांग को ठुकराया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको फिर निवेदन करूंगा कि आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं इस विषय पर आ रहा हूं। हरिजनों की हालत किस प्रकार होनी चाहिये, उनको हर प्रकार के हक होने चाहिये। ये उनकी मांगें थीं।

डॉ० बहादुरसिंह : यह गोलमाल कब हुआ ?

श्री लादूराम सुलाणिया : यह १९३२ में हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

श्री लादूराम सुलाणिया : मुझे अभी १० मिनट बोलना है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको दो-तीन मर्तबा कहा कि आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं विषय पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, बोलिये।

डॉ० बहादुरसिंह : इसके बाद मुझे मौका मिलेगा ?

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं बजट पर बोल रहा हूँ। बजट में जो बातें कही हैं उस पर अपने अपने सुझाव देते हैं और इस नाते मैं भी अपने सुझाव दे रहा हूँ।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के जितने पिछड़े हुए लोग हैं उनको जो अधिकार देते हैं और उस पर लाखों रुपया खर्च होता है या तो वे लाखों रुपया जो इस पर खर्च होता है उसे बन्द किया जावे और अगर यह रुपया उन पर खर्च किया जाता है तो उसका सदुपयोग होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि जब छुआछूत का अन्त हो गया तो इसके बाद में हमारे साथ इस प्रकार के जुल्म और अत्याचार होते हैं वे क्यों; जिसके कारण हम बराबर कष्ट उठाते हैं और शिकायतें करते हैं मगर उन पर कोई विचार नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, १० वर्ष कांग्रेस के राज्य को समाप्त होने जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि ये नालियें (लकड़ी की नाली सदन में दिखाई) जिससे हम लोगों को पानी पिलाते हैं जिस प्रकार कुत्तों और बिल्ली को पानी पिलाया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या है ? यह सदन में कैसे आई है ? How it has come into the House ? Please place it on the Table of the House.

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं इसलिये लाया हूं कि आप इसका निरीक्षण करें। मैं हाउस की मेज पर रखूंगा।

डॉ० बहादुरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की चीज़ सदन में किस प्रकार से आ गई ? इसके लिये....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे भी आश्चर्य है कि यह डंडा हाउस में कैसे आ गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पानी पीने का पात्र है।

श्री उपाध्यक्ष : I just want to see it.

श्री लादूराम सुलाणिया : यह हमारे कांग्रेस राज्य में हमारे साथ होने वाले व्यवहारों का नमूना है ।....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने पहले भी कहा है कि इस प्रकार का डंडा सदन में नहीं आ सकता । मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का डंडा सदन में किस कदर आया है ? I shall just enquire about it. Yes, proceed.

श्री लादूराम सुलाणिया : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह डंडा नहीं है । यह नल है । जिन मनुष्यों को हमारे संविधान में बराबरी के अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों को चुनौती है, सरे बाजार चुनौती है और हमारी सरकार सोती हुई है ।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जिस नाली से कुत्ते और बिल्लियों को पानी नहीं पिलाया जाता है उससे मनुष्यों को, हरिजनों को यह पूछ कर पिलाया जाता है कि 'तुम कौन हो' । सरकार ने कभी भी इसकी इन्क्वायरी नहीं की । दूसरी ओर हम देखते हैं कि आदिम जाति सेवा संघ, हरिजन सेवक संघ, सर्व सेवा संघ और अन्य कई प्रकार की संस्थायें, एजेन्सियें बना कर करोड़ों रुपया सरकार देती है और उनका आज राजस्थान में दुरुपयोग होता है । मैं यह निवेदन करना चाहूँगा, माननीय उपाध्यक्षजी, कि इस प्रकार के प्रावधान को हटा दिया जाय । हरिजनों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार को रोकेंगे नहीं तो इनकी क्या आवश्यकता है ? इसको हटा दिया जाय और पुरानी परम्परायें ही वे तो निभायेंगे । यह हो जाय तो कम से कम मुझे तो संतोष होगा । हजारों नालियां हैं जिनसे उन मनुष्यों को पानी पिलाया जाता है, जैसी मैंने अभी टेबल पर पेश की । इस प्रकार से मनुष्यता का हनन किया जाता है और आज राजस्थान में सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं, सरकार ने कभी इन्क्वायरी नहीं की ।

ऐसी स्थिति में जो हमारा बजट है उसमें राजस्थान के हरिजनों और अन्य जातियों के लिए, समाज कल्याण विभाग के लिये लाखों रुपयों का प्रावधान रखा जाता है और अन्य हरिजनोत्थान संस्थायें हैं, एजेन्सियां सरकार ने बना रखी हैं उनको लाखों रुपया सरकार देती है । अभी का जो बजट है उसमें सरकार ने हरिजनों आदि के कालम को ही उड़ा दिया है । उसमें समाज कल्याण, परिगणित जाति, परिगणित जन-जाति इस प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है । मैं चाहता हूँ कि वे उनको भूल जायं । मैं स्वागत करता हूँ । बजट भाषण में भी उनका उल्लेख नहीं आया । और यदि हरिजन, परिगणित जाति, परिगणित जन जाति नाम आ जाय, तो हो सकता है कि उनको मनुष्यता का अधिकार मिल जाय । एक तरफ तो सरकार ढोल पीटती है और उसमें इस बात के सुबूत पेश करती है कि लाखों वर्षों से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को हम आगे लाना चाहते हैं; लेकिन बाद में सोचते हैं कि उनको तो नहीं लाना चाहते हैं । यह नहीं कहते कि वे भी मनुष्य हैं उनको बराबर के अधिकार मिलने चाहिये । इस प्रकार की दुहाई आज कोई नहीं देता है ।

(श्री लादूराम सुलाणिया)

१९६१-६२ के बजट में एक बड़ी बात और लिखी है और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करके मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा और वह यह है सबसे बड़ी बात, बजट का घाटा पूरा करने के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी वर्ग पर सबसे पहले हस्तक्षेप किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको तनख्वाह अधिक मिलती है। उनको हटा दिया जावेगा तो बजट का घाटा पूरा हो जावेगा और बजट के टार्गेट संतोषजनक हो जावेंगे। मैं अफसोस के साथ माननीय वित्त मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा और सदन के सदस्यों का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को हटाने के बजाय गजटेड ऑफिसर्स को हटाते, जिनको कि दो-दो हजार तनख्वाह मिलती है। आई. ए. एस. कम होता है तो चार-पांच चपरासी कम हो जावेंगे। उनको तो कम नहीं करना है और उनको कम करना है जो चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं। यदि उन बड़ों को कम कर देते हैं तो नौकरशाही राजस्थान में खत्म हो जाती है। जब तक राजस्थान में नौकरशाही का बोलबाला है तब तक यह चीज़ चलती रहेगी।

श्री पुरुषोत्तलाल शर्मा (किशनगढ़) : जब तक बाल काले हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : और अन्याय होगा उन पर जो कम तनख्वाह पाने वाले हैं, गरीब हैं, ५०), ६०) रुपया तनख्वाह जिनको मिलती है। वित्त मन्त्री होदय ने इसमें रखा है कि उनको हटा दिया जाय। वे चिल्ला नहीं सकते, बोल नहीं सकते और अपने अधिकार भी प्राप्त नहीं कर सकते। हटा देंगे और वे हट जावेंगे। मैं तो यह कहूंगा कि बजट के घाटे को पूरा करने के लिए अख्तियाराात लिए जायं, टैक्सेज़ लगाये जाय और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को कम कर दिया जाय, यह राजस्थान के बजट की कोई शोभाप्रद बात नहीं है। डिपार्टमेन्ट्स का खर्चा कम करें और उन लोगों को कम करें जो एशो-आराम से अपनी जिन्दगी बिताते हैं, अन्यथा हरिजनों और गरीब लोगों

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पर आपका यह कुठाराघात होता रहेगा। मैं वित्त मन्त्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि हरिजनों की ओर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्थिति को सुधारना है तो कोई अच्छा कदम उठाइये। हो सकता है कि आगे यह महत्वपूर्ण बजट न आये, एक वर्ष के दौरान में दुबारा कहने की जरूरत न आये और मौका भी न मिले और कमी के लिए सरकार महसूस करें। घाटा टैक्सेज़ लगा कर पूरा न करें; अन्य बातों से आय को बढ़ायें। चौथे कर्मचारियों की छटनी न करें। जो बजट पेश किया गया है, मैं उसका विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन में माननीय वित्त मंत्रीजी ने सन् ६१-६२ का बजट पेश किया है उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बजट को छोटा, नन्हा

(डॉ० बहादुरसिंह)

मुन्ना बताया है। जैसे एक वयोवृद्ध व्यक्ति, उसकी संतान जिस प्रकार से स्नायु कमजोरियां लिये हुए होती है उसी प्रकार यह बजट भी स्नायु कमजोरियां युक्त है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): डाक्टर हैं आप इसका इलाज कर दीजिये।

श्री धन्नालाल हरित(छबड़ा-सु०): बुढ़ापे का बच्चा कमजोर होता है, वह बता रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : बुढ़ापे की सन्तान कमजोर होती है, उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था बूढ़ा कर लेता है, वैसी ही वित्त मंत्री महोदय ने चिकित्सा की व्यवस्था की है। मै उनकी चिकित्सा को व्यवस्था की तारीफ करता हूँ क्योंकि बजट में जो टैक्सेशन का प्रावधान है और जैसा जिस प्रकार से जन संघ के नेता महोदय ने अपने भाषण में बताया कि राजस्थान का पर-कैपिटा टैक्सेशन १६ पर्सेंट है। दूसरी जो स्टेट्स हैं उनको थोड़ा देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी स्टेट में पर-कैपिटा टैक्सेशन कम है। गुजरात में २२.१६ है, महाराष्ट्र में २१.१६ है, पंजाब में २१.३३ है, आसाम में १८.८० है, मैसूर में १६.६५ है, केरल में १६.५० है। इस प्रकार जो हमारे भारत की अन्य स्टेट्स हैं जिनमें हमारे यहां से पर-कैपिटा टैक्सेशन अधिक है। मैं यह समझता हूँ कि वित्त मन्त्री महोदय ने जो टैक्सेशन बढ़ाया है अभी लिमिट में है और दूसरे राज्य हैं उनसे कम है। इस दृष्टि से चिकित्सा की व्यवस्था सराहनीय है।

अब हमारा दूसरा पहलू है खर्चे के बारे में। उस पर थोड़ा विचार करें। गत वर्ष भी मैंने देखा था कि जो डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर था, जो सारा एक्सपैन्डीचर था उसके हिसाब से उसको बढ़ाया है। सन् ५१-५२ की ओर ही देखें तो डेवलपमेंट एक्सपेन्डीचर ४२.५ था, ६२.१ आया है यानी हमने इसमें बराबर तरक्की की है। पिछली दफा हमारा एक्सपेन्डीचर डेवलपमेंट सोशल सर्विसेज़ में था वह ६४ पर्सेन्ट ऑफ दी बजट था। मैं अन्य सर्विसेज की अपेक्षा सोशल सर्विसेज़ को ज्यादा महत्व देता हूँ। सोशल सर्विस द्वारा ही हम जनता का हित कर सकते हैं। सोशल सर्विसेज़ में हमने तरक्की की है। गत वर्ष जहां ६४ पर्सेंट खर्चा था वह इस साल ६६.३ पर्सेन्ट पर आ गया है। जहां हम सोशल सर्विसेज़ को बढ़ाते हैं और प्रशासनिक खर्चे में जाते हैं तो वहां हमें सोचना पड़ेगा। हमारे वित्त मंत्री महोदय जो हमारे डिवीज़नल हैडक्वार्टर हैं उनको समाप्त करने में अग्रसर हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने इसमें दो लाख रुपये इसलिए रखे हैं इससे उनको रिहेबीलिटेट करने में खर्च हो जायगा। जैसा कि उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डी० आई० जी०, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स आदि इस तरह की पोस्टस हैं और जो डिवीज़नल हैडक्वार्टर्स पर रहते हैं उनको भी समाप्त करना चाहिये। मैं भी बराबर इसका समर्थन करता हूँ उनका यह सुझाव मानना चाहिये क्योंकि हम प्रशासनिक खर्च में कमी नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट के कार्यों में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जहां पहले डेवलपमेंटस के कामों में खर्च होता था वहां अब काफी बढ़ गया है और इसी अनुपात से प्रशासनिक व्यय भी बढ़ा है। हम यदि एडमिनिस्ट्रेशन के बढ़ते हुये खर्चे पर निगाह

(डॉ० बहादुरसिंह)

डालें तो हम देखते हैं कि वह अत्यधिक है। शिक्षा के अन्दर सबसे ज्यादा काम होना चाहिये, उसके बाद हम स्वास्थ्य पर विचार करें। राजस्थान में हम लॉ एन्ड ऑर्डर पर बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इस सारे खर्च पर निगाह डालें तो यह सारे बजट का ९.४ प्रतिशत पड़ता है। मैं इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट की आलोचना करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिस एरिया से आता हूँ वह एक डिस्टर्बड एरिया माना जाता है और है भी। वहां पर पुलिस पर काफी खर्चा करना पड़ता है और यह एक दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह खर्चा वाजिब भी है। इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन कर दूं, यह जो पुलिस में खर्चा हो रहा है वह अधिक खर्चा हो ऐसी बात नहीं। चार डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर जो डी० आई० जी० रहते हैं उनकी जगहों को भी खत्म कर दें तो काफी पैसे में बचत हो सकती है। यह जो ९.४ का खर्चा है उसमें से भी हम कम कर सकते हैं। मैं आपके सामने धौलपुर की नजीर रखता हूँ। वहां पुलिस पर ज्यादा खर्चा पड़ता है। इस बारे में कभी सोचने की कोशिश नहीं की कि किस प्रकार का वहां वातावरण बनाया जाय जिससे पुलिस शक्ति के अलावा दूसरी तरह से भी शान्ति हो सकती है। उसके लिये यह हो सकता है जो डिस्टर्बड एरिया है जहां हम उसके लिये पुलिस विभाग पर ९.४ पर्सेन्ट खर्चा करते हैं उसमें से कटौती करके वहां सिंचाई के साधन, शिक्षा का प्रसार और रोड्स आदि की व्यवस्था कर देते हैं तो वहां के लोगों में एक सन्तोष पैदा हो सकता है। आज हमें वहां डेवलपमेंट के कार्य नजर नहीं आते हैं। यह मैं अपने निकटतम एरिया की बात कह रहा हूँ जहां से मेरा निकट से सम्पर्क रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं भी उस एरिया को देखा है और आप भी वहां पर डेवलपमेंट वर्क्स की कमी को महसूस करते होंगे। मैंने उस एरिया के लिये पहले भी कहा था और आज भी निवेदन करता हूँ कि वहां पर चार डैम इस प्रकार के बनाये जा सकते हैं। यह जो पुलिस का खर्चा ९.४ का है उसको कम करके यह कार्य हो सकता है और हमें इस प्रकार से डेवलपमेंट कार्य में खर्च करना चाहिये।

दूसरा खर्चा चिकित्सा व्यवस्था के लिये कर रहे हैं। इसमें २६३ लाख करीब खर्च किया जाता है मेडिकल और हैल्थ के नाम पर। मेडिकल और हैल्थ पर किये जाने वाले खर्चे की मैं आलोचना नहीं करता। मैं इसके डिस्ट्रिब्यूशन की आलोचना करता हूँ। जो मेडिकल और हैल्थ पर हमारे यहां खर्चा होता है उसको मैं राजस्थान के लिये पर्याप्त नहीं मानता। लेकिन जहां हम मेडिकल और हैल्थ में एलोपेथिक सेक्शन पर खर्च करते हैं जब आयुर्वेद के खर्चे को देखते हैं तो न्यून लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : असल विषय पर ही आ जाइये।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं यह चाहूँगा, या तो आप कह दीजिये कि हम आयुर्वेद पर खर्च करना ही नहीं चाहते। एक तरफ तो आप आयुर्वेद के संरक्षण की बातें करते हैं और सेपरेट मिनिस्टर इसके लिए कायम किया जाता है और जब इसके अलॉटमेंट को देखते हैं तो सिर्फ है १० लाख ७१ हजार

(डॉ. बहादुरसिंह)

रुपया। आयुर्वेद के साथ जो अन्याय किया जा रहा है उसकी वकालत मैं करना नहीं चाहता, इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान युनिवर्सिटी के लिए जहां हम लाखां रुपये की ग्रान्ट देते हैं एड के तौर पर, लेकिन जब आयुर्वेद फैकल्टी की बातें करते हैं तो कायम नहीं कर सकते। जो देश में एक प्रकार की मनोवृत्ति पनप रही है उस पर हमें विचार करना होगा। इस प्रकार से १० लाख ७१ हज़ार रुपया जो हम आयुर्वेद के लिये खर्च करते हैं एक प्रकार से मजाक है। आप क्यों नहीं सारा रुपया ही एलोपेथी के लिये खर्च कर देते हैं ? हमें इसमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। आयुर्वेद पर यदि लोगों का विश्वास है तो जनता के विश्वास के बल पर कायम रहेगा। लेकिन इस तरह से मजाक क्यों करते हैं? उसके लिये नाम मात्र का खर्चा करना उपयुक्त चीज़ नहीं है। आयुर्वेद मन्त्री महोदय मौजूद हैं। मैं उनके विभाग के बारे में इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एक्ज़ामिनेशन्स है उस पर १६,३०० रुपया खर्च करते हैं, यह रुपया बिल्कुल हटा देना चाहिये। राजस्थान युनिवर्सिटी को जहां हम १० लाख रुपये की ग्रान्ट-इन-एड देते हैं आयुर्वेद फैक्ल्टी कायम करे। हो सकता है राजस्थान युनिवर्सिटी यह कहे कि आयुर्वेदिक कॉलेज राजस्थान के अन्दर कोई नहीं है। तो फैक्ल्टी कायम हो जाती है तो कॉलेज भी सेट-अप हो सकता है। मैं नम्रता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद फैकल्टी राजस्थान में अवश्य कायम करनी चाहिये। अगर फैकल्टी कायम कर देते हैं तो राज्य सरकार को आयुर्वेदिक कॉलेज भी स्थापित करना पड़ेगा। आयुर्वेद फैकल्टी के कायम करने के लिए जहां हम ३० हजार रुपया देना चाहते हैं वहां दूसरी ओर से इसका जवाब तक नहीं मिलता, न कोई व्यवस्था ही नजर आती है। इस तरह से १६,३०० रुपया हमने आयुर्वेदिक एक्ज़ामिनेशन बोर्ड के लिये रखा है उसके लिए मैं यह कह सकता हूँ कि वह व्यर्थ है। जो भी आपके यहां विद्यार्थी इन एक्ज़ामिनेशन्स में बैठते हैं उनका एक प्रकार से जीवन खराब करते हैं। भिषगाचार्य की परीक्षा, जिसे यह बोर्ड लेता है कोई मान्यता नहीं और इसकी मान्यता न होने का कारण यह है कि बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक एक्जामिनेशन्स हमारे किसी एक्ट के अन्तर्गत नहीं बना हुआ है। जब आपके यहां इसके लिए कोई कानून नहीं तो आपके द्वारा जो प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं उनको दूसरी स्टेट्स कोई मान्य नहीं करती। कई बार 'राजकीय' शब्द लगा हुआ होने से कई स्टेट्स भ्रम में आ जाती हैं। जिन स्टेट्स को मालूम है वे कभी भी अपनी स्टेट्स के विद्यार्थी को नोकरी नहीं देते और न यहां के छात्र अन्य चान्स ही प्राप्त कर पाते हैं; यू० पी० का बोर्ड है, देहली का बोर्ड है, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे बोर्ड्स हैं। वहां से जो भी परीक्षा पास करके छात्र निकलते हैं उनको बराबर स्थान दिया जाता है। अगर यहां के किसी छात्र को कोई चान्स मिल गया तो आपके डाइरेक्टर महोदय की खुशामद करके मिल गया, वर्ना सर्विसेज़ के अन्दर कोई स्थान नहीं मिल सकता। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था की मैं निन्दा नहीं करता, किन्तु आलोचना अवश्य करना चाहता हूँ। माननीय वित्त

(डॉ. बहादुरसिंह)

मन्त्री महोदय आयुर्वेद के पक्ष में हैं। अगर सदन से बाहर उनसे इस विषय में बातचीत की जाय तो उनकी आयुर्वेद के प्रति बड़ी श्रद्धा मालूम होती है, लेकिन बजट में जब अलॉटमेंट देखते हैं तो पाते हैं कि एक करोड़ रुपया भी इसके लिए नहीं रखा। एक बटा तीन का हिस्सा भी इस बजट का नहीं है; जब कि सारे स्टेट की एक करोड़ से अधिक आबादी आयुर्वेद के पक्ष में है। जो आयुर्वेद की प्राइवेट संस्थायें हैं और जो इनकी परीक्षा विद्यार्थी देते हैं उनको देखते हुए भी यह जो आपका अलॉटमेंट है वह बहुत कम है। जैसा कि शिड्यूल्ड कास्ट के माननीय सदस्य ने कहा था अगर उनकी बात सही है और अगर हम उनके साथ न्याय करना चाहते हैं....

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य थे या विधान सभा के सदस्य थे ?

डॉ० बहादुरसिंह : विधान सभा के।

तो मैं थोड़ा निवेदन कर दूं एक देश में एशियन हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनने जा रहा है और उसमें राजस्थान का भी नाम आता है। तो इसको रिप्रेजेन्टेशन उसमें मिलेगा, ऐसी आशा है। पर जब हम अपना अलॉटमेंट लेकर एशियन हैल्थ कॉन्फ्रेन्स में जावेंगे तो वहां कहेंगे कि आपका स्टेट अलॉटमेंट क्या है ? तो आप क्या यह कहेंगे कि हमें दस लाख मिलता है और मेडिकल को तीन करोड़ मिलता है ? तो मैं निवेदन करूंगा कि वे अपने आंकड़ों को दुरुस्त करें।

कहा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन ने एक तरीका बना रखा है, एक प्लान में पहले से दूनी रकम नहीं देते। इसका मतलब यह रहा है कि एलोपैथी जो काफी हिस्सा पहले से लेती रही उसे इसी प्रकार से अधिक मिल जावेगा और आयुर्वेद को कुछ नहीं; क्योंकि उसे पहले से ही बहुत कम दिया जाता रहा। मैं एलोपैथी या किसी 'पैथी' की आलोचना नहीं करना चाहता क्योंकि मैं तो इस सिद्धान्त को मानता हूँ कि जो आयु के हित में कार्य किया जावे वे सब काम आयुर्वेद के काम हैं। तो मैं वित्त मन्त्रीजी से कहूँगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें। अगर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट में भी कुछ रकम बढ़ सकती हो, तो बढ़ाई जावे।

वित्त मन्त्री महोदय दावा करते हैं कि वे आयुर्वेद के हितैषी हैं। अगर इसका कुछ प्रमाण हो तो यही हो कि बजट में वे बढ़ोतरी करें।

अब मैं ट्रान्सपोर्ट के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं कहना चाहता; लेकिन यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि रोड ट्रान्सपोर्ट एक स्टेट ट्रेडिंग है उसमें ६५ लाख का अलॉटमेंट है। अब कोई ट्रेड हो, पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सैक्टर में। सब को बिजनेस पॉइन्ट ऑफ व्यू से चलाया जाना चाहिये। अब एक प्राइवेट बस ओनर जो परमिट लेकर अपना मनी इन्वेस्ट करता है तो जब तक वह चार साल के अन्दर अन्दर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल नहीं लेता तब तक वह व्यापार प्रोफिटेबल नहीं मानता। जैसे अगर उसने ६५ लाख रुपया लगाया तो चार साल में उसे ६५ लाख निकाल लेना है, हर

(डॉ० बहादुरसिंह)

साल १५, १६ लाख का मुनाफा उसको होना चाहिये। तो हमारी ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था का भी यही लक्ष्य रहना चाहिये। इसमें इस सदन की सहायता भी लेनी पड़े और बीच में आने वाली अड़चनों को दूर करना पड़े तो सरकार को इसे भी लेना चाहिये।

एक बात मेडिकल चार्जेज़ के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेडिकल चार्जेज हमने हर हैड में लगा रखे हैं और हर विभाग के एम्प्लॉयीज़ को मेडिकल एड देते हैं। इन मेडिकल एड के बदले में मेरा यह सुझाव है कि मेडिकल अलाउन्स कुछ पांच रुपया या अधिक स्लाइडिंग स्केल के साथ कर दिया जाय। क्योंकि इस एड में इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि लोग फर्जी बिल्स सबमिट करके ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ अधिकारियों के बारे में इस प्रकार की शिकायत भी है कि उन्होंने आठ सौ, छः सौ, पांच सौ रुपया मेडिकल के इस फण्ड से ले लिया। तो मेरा सुझाव है कि इसको मन्थली अलाउन्स के तौर पर सब को दे दिया जाय। पांच दें, चार दें, दो दें कुछ भी दें। यह आप तय कर लें। इससे दो फायदे हैं लोग मेडिकल की छुट्टियां बेकार में नहीं लेंगे और दूसरा यह कि जो आज किन्हीं को झूठे बिल देने पड़ते हैं और इससे ख्वामख्वाह एन्टी करप्शन विभाग पर काम का बोझा बढ़ता है तो वह भी कम होगा। तो ये सारी बातें इसमें हैं।

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) Time is up, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Not yet. It is just to strike. Let the cloak ring.

एक माननीय सदस्य : He wants to get chance.

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order !!

श्री श्रीभानसिंह : I rise to praise the Hon'ble Finance Minister for having presented such a good Budget. But unfortunately, I say with a very heavy heart that two very serious allegations were levied against him in this House. I Congratulate him that he comes out very clean. Atleast one allegation is very serious and there will be no harm if he submits himself or submits those cases for an enquiry.

Sir, this Budget has been criticised. Some have termed it as a budget of a Bankrupt State. Some have said that it is not a poor man's budget. It is termed as a Bankrupt State's Budget' because the State Government's critics don't like that the State Government should rise to floating loans and those who say that it is not the poor man's budget, they are averse or against the taxes. As I said, the Budget is good because in

Page No.113

(श्री श्रीभानसिंह)

the context of its being the first budget of the Third Plan, it gives the Third Plan a very good start, a right start which it needs...

श्री बी. एन. जोशी (बांदीकुई): Time is up now.

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे बुधवार दिनांक १५-३-६१ को ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(मंगलवार, १४ मार्च, १९६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
तहसील सांगानेर के लोगों को आवंटित भूमि ।	२४०१	उप-निरीक्षक, जिला बूंदी द्वारा नियुक्त अध्यापक एवं अध्यापिकायें ।	
तहसील फागी में किसानों से पहाड़ों से पत्थर ले जाने पर रॉयल्टी की वसूली ।		तहसील देसूरी व बाली के ग्रामों के काश्तकारों को पटवारियों द्वारा पर्चा गिरदावरी नहीं दिया जाना ।	
कोटपूतली-बहरोड़ सड़क ।		ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन ।	
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेज के हेड्स ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स की डिग्री कॉलेजेज़ के प्रिन्सिपल के पद पर नियुक्ति ।		राजस्थान पुरालेख विभाग के केन्द्रीय कार्यालय का बीकानेर स्थानान्तरण ।	
लालसोट, सांगानेर व चाकसू तहसीलों के बेसिक स्कूल्स ।		तहसील देसूरी में बीघोड़ी की अधिक दर ।	
जयपुर नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत कृषि योग्य भूमि की अकृषि कार्यों में परिणति के नियम ।		लूणकरणसर-सूरतगढ़ सड़क ।	
सड़कों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के वेतन भुगतान में विलम्ब ।		भवन व सड़कों सम्बन्धी मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कार्यवाही ।	
ग्राम पंचायत रोहट में काश्त हेतु वितरित भूमि ।		अकालग्रसित चूरू जिले में काश्तकारों से लगान की वसूली ।	
		पाली कॉलेज भवन का निर्माण ।	
		तहसील रतनगढ़ के ग्रामों को	

अकालग्रसित घोषित करना।

जयपुर शहर की गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं।

खानपुर हाई स्कूल की इमारत का निर्माण।

राजस्थान का इतिहास लिखवाने की योजना।

सहायक संचालक, शिक्षा विभाग, जयपुर के डिविजन में मिडल व वी. एफ. की ग्रेड वाले अध्यापक।

ग्राम पड़िहारा में हायर सेकण्डरी स्कूल व लोहा बछरारा व लड़ासर में मिडल स्कूल खोलने की मांग।

ग्राम मिण्डिया (लूणकरणसर) में अनियमित कृषि भूमि आवंटन।

किशनगढ़ (अजमेर) के राजकीय गर्ल्स हाई स्कूल में अध्यापिकाओं की कमी।

गोगामेड़ी मन्दिर के पुजारी के हकदार की जांच।

प्रान्त में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना।

आय–व्ययक(बजट), १६६१-६२ पर सामान्य वाद-विवाद २५६०

आय–व्ययक, १६६१-६२ पर सामान्य वाद-विवाद आज भी जारी रहा जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) श्री भीमसेन

(२) श्री भैरोंसिंह (१४)

(३) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा

(४) श्री जनार्दनराय नागर

(५) श्री रामचन्द्र

(६) श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

(७) श्री लादूराम सुलाणिया

(८) डॉ० बहादुरसिंह

श्री श्रीभानसिंह बोल रहे थे कि

Page No.116

सदन की बैठक ठीक ५ बजे बुधवार, दिनांक १५ मार्च, १९६१ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

बुधवार, दिनांक १५ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

आय–व्ययक, १९६१-६२ पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०७ का उत्तर देखिये)

सूची भूमि जो मकानात के क्रम में रोड नेशनल हाई वे कोटपुतली से बहरोड़ तक समाप्त की गई ।

क्र० सं०	नं० खसरा	रकबा जो सड़क में लिया गया बीं० बि०	नाम ग्राम	नाम खातेदार	विशेष
१	२	३	४	५	६
१.	६६२	० ४	बूछाहेड़ा	मंगतू वल्द पि. रामनारायण माली समभाग सा. देह.	
२.	५०४	० १७.	वासड़ी	सरकार दौलततमदार.	
				सूची. भूमि कुओं की जो नेशनल हाईवे कोटपुतली से बहरोड़ तक के निर्माण में समाप्त की गई ।	
१.	६१८	० २	बूछाहेड़ा	सुन्दरलाल पि. मु. कालूराम चौधरी सा. देह.	
२.	६६३	० १		मंगतू वल्द पि. रामनारायण माली हि. बराबर सा. देह.	

१	२		३	४	५	६
३.	६८६	०	२		डॉ० बहादुरसिंह पि. सुरजबक्स ८ बिस्वा । बालाबक्स वल्द बख्तावरलाल ६ बिस्वा । बालनन्द वल्द हजारीलाल ४ बिस्वा । छैलबिहारीलाल पि० दुर्गाप्रसाद ४ बिस्वा । जगन्नाथ प्रसाद वल्द मथुरादास ४ बिस्वा । हरनारायण वल्द बसन्तराम ४ बिस्वा कायथ सा० जयपुर ।	
४.	३७६	०	३	खेड़की बिरमान	मिलकियत सरकार.	
५.	८३२	०	१	सांगा टेडा	गिरधारी उमराव पि. सींगा जाट व मुला वल्द धाना सम भाग १:२ सरदारा वल्द रामसहाय १:२ सा. देहै.	
६.	३६४	०	६	मलपुरा	श्यामलाल देह.	
७.	४४७:१					
	४४७:२	०	१२	,,	श्योनाथ वल्द रामनाथ २:३ ज्वाला पुत्र ठट्ठू १:३, सा. देहं. सूची नाही जमीन.... ।	

परिशिष्ट

क्र० सं०	तहसील	जिला	रकबा	
			बी.	बि.
१.	कोटपुतली	जयपुर	६१	१०
२	बहरोड़	अलवर	२२	५
		योग	८३	१५

नोटः—सूची की मूल प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२१ का उत्तर देखिये)

१. ग्राम सुदर्शनपुरा में ख. नं. १०४ से ११ बीघा, ४ बिस्वा बर्मा शैल को दिये जाने की आज्ञा नवम्बर, सन् ५७ में दी गई।

२. डिग्गी हाऊस की भूमि को प्लाटस् काटने की आज्ञा राज्य सरकार द्वारा जून, सन् १९५९ में दी गई।

३. ग्राम मोइपुर, भवानी शंकरपुरा और शंकरगढ़ की भूमि ११बीघा,४ बिस्वा,१९ बिस्वासी को आबादी में परिणित करने की स्वीकृति श्री शिवनाथसिंह कानोता को राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, सन् १९६० में दी गई।

४. स्टेशन रोड़, जयपुर पर स्थित श्री रामबाबू के अहातेकी १२ बीघा भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की आज्ञा अक्टूबर, सन् ५९ में दी गई।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१२ का उत्तर देखिये)

APPENDIX 'A'

S. No.	Road Gangs.	Months.	Date of issue of Imprest	Date of payment to the gang.	Imprest obtained.	Imprest adjusted.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gang of Jaipur Delhi up Shahpura	October	11-11-1960	13-11-1960	615/-	615/-
		November	19-12-1960	21-12-1960	620/-	620/-
		December	17- 1-1961	21- 1-1961	627/-	627/-
		January	16- 2-1961	17- 2-1961	616/-	616/-
2.	Gang of shahpura-Paota-Kotputli Road.	October	11-11-1960	13-11-1960	1497/-	1497/-
		November	19-12-1960	20/21-12-1960	1496/-	1496/-
		December	17- 1-1961	20/21-1 -1961	1483/-	1483/-
		January	16- 2-1961	17- 2-1961	1513/-	1513/-

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7
3.	Gang of Kotputli Bansur Road.	October	11-11-1960	15-11-1960	453/-	453/-
		November	19-12-1960	21-12-1960	475/-	475/-
		December	17- 1-1961	25- 1-1961	504/-	504/-
		January	16- 2-1961	21- 2-1961	505/-	505/-
4.	Gang of Kotputli Bahror Road.	October	11-11-1960	15-11-1960	255/-	255/-
		November	19-12-1960	25-12-1960	305/-	305/-
		December	17- 1-1961	20- 1-1961	305/-	305/-
		January	18- 2-1961	18- 2-1961	305/-	305/-
5.	Gang of Paota Dabla Road.	October	11-11-1960	14-11-1960	403/-	403/-
		November	19-12-1960	25-12-1961	377/-	377/-
		December	17- 1-1960	20- 1-1961	405/-	405/-
		January	16- 2-1961	17- 2-1961	336/-	336/-

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१६ का उत्तर देखिये)

लिस्ट जयपुर जिले में (जयपुर शहर के अलावा) स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को जो लोन दिया गया

क्र० सं०	पार्टी का नाम	उद्योग का नाम	धन राशि जो दी गई; रुपयों में
१	२	३	४
१	विश्वकर्मा आयरन वर्कस, बांदीकुई	लोह उद्योग	४००० रु.
२	राजेन्द्र फ्लोर एन्ड ऑयल मिल्स, सांगानेर	फ्लोर इन्डस्ट्री	४००० रु.
३	हैन्डमैक पेपर कॉपरेटिव सोसाइटी, सांगानेर	पेपर	१०००० रु.
४	रंगलालपुत्र राधाकिशन प्रोपराइटर स्माल पार्ट्स ऑफ साईकिल, सांगानेर	साईकिल पार्ट्स	३००० रु.
५	अलाद्दीन पुत्र केदार बक्स, चाकसू	लोहारगिरी	३००० रु.
६	कुरवा चर्मकार सहकारी समिति लि. विछवा	चर्म उद्योग	२००० रु.
७	घरवारा ऊन रुई उत्पादक सहकारी समिति लि० घरवाडा ।	ऊन उद्योग	५००० रु.
८	लालसोट, चर्म उद्योग सहकारी समिति लि० लालसोट	चर्म उद्योग	७००० रु.
९	बसवा चर्म उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड, बसवा	चर्म उद्योग	५००० रु.
१०	लवान चर्म उद्योग सहकारी समिति लि० लवान	चर्म रंगाई	२५०० रु.

१	२	३	४
११	टेकल्सा टेनेरीज़ सहकारी समिति लि० आमेट	चर्म उद्योग एवं रंगाई	२५०० रु.
१२	चौमू भेड़ ऊन चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि० चौमू	चर्म रंगाई	४००० रु.
१३	मेकेनिकल उत्पादक सहकारी समिति लि०, चौमू	मेकेनिकल इंडस्ट्री	२५०० रु.
१४	मनोहरपुरा चरम उद्योग सहकारी समिति लि०, मनोहरपुरा	चर्म उद्योग	२००० रु.
१५	नोहर चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, नोहर	,,	७५०० रु.
१६	लोहा एवं लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति लि०, आदना	लकड़ी उद्योग	१००० रु.
१७	टौकरी उत्पादक सहकारी समिति लि०, भादरा	टौकरी, मुद्ढा आदि	१००० रु.
१८	वनास्पती उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड, चौमू ।	आयुर्वेदिक रसायन शाला	१००० रु.
१९	टूंगा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, टूंगा	जूते बनाना	१५०० रु.
२०	कड़यार चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, कड़यार	चर्म उद्योग	१५०० रु.
२१	प्रेमसिंह पुत्र चयनसिंह, खाचरियावास	ऊलनयार्न	१५०० रु.
२२	बस्सी चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, बस्सी	चर्म उद्योग	२००० रु.
२३	भौरी लाल मिरा चाकसू	कोटन जिनींग	५००० रु.

१	२	३	४
२४	लक्ष्मीनारायण अलियास मलूका, दौसा	जूते बनाना	३००० रु.
२५	भुवादास हरि रैगर, दरेसा	जूते बनाना	३००० रु.
२६	गंगा निवास, चर्म रंगाई सह-कारी समिति लि०, जोबनेर	चर्म रंगाई	१०००० रु.
२७	चरनराम एन्ड हीरा लाल रैगर, सांगानेर	चर्म रंगाई व जूते बनाना	२५०० रु.
२८	हनुमान फरनीचर उत्पादक सहकारी समिति लि०, दौसा	कारपेन्टरी	५००० रु.
२९	चन्द्रा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, चन्द्रा	चर्म रंगाई	२००० रु.
३०	चौधरी चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, चौमू	,,	१००० रु.
३१	गंगाधर पुत्र मूलचन्द प्रोपराइटर ग्राम उद्योग संस्थान नरादना	साबुन उद्योग	२००० रु.
३२	रामधन एन्ड जयकिशन, दौसा	जूते बनाना	२००० रु.
३३	शिवराम पुत्र रतन लाल रैगर, दौसा	जूते बनाना	१५०० रु.
३४	रामनारायण पुत्र परस राम लवान	चर्म उद्योग	५०० रु.
३५	मेरा राम पुत्र रामदेव दौसा	जूते बनाना	७०० रु.
३६	लक्ष्मणराम पुत्र सखा राम दौसा		२००० रु.
३७	नन्दाराम पुत्र गंगाराम, दौसा	चर्म रंगाई	१००० रु.
३८	गोविंदराम पुत्र मामराज सांगानेर	चर्म रंगाई	२००० रु.

१	२	३	४
३९	भूराराम भगत सांगानेर	चर्म रंगाई	१००० रु.
४०	हीरालाल पुत्र मेघराम, चाकसू	जूते बनाना	१५०० रु.
४१	दौसा ग्रामपंच रस्सी व सिरकी उत्पादक सहकारी समिति लि० दौसा	रस्सी, मूंज बनाना	३००० रु.
४२	डूंगा लोह एवं लकड़ी उत्पादक सहकारी समिति लि०, डूंगा	लुहारी एवं सुथारी	२००० रु.
४३	बस्सी लकड़ी एवं लोह उद्योग, सहकारी समिति लि०, बस्सी	,,	५००० रु.
४४	कनौता कोऑपरेटिव कारपैन्टरी वर्क्स लि०, कनौता	कारपेन्टरी	३००० रु.
४५	बांदीकुई चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, बांदीकुई।	चर्म रंगाई	४००० रु.
४६	माधोराजपुरा कस्बा, चर्म उद्योग सहकारी समिति लि०, माधोराजपुरा	,,	४००० रु.
४७	गटवारी चर्म उत्पादक, सहकारी समिति लि०, गटवारी	,,	२००० रु.
४८	झालावाला ग्राटन चर्म उद्योग, सहकारी समिति लि०, झालावाला ग्राटन	,,	५००० रु.
४९	बोलाई चरम उद्योग सहकारी समिति लि०, बोलाई	,,	२००० रु.
५०	रामचन्द्र पुत्र नारायण दौसा	,,	५०० रु.
५१	परसा पुत्र नारायणराम रेगर, दौसा	जूते बनाना	५०० रु.
५२	लाखा पुत्र मंगला रेगर, दौसा	,,	१५०० रु.
५३	टोडिया पुत्र सुखदेव रेगर, दौसा	,,	१५०० रु.
५४	नन्दराम पुत्र रामलाल रेगर, लालसोट	चर्म रंगाई	१५०० रु.

Page No.127

१	२	३	४
५५	मेवाराम पुत्र कमल राम रेगर, लालसोट	चर्म रंगाई	१५०० रु.
५६	नारायण पुत्र कालूराम रेगर, लालसोट	,,	४०० रु.
५७	रूघनाथ पुत्र रामनाथ, लालसोट	,,	२००० रु.
५८	रेवाराम पुत्र रामदेव खत्री दौसा	,,	१००० रु.
५९	चन्द्रा पुत्र चौला रेगर दौसा	चर्म रंगाई	४०० रु.
६०	नन्दाराम पुत्र देवूराम दौसा	जूते बनाना	२००० रु.
६१	एसजा लालसोट	चर्म रंगाई	५०० रु.
६२	नैना पुत्र रूपा रेगर लालसोट	,,	७०० रु.
६३	प्रभुलाल पुरोहित एम० एल० ए०, लालसोट	साबुन बनाना	१००० रु.
६४	डीडवाना चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, डीडवाना	चर्म रंगाई व जूते बनाना	५,००० रु.
६५	दूदू चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, दूदू	,,	५,००० रु.
६६	बिशनपुरा चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, बिशनपुरा	,,	५,००० रु.
६७	अमृतलाल जैन पुत्र चन्दलाल वकील, बांसनागल	टमाटो केचिंस	३००० रु.
६८	रायसर चर्म उत्पादक सहकारी समिति लि०, रायसर	जूते बनाना	१००० रु.
६९	कालूराम एन्ड नाथूलाल, दौसा	चर्म रंगाई	१००० रु.
७०	लक्ष्मी नारायण पुत्र भोलाराम दौसा	जूते बनाना	२००० रु.
७१	रामलाल पुत्र ओंकार रेगर दौसा	,,	१५०० रु.
७२	ओंकारमल पुत्र छगन रेगर दौसा	,,	१००० रु.
७३	कल्याणचन्द पुत्र रामनारायण दौसा	मिस्लेनियस इन्डस्ट्री	५,००० रु.

१	२	३	४
७४	चांदीकुई लोहा उत्पादक सहकारी समिति लि०, चांदीकुई	लुहारीकाम	२००० रु.
७५	वली मोहम्मद जोबनेर	,,	२२०० रु.
७६	रसूलबक्स जोबनेर	,,	२२०० रु.
७७	गंगाधर पुत्र नन्दाराम रेगर डीडवाना	चर्म रंगाई	३००० रु.
७८	रैनवाल टेनर्स कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, रैनवाल	चर्म रंगाई व जूते बनाना	८००० रु.
७९	रामेश्वरप्रसाद कट्टा सिरसी	डिसान्टाग्रेटर रोप व कार्डिंग	५००० रु.
८०	स्माल इन्डस्ट्रीज़ कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, सांगानेर	सिलाई मशीन बनाना	१५००० रु.
८१	लादूरामशर्मा वैद्य किशनगढ़ रेनवाल	आयुर्वेदिक रसायनशाला	२००० रु०
८२	मोतीलाल खण्डेलवाल सिरसी	चूना भट्टा	२१०० रु.
		योग	२,३६,२०० रु०

नोट :– सूची की मूल प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२४ का उत्तर देखिये)

LIST OF RECOGNICED COLLEGES IN JAIPUR CITY

1. Agarwal College, Jaipur.
2. Pareek College, Jaipur.
3. Jain Subodh College, Jaipur.

LIST OF THE SCHOOLS IN JAIPUR CITY

S. No.	Name of Institution
1.	S. D. G. Pareek College, Jaipur.
2.	S. D. G. Pareek H. S., Jaipur.
2.	Agawal College, Jaipur.
4.	Agarwal H. S., Jaipur.
5.	S. S. Jain Subodh College, Jaipur.
6.	Digamber Jain Sans. College.
7.	Dadu Maha Vidyalay Jaipur.
8.	Adrash Vidya Mandir R. S. S., Jaipur.
9.	Mahaveer Digamber Jain High School, Jaipur.
10.	Khandelwal Vaish Centeral High School.
11.	Bhawani Niketan High School, Jotwada.
12.	Muslim High School, Jaipur.
13.	Swaetamber Jain High School, Jaipur.
14.	Scoutish Mission H. S., Jaipur.
15.	Maheshwari High School, Jaipur.

SANSKRIT PATHSHALAS

16.	Vijai Sagar Brahamcharya Ashram, Talev Gaon, Lalsot.
17.	Sanstan Dharam Vidyalaya, Lalsot.
18.	ShriDhar Sanskrit Pathshala, Brehampuri, Jaipur.

MIDDLE SCHOOLS

19.	Manoranjak H. S., Jaipur.
20,	Sindhi Panchayat M. S., Jaipur.
21.	Dadhimati H. S., Jaipur.
22.	Union M. S., Jaipur.

23. J. N. Swetamber Terapanthi M. S., Jaipur.
24. Usmania M. S., Jaipur.
25, Pursharthi Bal Vidyalaya, Jaipur.
26. Jai Hind M. S., Jaipur.
27. Chitragupat M. S., Jaipur.
28. Hindu A. V. M., Jaipur.
29. Bal Niketan Happy School, Vidya Dhar-ka-Rasta, Jaipur.
30. Gour Vipra Vidyalay, Jaipur.
31. Sindhi M. S., Jaipur.
32. Dev Rishikal Vidyalaya, Jaipur.
33. Guru Nanak Deo Vidyalaya, Jaipur.
34. Karam Veer Arya Singhi M. S., Jaipur-
35. Mahaveer Digamber Jain Balika Vidyalaya, Jaipur.
36. Kanya Sadashar Pathshala, Jaipur.
37. Mission Girls M. S., Jaipur.
38. Veer Balika's Vidyalaya, Jaipur.
39. Padmawati Saraswati Vidyalaya, Jaipur.
40. Vedik Kanya Pathshala, Jaipur.
41. Mahila Vidyapeeth, Jaipur.

SANSKIT MIDDLE SCHOOLS

42. Sanatan Dharam Hindi Vidyapeeth, Jaipur.
43. Ramganj Mah. Sans. Vid., Bineri.
44. Sahitya Sadawart, Jaipur.
45. Hanumat Brahamcharya Ghata, Mendhipur.
46. Khandel Vipra Vidyalaya, Jaipur.
47. Hanumat Sanskrit Path., Sarangpur.
48. Rajshri Vidyalaya, Jaipur.

49. Sanatan Dharam Sans. Vidyaleeth, Jaipur.

50. Bharties Vidyalaya, Jaipur.

SPECIAL SCHOOLS

51. Maharani Gyatri Devi Public School, Jaipur.

52. Balmandir, Moti Doongri, Jaipur.

53. Pyarelal Pratiyogita, Jaipur.

PRIMARY SCHOOLS.

54. Muslim P.S., Jaipur.

55. Mission P.S., Jaipur, Ghatgate, Jaipur.

56. Mission P.S., Chasepa mohalla.

57. Ghanshyam Pathshala, Jaipur.

58. Infant School, Jaipur.

59. Shankar Sharan Path., Jaipur.

60. Jeewan Vidyalaya, Jaipur.

61. Susbhikha Hanumat Vid., Jaipur.

62. Ladoo Ram Dhatwhala, Jaipur.

63. Bhairon Vidyalaya, Jaipur.

64. Kalyan Pathshala, Jaipur.

65. Vedik Bal Mandir Jaipur.

66. Bal Shiksha Mandir, Jaipur.

67. Bal Niketan, Benipark, Jaipur.

68. S.S.G. Parek P.S. Jaipur.

69. Mission Girls Koti Mohalla P.S., Jaipur.

70. Muslim Girls P.S., Jaipur.

71. Bashisht Pathshala, Jaipur.

NEW SCHOOLS

72. Railway M.P.H.S.S., Bandikui
73. Shri Mitra Gyan Vidyalaya, Jaipur.
74. Gour Brahin Vid. Jaipur.
75. Shri Madyamik Arya Kanya Pathshala, Bandikui
76. Adarsh Bal Shala, Jaipur.
77. Sundar Govind Vidyalaya, Jaipur.
78. Mahaveer Vyayam Shala, Jaipur.
79. Khandelwal Vaish Balika Vidyalaya, Jaipur.
80. Maha Kumar M.S., Jaipur.

LIST OF RECOGNISEDUN-AIDED INSTITUTIONS

1. Adarsh Bal Shala 'C', Jaipur.
2. Balvatika Vidyalaya, mati katalaJaipur
3. Bhanwar Lal Path shala Jaipur,
4. Arun Bal Niketan, Jaipur.
5. Anand Jai Vid., Jaipur.
6. Adrash Shiksha Niketan, Jaipur.
7. Navjeewan Kendra, Takur Boraj-Ka-rasta, Jaipur.
8. Adrash Bal Gyan Mandir, Jaipur.
9. Sarva Sangh Maha Vidyalaya, Jaipur.
10. Bhagat Ashanand Public School Afarsh Nagar, Jaipur.
11. Railway P.S., Jaipur No. 1
12. Railway P.S., Jaipur No. 2
13. Railway P.S., Jaipur Fo. 3
14. Shri Maharawata Vid. Bagron ka Rasta, Jaipur.
15. Shri DigVijai Vid- Kundigar Bhairon-ka-rastan, Jaipur.
16. Shri Kashi Bai Chaggan Lal, Jaipur.

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०५ का उत्तर देखिये)

सांगानेर तहसील में सन् १६५८–५६ व ५६–६० में जिन जिन व्यक्तियों को जितनी जितनी भूमि अलॉट जिस जिस जगह अलॉट की गई उनकी सूची

नाम आसामी जिसे अलॉट की गई	रकबा बीघा–बि०		ग्राम का नाम
१	२		३
१. श्री वी. आर. साईट	१२	१६	अम्बाला
२. श्री गौरीसहाय पुरोहित	५२	७	सुलिया
३. श्री महेशकुमार पुरोहित	५१	१०	,,
४. श्री भूरामल ,,	१८	७	,,
५. श्री रघुवरदयाल ,,	६	७	,,
६. श्री ठाकुर अजीतसिंह	१२०	–	विमलपुरा
१६५६–६०			
७. श्री हरिनारायण	२८	८	मुसर
८. श्री विश्वनाथ कौल	८२	८	श्योपुर
९. श्री रामगोपाल द्रविड़	६	५	दहीमीकला
१०. श्री सतीशचन्द्र	१५	–	बगरू
११. श्री रामकल्याण ब्राह्मण	२	८	वाटका

१	२	३
१२. सहकारी समिति हरिजनान व खटीकान, अगरू	४१६ १५	अगरू
१३. सहकारी समिति रेगरान, कोदर	३३८ १३	कोदर

———

परिशिष्ट ७

(कृपया श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) का भाषण देखिये)

ता० २२-३

भाई,

कल रात करीब १० बजे बिसाऊ से रवाना हुए थे और १२ बजे यहां पहुंचे। आज पूज्य दा साहब की साल गिरह है। इसमें हट्टूंडी गए थे। वहां तो वे कहने लगे–इस साल तो इसने–१ लाख की थैली भेंट की है। और भी कई बातें होती रहीं पर मेरा मन उनमें लगा नहीं। सचमुच यह मेहनत किस की है? मेरी नहीं तुम्हारी–जब जब तुम्हें देखती हूँ किदवई साहब की बात याद आती है–"करने वाले हाथ दिखा नहीं करते" मेहनत तुम करो, वाहवाही तारीफ किसी और को मिले। और तुम्हें इसके बदले मिलें कुछ कटु शब्द–लांछना और अपमान। कई बार सोचती हूं न जाने कौन से पुण्य किये थे जो तुमसा मित्र, साथी, सहायक, सहारा, भाई कुछ भी कहलो मुझे मिला। साथ ही न जाने कौन से पाप किया था जो वह मिल कर भी मेरा अपना न हुआ। विधाता के अदृश्य हाथ इतनी सी गलती न करते–रास्ता कितना आसान हो जाता। तुम्हारी मेहनत का कोई बदला तुम्हें चुका नहीं पाती। जिंदगी न जाने कितनी लम्बी होगी और तुम्हें न मालूम कब तक ये सारी परेशानी तकलीफ उठानी पड़ेगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कहीं मन भी नहीं लगता–पढ़ने में भी नहीं लगता। लगता है–दम घुट जायेगा।

तुमने आज ११ बजे से पहले यादवजी को एपलीकेशन भिजवादी होगी। दीवान को याद दिला देना। मेडीकल के पेपर्स भी निकलवाना। आज लिखोगे न? अपने प्रोग्राम के बारे में। मिर्धा और मेहता से मिले? क्या हुआ? नाम चला गया न? बाकी सब ठीक है। २३ तारीख को पाठकजी जयपुर आने वाले हैं। २३–२४ रहेंगे। आते समय भाभी का पुराना कब्जा लेते आना, नाप के लिए कपड़ा ले लिया है। तुम अपना ख्याल रखना।

तुम्हारी जीजी

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, १४ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२४०१	पंक्ति ५ के ऊपर	--	तारांकित प्रश्नोत्तर
,,	पंक्ति २	तारांकित प्रश्नोत्तर	--
२४०३	अन्तिम से ३	को वना	को बचा
२४०७	६	नॉन बेसिक	नॉन बेसिक
२४११	अन्तिम से ३	कराना था	करना था
२४१२	१८	व्वक्तियों में	व्यक्तियों में
२५१३	,,	श्री हरिश्चन्द	श्री हरिश्चन्द्र
२४२३	१६	नियमानुसार, नहीं	नियमानुसार नहीं
२४२६	८	करेंसे	करेंगे
२४२८	अन्तिम से ४	कलेक्टर जांच	कलेक्टर ने जांच
२४२९	२२	(पर्ली)	(पाली)
२४३७	५	करत।	करते हैं।
,,	१५	मरकारी	सरकारी
२२४३	५	इतिहासज्ञों	इतिहासज्ञों
२४४६	अन्तिम से ४	शिन्ना	शिक्षा
२४४९	१७	श्री किशनारमा	श्री किशनाराम
२४५४	अन्तिम से ४	कारणों उन्होंने	कारण उन्होंने
२४५९	१०	हाई। स्कूल	हाईस्कूल
,,	११	एलीमैन्ट्री	एलीमेन्ट्री
,,	१८	अनर्टेसन्टी	अस्सिटेंन्टी
,,	अन्तिम पंक्ति	श्री सुखाड़िया मोहनलाल	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२४६०	शीर्षक	स्थगन प्रश्न	स्थगन प्रस्ताव
,,	अन्तिम से ३	जाने जोर का रास्ता	जाने का जो रास्ता
२४७०	१९	पांच-वर्षीय	पंच-वर्षीय
२४७५	२४	नेशनेल	नेशनल
२४७८	३	डेवलप्मेन्ट	डेवलपमेंट
२४९३	८	मुख्व मंत्री	मुख्य मंत्री
२४९५	१०	ये फिर	वे फिर

१	२	३	४
२४६६	२६	एस्टीमेट्र्स	एस्टीमेट्स
२५०१	१	कृषि प्रधान	कृषि प्रधान है।
२५०२	अन्तिम से ४	वालेये	वाले
२५०३	अन्तिम से २	वर्ष कहते	वर्ष से कहते
२५०५	३	प्रवृत्त है	प्रवृत्ति
२५०६	७	उड़ते हैं	उड़ाते हैं
२५१२	अन्तिम पंक्ति	श्रेय मिल	श्रेय मुझे मिल
२५१७	शीर्षक	अय व्ययक	आय-व्ययक
२५१६	६	दिया है	लिया है
२५२०	शीर्षक	वाद–विवाव	वाद-विवाद
२५२१	शीर्षक	आव--व्ययक	आय-व्ययक
,,	२४	प्रसंशा	प्रशंसा
२५२२	४	कॉन्टेट्स	कॉन्टेक्स
२५२३	२३	प्रात	प्रास
२५२४	अन्तिम से २	रवेन्यूज़	एवेन्यूज़
२५२५	१०	खराव	खरब
२५२७	अन्तिम से	टैक्स से भी	टैक्स में भी
२५३१	१८–१९	tellng it	telling it
२५३६	३	खादी जो सवाल	खादी का सवाल
~~२५३७~~	~~३~~	~~कॉन्टेन्ट्स~~	~~कॉन्टेक्स~~
२५४८	शीर्षक	[२५४	[२५४८
२५४९	१६	उसकी	उनकी
२५५६	शीर्षक	वद-विवाद	वाद–विवाद
२५५९	२४	समयता	सभ्यता
२५६०	अन्तिम पंक्ति	आप म?	आप में ?
२५६४	२७	टैक्निक का	टैक्निकल शिक्षा का
२५७०	१८	समयस–माप्ति	समय-समाप्ति
२५७२	२२	सम्मलाया	सम्भलाया
२५७४	२२	अपकी बुजुर्गी	आपकी बुजुर्गी
२५७५	२३	डिविज़न स्ट्रेक्चर	डिवीज़नल स्ट्रक्चर
२५७७	१५	दिया है जाता	दिया जाता है
,,	२०	इन्टीगिटी	इन्टीग्रिटी

१	२	३	४
२५७६	४-५	हरिजन हैं या क्रिमिनल	हरिजन हैं
२५६१	२७	लाओं	लाओ
२५६२	२२	सुघराया	सुधराया
२६०६	अन्तिम पंक्ति	गांधी जी	गैंधी जी
२६१५-१६	शीर्षक	१३ मार्च	१४ मार्च
२६१५	१-२	व्यक्ति, उसकी संतान	व्यक्ति की संतान
२६१६	२-३	एक्समेन्डीचर	एक्सपेन्डीचर
,,	अन्तिम से ४	डेवलपमेंटस	डेवलपमेंट्स
२६१७	१०	डिस्टर्बंड	डिस्टर्ब्ड
,,	२६	६.७	६.४
२६२६	२	adjou	adjourn
२६३६	अन्तिम पंक्ति	परिवर्त्तित	परिवर्तित
२६३७	३	APPENDIX 'A'	विलोपित कीजिये
,,	कॉलम २, पंक्ति २	up	upto
२६३८	कॉलम ५, पंक्ति६व७	25-12-1960	20-12-1960
२६४१	कॉलम ३, पंक्ति ५	20-1-1961	25-1-1961
२६४२	कॉलम २, पंक्ति १३	रेगेर	रेगर
२६४३	सीरियल ६७, कॉलम ३	वरत्रा	बरवा
२६४४	कॉलम २, पंक्ति ६	कोटिम	कैचअप्स
		टेन्र्स	टेनर्स
२६४५	३	RECOGNICED	RECOGNISED
२६४६	१५	Swaetamber	Swetamber
,,	२०	Sanstan	Sanatan
२६४७	५	Chitragupat	Chitra Gupta
,,	६	A. V. M.	A. V. M. S.
,,	१०	Rishikal	Rishikul
,,	१४	sadashar	Sadachar
,,	१६	Balika's	Balika
,,	२०	SANKIT	SANSKRIT

१	२	३	४
२६४७	२४	Brahanchamya Ghata	BrahamcharyaAshramGhat
२६४८	१	Vidyaleeth	Vidyapeeth
,,	२	Bharties	Bhartis
,,	६	P. S. Jaipur, Ghatgate	P. S. Ghatgate
,,	१०	Chasepa mohalla	Cheepa Mohalla
,,	१५	Susbhikha	Sushiksha
२६४६	४	Brahin	Brahamin
,,	५	Madyamik	Madhyamik
२६५०	३	mati Katata	Moti Katla
,,	६	Jai Vid	Bal Vid.
,,	८	Takur Boraj-KaRasta	Thakur BorajKa Rasta
,,	११	Afarsh	Adarsh
,,	१५	Shri Maharawata Vid. Bagron Ka Rasta	Shri Mahasweta Vid. Bagroonwalon Ka Rasta
,,	१६	Kundigar Bhairon-Ka-Rastan	Kundigaron Bhairon-Ka-Rasta
२६५१	४	भूमि अलॉट जिस	भूमि जिस
,,	कॉलम ३६	दहीमीकला	दहीमीकलां
२६५३	१२	कौन से पाप	कौन सा पाप
,,	१८	एपलीकेशन	एप्लीकेशन

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
२४३१	६	यदि कोई	(ख) यदि कोई
२४६३ व			
२६२३	शीर्षक	१६६१–६१	१६६१–६२
२५१५	,,	१३ मार्च	१४ मार्च
२५६१	,,	व्यवक	व्ययक
२६३६	१	प्रश्न संख्या २२१	प्रश्न संख्या २११
शुद्धि पत्र	कॉलम २ पंक्ति १	पंक्ति ५	अन्तिम से पंक्ति ५
,,	कॉलम २ पंक्ति ३	पंक्ति २	अन्तिम मे पंक्ति २
,,	कॉलम १ पंक्ति ७	२५१३	२४१३
,,	कॉलम १ पंक्ति १४	२२४३	२४४३
,,	कॉलम ३ पंक्ति १३	कॉटेक्स	कॉन्टेन्ट्स